हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 सितम्बर, 2010

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 6 सितम्बर, 2010

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)27
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)32
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(2)33
बलात्कार का मामला	(2)34
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	(2)34
गृह राज्यमंत्री (श्री गोपाल कांडा) द्वारा	
वाक आउट/बॉय-काट	(2)39
विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भण)	(2)40
बैठक का स्थगन	(2)42
चेयर द्वारा निवेदन	(2)43
चेयर के विरुद्ध आक्षेप	(2)46
वाक आउट	(2)52
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	(2)53
(i) सरकार द्वारा गृहकर हटाने संबंधी	
वक्तव्य--	(2)54
बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
(ii) भारी बारिश एवं बाढ़ की वजह से आम जनता तथा विशेषकर किसानों के हुए नुकसान संबंधी	

मूल्य :

173

वक्तव्य-- (2)5

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

वाक आउट (2)75

विधान कार्य-- (2)76

(i) पण्डित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज रोहतक (अमैंडमैंट) बिल, 2010

(ii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2010

(iii) दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटी (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2010

(iv) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2010

(v) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2010

(vi) भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (अमैंडमैंट) बिल, 2010

(vii) चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (अमैंडमैंट) बिल, 2010

श्री ओम प्रकाश चौटाला एम.एल.ए. के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचना (2)93

वाक आउट (2)95

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 6 सितम्बर, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 02.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the questions hour.

तारांकित प्रश्न संख्या 249

(इस समय माननीय सदस्य श्री शेर सिंह बड़शामी सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया।)

Construction of Bye-Pass

*257. **Dr. Hari Chand Middha :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) the reason as to why the work of Bye-Pass to be constructed around the Jind city has been stopped togetherwith the time by which the said work is likely to be started again ; and

(b) the reasons for which the work of Mini Bye-Pass of Jind city, which was to pass near the Bus Stand, has been stopped ?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Government has sanctioned Jind Bye-Pass from Jind Hansi road to Jind-Assandh Road via existing Northern Bye-Pass at a cost of Rs. 48.56 crore including annuity payment to farmers. Considerable work including earth work in length of 9 km has been completed. One bridge on this Bye-Pass near Khokhari is near completion. 2nd bridge on the Bye-Pass near village Ikkas is also under construction. Work on the Bye-Pass was stopped on account of heavy rainfall and shortage of quarry materials. Work has now been re-started.

(b) No such construction work is in progress.

डॉ. हरीचन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, जींद बाई-पास का काफी समय से काम शुरू

[डॉ. हरीचन्द मिढ्ढा]

किया हुआ है लेकिन अभी तक वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है। रेलवे पुल भी इसी कारण से रुका हुआ है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बाई पास कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ताकि हम लोगों को इस बारे में विश्वास दिला सकें कि यह काम जल्द पूरा हो जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से खुद अपने आपको भी जोड़ता हूँ। बाई-पास का निर्माण हम तेजी से करवाने की कोशिश करेंगे। इस काम को मार्च और सितम्बर, 2009 में एक सर्टेन टाईम पीरियड के लिए हमने दो भागों में अलॉट किया है। जैसा मैंने बताया कि काफी काम इसमें हो चुका है और काफी काम अभी भी बाकी है। बीच में बारिश की वजह से कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई थी। दूसरे, मिट्टी की भी उपलब्धता नहीं हो पाई थी और क्वैरी मैटीरियल की भी कमी थी। मैंने माननीय सदस्य को बताया भी था कि उच्चतम न्यायालय की ग्रीन बैंच के द्वारा राजस्थान और हरियाणा के काफी क्षेत्रों के अन्दर क्वैरी मैटीरियल की एक्सकावेशन पर पाबन्दी लगा रखी है, जिसके कारण कार्य की प्रगति धीमी है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को आपकी अनुमति से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी और सबसे पहली प्राथमिकता पर हम यह कार्य पूरा करवायेंगे।

Shri Kuldeep Sharma : Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether there is any such provision for Sonepat also because there is lot of congestion in Sonipat and the provision of bye-pass was initiated few months back? What stage is there? At what stage it is being considered?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, although this is a separate question and no information is readily available with me but off hand as I recall, Hon'ble Chief Minister has persuaded the Government of India to sanction the National Highway between Panipat and Rohtak. The work has already been allotted. Land has already been acquired. My learned friend would have noticed that there have been section 3(d) notifications coming. If I recollect the figures, I think it is nearly 500 or 600 Crore rupees' project and it includes many bye-passes.

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : He is asking for Sonipat not Panipat.

Shri Kuldeep Sharma : I am specific about Sonipat.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, it's a separate question, so he should give me in writing.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के 'ख' भाग में सवाल किया गया था जिस पर माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं है जबकि एक रजवाहा है जो आज से 15-20 साल पहले रद्द हो चुका है। उसी रजवाहे की जमीन इसमें लगी हुई है। वहाँ से एक मिनी बाईपास निकाला जा सकता है तथा इससे शहर को सुविधा हो सकती है। अगर यह बाईपास बन जाए तो यह एक सर्कुलर रोड का काम कर

सकता है। एक बार इस बारे में प्रोपोजल भी आई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस खाली पड़ी जमीन पर, जो कि पहले एक्वायर की गई है और सरकार की ही जमीन है, उस पर एक सर्कुलर रोड बना दिया जाये तो नहर से लेकर भिवानी रोड तक पूरा एक मिनि बाईपास बन जायेगा।

Mr. Speaker : Please put a question only.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : सर, मेरा यही सवाल है कि इस बारे में काम क्यों नहीं शुरू हुआ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात ठीक है और इनका गवांढी होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि लगभग 27.94 एकड़ जगह इरिगेशन डिपार्टमैंट बी.एंड आर. डिपार्टमैंट से ले चुका है। अध्यक्ष महोदय, जब इस बारे में मिड्ढा साहब ने कहा तो मैंने कहा था कि proposal is already under consideration of the government. हम इस बात को लेकर जमीन ट्रांसफर करवा चुके हैं और आगे का प्रावधान जल्द करेंगे।

Opening of New College in Bahal Town

***273. Master Dharam Pal Obra :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that there is no college in Bahal Town situated in the middle of Loharu Constituency; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new college in Bahal?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Yes Sir, there is no college in Bahal Town. However, there is no proposal to open a new college in Bahal.

मास्टर धर्मपाल ओबरा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपने जवाब में राजकीय महाविद्यालय भिवानी, बहल कस्बे से लगभग 40 किलोमीटर दूर लिखा हुआ है यह गलत है क्योंकि बहल कस्बे से भिवानी राजकीय महाविद्यालय का कालेज 57 किलोमीटर की दूरी पर है। राजकीय महाविद्यालय बौंदकलां से बहल कस्बा 62 किलोमीटर है, राजकीय महाविद्यालय लोहारू से बहल कस्बा 48 किलोमीटर है। अध्यक्ष महोदय, बहल में बच्चों के पढ़ने के लिए कोई भी कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बहल के बच्चे पढ़ने के लिए कहां पर जाएंगे? क्या मंत्री जी बहल में कालेज खोलने के बारे में विचार करेंगे?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि एजुकेशन हरियाणा सरकार के प्रायरिटी के कामों में शामिल है। हमने 2005 से लेकर 2010 तक हरियाणा में 20 नए कालेज खोले हैं। जहां तक बहल में कालेज की बात है तो हमारे एक्स विधायक श्री सोमवीर सिंह जी की मांग आई थी। हमने इस बारे में डिपार्टमैंट से अच्छी तरह से एग्जामिन करवाया है लेकिन इस समय बहल में कोई भी कालेज खोले जाने का विचार नहीं है क्योंकि भिवानी जिले में तकरीबन 15

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

कालेजिज हैं जो कि इस समय चल भी रहे हैं। जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्य ने बताया है कि एक गवर्नमैंट कालेज भिवानी में है जिसकी बहल से दूरी 40 किलोमीटर की है। एक गवर्नमैंट कालेज फार एजुकेशन भिवानी, गवर्नमैंट कालेज लोहारू, गवर्नमैंट कालेज भिवानी, गवर्नमैंट कालेज बौंदकलां, गवर्नमैंट कालेज सिवानी, गवर्नमैंट कालेज फार वूमैन तोशाम है। जो गवर्नमैंट एडिड कालेजिज हैं उनमें वैश्य कालेज भिवानी है, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी, के.एम. कालेज फार एजुकेशन भिवानी, जे.वी.एम.जी.आर.आर. कालेज चरखी दादरी, सरस्वती कालेज आफ एजुकेशन चरखी दादरी, बी.एल.जी. सूईवाला कालेज तोशाम और झोझूकलां में महिला महाविद्यालय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से कालेज इस सरकार ने अपने टैन्योर में खोले हैं। हमने उन कालेजिज को खोलने के साथ-साथ वहां पर सभी सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, 2005-06 में 40.28 करोड़ रुपये के प्लान बजट का प्रावधान था और 2009-10 में 234 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जोकि तकरीबन 735 प्रतिशत इन्क्रीज का हमारा प्लान बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगी कि इस समय बहल में कोई भी कालेज बनाने का प्रपोजल पैण्डिग नहीं है।

मास्टर धर्मपाल ओबरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से पूछना चाहूंगा कि हम वहां पर कालेज खुलने का कब तक इन्तजार करें? (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय एजुकेशन मिनिस्टर महोदया जी से पूछना चाहूंगा और उनसे रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि अभी आपने जवाब देते वक्त भिवानी गवर्नमैंट कालेज का जिक्र किया। स्पीकर सर, हरियाणा में दादरी सबसे बड़ा सब-डिवीजन है। पता नहीं क्यों दादरी के प्रति भेदभाव बरता जा रहा है? मैंने इस बारे में प्रश्न भी दिया था, पता नहीं वह प्रश्न कहां चला गया। स्पीकर सर, वहां पर मिलिट्री के बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं और उनकी लड़कियों को कालेज जाने के लिए बहुत ही असुविधा होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर वहां पर कोई गवर्नमैंट कालेज और हॉस्टल खोल दिया जाए तो वे बच्चे पढ़-लिख जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री महोदया जी से रिक्वैस्ट है कि इस बारे में जरूर विचार किया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। इस बारे में ये जरूर सरकार के पास अपना प्रपोजल भिजवाएं। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि इन्होंने इस बारे में क्वैश्चन भी लगाया था लेकिन वह पता नहीं क्यों नहीं लगा मैं आपके माध्यम से इनको आश्वासन दूंगी कि ये हमारे पास इस बारे में प्रपोजल भिजवा दें तो हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे।

मास्टर धर्मपाल ओबरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो भिवानी से दूसरे गवर्नमैंट कॉलेजिज के किलोमीटर दर्शाए हैं, वह गलत हैं।

Mr. Speaker : Master ji, now please take your seat.

Opening a Girls College in Palwal

***279. Sh. Subhash Chaudhary :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that there is no Govt. Girls College in Palwal ; if so, the time by which a girls college in Palwal is likely to be opened ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Yes Sir, there is no Govt. Girls College at Palwal. However, at present, there is no proposal to open Govt. Girls College in Palwal.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का भी वही जवाब आ गया है जो पहले वाले प्रश्न का था। देश को आजाद हुए 63 साल हो गए हैं लेकिन आज तक हमें पलवल में एक सरकारी महिला कालेज नहीं मिल रहा है। आप ही बताएं कि वहां पर हमारी बहन-बेटियां कहां पर पढ़ने के लिए जाएं? पलवल शायद वर्ष 1930 से तहसील है जिला तो वह अब बनाया गया है लेकिन जिला बनने के बाद भी वहां पर एक सरकारी महिला कालेज नहीं दिया गया है। मैंने पिछली बार भी मांग की थी।

Mr. Speaker : Please put the supplementary. आप इधर उधर न हों बल्कि आप सीधी सप्लीमैंट्री करें।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि पलवल में महिलाओं के लिए कोई भी कालेज नहीं है। मैं इनको कहना चाहूंगी कि इस समय बहुत से कालेजिज जिला पलवल में चल रहे हैं। पलवल जिले के एडज्वानिंग फरीदाबाद जिले में भी गवर्नमैंट कालेज चल रहे हैं। इसी तरह से होडल में भी जो कि जिला पलवल में ही पड़ता है, एक गवर्नमैंट कालेज चल रहा है। इसके साथ ही साथ गवर्नमैंट कालेज फरीदाबाद में भी है। फरीदाबाद में ही गवर्नमैंट कालेज फॉर विमैन है। तिगांव जिला फरीदाबाद में भी एक गवर्नमैंट कालेज है। जहां तक पलवल जिले की बात है वहां पर जो जी.जी.डी.एस.डी. कोएड कालेज चल रहा है उसमें भी लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। इसी तरह से सरस्वती महिला महाविद्यालय भी पलवल में है जोकि केवल महिलाओं का ही कालेज है। उसमें भी हमारी बेटियां पढ़ने के लिए जा रही हैं। इसी तरह से अग्रवाल कालेज, बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, चल रहा है, के.एल. मेहता दयानन्द कालेज फॉर विमैन, फरीदाबाद में ही चल रहा है। डी.ए.वी. सेन्टेनरी कालेज भी फरीदाबाद में ही है। इसी तरह से होडल में एक प्राईवेट महारानी किशोरी मैमोरियल कन्या महाविद्यालय भी चल रहा है। जहां तक लड़कियों की संख्या की बात है तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि गवर्नमैंट कालेज होडल में 824 स्टूडैंट्स की संख्या है उसमें से गर्ल्ज की संख्या 197 है। जी.जी.डी.एस.डी. कालेज पलवल में 203 लड़कियों की संख्या है इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इस समय पलवल में कोई भी कालेज खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

Allegation of Corruption

***297. Sh. Krishan Lal Panwar :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that serious allegations of corruption are being levelled

[Sh. Krishan Lal Panwar]

against Sh. R.D. Pundir, Superintendent Engineer of the Marketing Board ; if so, the action taken by the Government in this regard togetherwith the report of the investigation conducted thrice by the Vigilance Department ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Yes Sir. The details of the action taken are given in the statement which is placed on the Table of the House.

Statement

Three enquiries were conducted by the Vigilance Department, Haryana against Sh. R.D. Pundir, Superintending Engineer, Haryana State Agricultural Marketing Board. The details thereof are as under :—

(1) Enquiry No. 15 dated 23.12.1994—Panipat.

The Vigilance Department after conducting the enquiry into the matter recommended to recover the loss of Rs. 1,50,000/- on account of use of water and electricity of Marketing Board by the contractors for the construction of staff quarters of Market Committee, Panipat from Sh. R.D. Pundir and other officers/ officials of the Board and also recommended to register F.I.R. against Sh. R.D. Pundir, other officers/officials of the Board and the contractors.Subsequently, F.I.R. No. 7 dated 6.4.1998 Police Station, State Vigilance Bureau (Haryana), Rohtak was registered against Sh. R.D. Pundir and other officers/officials of the Board u/s 409, 420, 467, 468, 471, 120 B of IPC and Section 13(1)(d) of Prevention of the Corruption Act, 1988. During investigation by State Vigilance Bureau no charges were proved against him. Accordingly, SVB, Rohtak vide letter dated 30-11-1999 intimated the Chief Administrator, Haryana State Agriculture Marketing Board that no charge sheet had been filed against Sh. R.D. Pundir. However, Special Judge, Panipat vide his judgement dated 22.5.2006 in the above mentioned F.I.R. also ordered that a copy of the judgement be sent to the Chief Secretary, Haryana to enquire into the role of the Investigating Officer and the officers of the Board in investigation against Sh. R.D. Pundir and Sh. P.S. Rawat. Against the said judgement of Special Judge, Panipat Sh. R.D. Pundir filed criminal miscellaneous No. 9387 M of 2008 in the Hon'ble High Court for expunging para No. 10 of the judgement dated 22-5-2006 passed by Special Judge, Panipat and the Hon'ble High Court vide its orders dated 10.4.2008 stayed the prosecution of Sh. R.D. Pundir. The case is now fixed for final arguments on 27.9.2010.

2. Enquiry No. 18 dated 19.8.1996—Karnal

The State Vigilance Bureau after conducting the enquiry found that excess payment of Rs. 2,68,925/- was made to the contractor in construction of road from Rehra to Lalain, Distt. Karnal. Accordingly F.I.R. No. 5 dated 11.5.1999 Police Station SVB, Rohtak u/s 409, 420, 467, 468, 471, 120 D IPC and Section 13(1) of P.C. Act was registered against Sh. R.D. Pundir and others. Subsequently SVB Rohtak vide letter dated 30.9.1999 intimated that none of Sh. R.D. Pundir and Sh. B.N. Sharma, XENs were arrested in the above case and the allegations levelled against them were not proved. The Chief Secretary to Government, Haryana (Vigilance Department) vide U.O. dated 07.9.2006 intimated that the untraced report submitted

by the Police had been accepted by the Court of CJM, Karnal in F.I.R. No. 5 dated 11.5.1999.

3. Enquiry No. 25 of 1998—Panipat.

F.I.R. No. 8 dated 2.6.2001 was registered in Police Station SVB, Rohtak u/s 7 of P.C. Act, 1988 against Sh. R.D. Pundir for allegedly demanding Rs. 10,000/- as illegal gratification from a contractor. This matter was enquired into by Vigilance Department under enquiry No. 25 dated 11.07.2001. During investigation State Vigilance Bureau did not find Sh. R.D. Pundir guilty of any offence, therefore no challan was submitted against him in the Court. The Court of Special Judge, Panipat vide judgement dated 11.12.2007 observed that in order to determine the role of R.D. Pundir and the role of Investigating Officer it was necessary that the investigation of the case was entrusted to C.B.I, the matter being of serious nature and the file be placed before the Hon'ble Chief Minister, Haryana for further necessary action in the matter. Sh. R.D. Pundir challenged the said judgement dated 11.12.2007 of the Special Judge, Panipat in the Hon'ble High Court in criminal miscellaneous No. 10991M of 2008 and the Hon'ble High court vide order dated 13.5.2008 stayed the operation of the remarks/observations, recorded in para No. 8 of the judgement dated 11.12.2007 of the Special Judge, Panipat. The matter is now fixed for 27.09.2010 for final arguments in the Hon'ble High Court.

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने श्री आर.डी. पुंडीर, सुपरिनटैंडिंग इंजीनियर के करप्शन केसिज के बारे में पूछा है। यह ठीक है कि इस मामले में विजीलैंस ब्यूरो ने तीन एफ.आई.आर. दर्ज करवायी थी। पहली एफ.आई.आर. 6.4.1998 में दर्ज की गयी थी। 30.11.1998 को विजीलैंस ब्यूरो ने यह लिख दिया कि इस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता इसलिए चालान नहीं पेश किया गया। दूसरी एफ.आई.आर. भी 11.5.1999 को विजीलैंस ब्यूरो ने ही दर्ज करवायी थी और उसमें भी 30.9.1999 को विजीलैंस ब्यूरो ने ही दोबारा लिख दिया कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है, कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तीसरी फिर एफ.आई.आर. 2.6.2001 में दर्ज हुई और उसमें भी 28.8.2001 को फिर विजीलैंस ब्यूरो ने रिपोर्ट कर दी कि इसमें कोई आरोप सिद्ध नहीं होते। और ये दो मामले इंक्वायरी नम्बर-1 और इंक्वायरी नम्बर-3 हाईकोर्ट में चल रहे हैं और इसमें फाइनल आर्गूमैंट के लिए 27.9.2010 की डेट लगी है। पहला जो केस है उसको 11.1.2000 को बोर्ड ने चीफ इंजीनियर के पास भेजा था। इसकी इंक्वायरी मिस्टर विजय प्रकाश को दी गई थी, वह चार साल तक इस इंक्वायरी को लेकर बैठे रहे और जब रिपोर्ट दी तो ये दी कि इससे नर्मी बरती जाए। ये दो मामले हैं जो कोर्ट में हैं और पिछली सरकार के समय में चीफ इंजीनियर विजय प्रकाश जी चार साल तक इस मामले को लेकर बैठे रहे, उनकी 27.9.2010 हाई कोर्ट में फायनल आर्गूमैंट के लिए डेट लगी हुई है और इन मामलों मे जो भी कोर्ट से फैसला आ जाएगा उसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार पूरी सख्ती करेगी, कोई भी दोषी जो करप्ट होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

जानना चाहता हूं कि आर.डी. पुंडीर जो एस.ई. हैं क्या पानीपत सैशन कोर्ट ने चीफ सैक्रेटरी, हरियाणा को कोई ऐसी डायरैक्शंज दी थी और चीफ मिनिस्टर को भी उसकी कॉपी दी थी कि इस मामले को सी.बी.आई. को भेजा जाए। इसका क्या ब्यौरा है? ऐसा लगता है कि मंत्री जी इस सवाल के बारे में कुछ न कुछ तथ्य छुपा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि विजिलैंस ब्यूरो ने कितने कामों की जांच की और उनमें कितनी अनियमितताएं पाई गईं, इसका ब्यौरा मंत्री जी दें?

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम इस मामले में किसी से कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ये लैटर्ज सितंबर, 1999 और नवंबर, 1999 में विजिलैंस ब्यूरो ने लिखे हुए हैं। आप डेट देखो और कब इसकी रिपोर्ट भेजी है ये भी इसमें लिखा है। ये लैटर्ज मेरे पास हैं, इनमें उन्होंने कहा है कि इस मामले में कुछ भी नहीं बनता है और दूसरे यह जो आप कह रहे हैं कि उसने स्टे ले लिया है, उस केस में सी.बी.आई. को पानीपत के ऑनरेबल जज ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह फाइल पेश हो और यह केस सी.बी.आई. में जाने के लायक है। उसका उसने स्टे ले लिया और केस हाईकोर्ट में चल रहा है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : मंत्री जी कह रहे हैं कि सैशन कोर्ट में डायरैक्शंज दीं और हाईकोर्ट में स्टे ले लिया। आप ये बतायें कि क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन हो, क्या उसकी प्रमोशन हो सकती है जबकि उसकी ए.सी.आर. में उसकी ऑनैस्टी के कॉलम में डाउटफुल लिखा था?

सरदार परमवीर सिंह : प्रमोशन का मामला तो अभी है ही नहीं, जब वह मैटर आएगा तब देखा जायेगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि दिनांक 13.5.2009 को उसको ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर से प्रमोट करके सुपरिनटैंडिंग इंजीनियर बनाया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में संबंधित अधिकारी की इंक्रीमैंट्स रुकी हुई हैं। उसमें 2008 तक का समय था, वह पूरा हो गया है। वर्ष 2008 तक उसको प्रमोट नहीं कर सकते थे, उसके बाद उसे प्रमोट कर सकते हैं।

Tube-Wells for Irrigation

***298. Sh. Pardeep Chaudhry :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install more tube-wells for irrigation in the Kalka Assembly Constituency ?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No, Sir.

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा कालका विधान सभा क्षेत्र अर्ध पर्वतीय क्षेत्र है। शिवालिक की

पहाड़ियों में बस हुआ है, छोटे-छोटे किसान हैं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आर्थिक तौर पर लोग कमजोर हैं और उस एरिया में नहरों का कोई प्रावधान नहीं है। क्या उस एरिया में सिंचाई के लिए ट्यूबवैल लगाना और सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे कालका विधान सभा क्षेत्र से यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है और यह भी जानना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान वहां सिंचाई के लिए कितने ट्यूबवैल लगाए गए?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर पहले एच.एस.एम.आई.टी.सी. ट्यूबवैल चलाया करती थी। लेकिन जब श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी उसने जून, 2002 में उस कारपोरेशन को वाईंड-अप कर दिया था। उसके बाद इरीगेशन विभाग इन ट्यूबवैल्ज को हैंडल नहीं करता है। हमारे जो 70 डायरेक्ट ट्यूबवैल्ज थे उनमें से 39 को हमने यूजर सोसायटीज को हैंडओवर कर दिया है यह यूजर सोसायटी ही उन ट्यूबवैल्ज को इस्तेमाल कर रही हैं और बाकी के जो ट्यूबवैल्ज हैं उनको हमने ऑक्शन के लिए रखा हुआ है जो 31 ट्यूबवैल्ज बचे हुए हैं उनमें से 18 की ऑक्शन ओपन बीडिंग में हो चुकी है और बाकी जो 13 ट्यूबवैल्ज हैं वे अबैंडन हैं उनकी ऑक्शन के लिए प्रोसैस पाईपलाईन में है। उनकी ऑक्शन भी जल्दी ही कर दी जायेगी। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में 1546 ट्यूबवैल्ज थे जो करनाल, हिसार, पानीपत, फतेहाबाद और जींद में थे चूंकि हरियाणा स्टेट माईनर इरीगेशन ट्यूबवैल्ज कारपोरेशन तो वाईंड अप हो चुकी है इसलिए इन 1546 ट्यूबवैल्ज की भी ऑक्शन होनी हैं। इनमें से 261 ट्यूबवैल्ज की ऑक्शन तो हो चुकी है बाकी की ऑक्शन अभी करनी बाकी है। इनकी ऑक्शन करना सरकार का काम है इरीगेशन विभाग का काम नहीं है जो कारपोरेशन थी वह इनकी सरकार ने बंद कर दी थी।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र होडल में सिंचाई विभाग के जितने रजबाहे हैं क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी सफाई कितनी बार की गई है?

श्री अध्यक्ष : इस क्वैश्चन का मेन क्वैश्चन से कोई कनैक्शन नहीं है इसलिए no need to reply this question.

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे कालका विधान सभा क्षेत्र में नहरों का किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। उस क्षेत्र में गरीब किसान हैं और उनके लिए सिंचाई विभाग द्वारा वहां पर ट्यूबवैल्ज लगाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्या उन किसानों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, श्री ओमप्रकाश चौटाला की सरकार द्वारा जून, 2002 में हरियाणा स्टेट माईनर इरीगेशन ट्यूबवैल्ज कारपोरेशन बंद कर दी गई थी और उसमें जितने कर्मचारी थे उनको रिट्रैंच कर दिया गया था उनको भी नौकरी हमारी सरकार ने आने के बाद दी है। उसके बाद ट्यूबवैल्ज लगाने का काम इरीगेशन विभाग का नहीं रह गया था इस काम को पहले कारपोरेशन करती थी। उस समय जो ट्यूबवैल्ज

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

थे उनको अगर अब वहां पर जो लोकल सोसायटीज हैं चाहें तो ले सकती हैं माननीय सदस्य अपने हल्के के एरिया के बारे में बता दें तो सरकार वहां पर चैक डैम बना सकती है, वहां पर पानी को स्टोर करके किसान अपने खेतों में पानी दे सकते हैं। ट्यूबवैल्ज लगाना इरीगेशन विभाग का काम नहीं रह गया है। अगर किसान लेना चाहें तो उन ट्यूबवैल्ज को ऑक्शन में ले सकते हैं हम उनको माईनर चार्जिज लेकर दे देंगे और उनको बिजली का बिल भी 300 या 350 रुपये महीने तक देना होगा। लेकिन यह संभव नहीं है कि सिंचाई विभाग वहां पर ट्यूबवैल्ज लगाये।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा हल्का पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन मैं आपको कई गांवों के नाम भी बता सकता हूं जहां पर उबड़-खाबड़ क्षेत्र नहीं है जहां प्लेन एरिया है वहां पर छोटे-छोटे किसान हैं वहां पर कौन ट्यूबवैल्ज लगायेगा? क्या सरकार ने ट्यूबवैल्ज लगाने बंद कर दिये हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैंने पहले ही कह दिया कि सरकार नहीं लगा सकती।

श्री अध्यक्ष : प्रदीप जी, आप बैठिए। मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

Construction of Fruit & Vegetable Market

***290. Sh. Kuldeep Sharma :** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) the time by which the construction work of the international fruit & vegetable market at Gannaur is likely to be completed ; and

(b) whether there will be provision for the poultry and flower market togetherwith the details of the present stage of the planning and execution of the said International Fruit and Vegetable Market at Gannaur ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) :

(a) Sir, the work of construction of Terminal Market Complex at Gannaur is likely to be completed by December, 2012.

(b) Yes, Sir. There is a provision for the poultry and flower market. The M.O.U. for the planning & designing of the Mandi has been signed with the French Consultancy firm SEMMARIS GRESSARD on 17.6.2010 after inviting global tenders. The Firm has confirmed that it will start the work on the project by the IInd week of September, 2010. The execution of the work will start by the second week of August, 2011 and there are going to be facilities like auction halls with electronic remote auctioning system receiving areas and viewing galleries, cold storages, controlled atmospheric chambers, parking and transport areas, shops for wholesalers, warehousing proceesing plots for institutions, corporates, organic food section, farmers retail

market, business part import export house, waste disposal, bio-mass and wormy compost, electrification, water and sanitation services, banks, ATMs, canteens, food plazas, administrative building and rest house and commodity exchange centre, quality testing laboratory, electronically controlled gates and way bridges. So, it is going to be an absolutely modern market costing about Rs. 830 crores in which Rs. 50 crores will come from the Central Government and the rest of the amount will be spent by our Govt. for the benefit of farmers and everybody.

Shri Kuldeep Sharma : Speaker Sir, there is no doubt that this fruit and vegetable market is coming up in my Gannaur constituency. This is going to have an international ramification because it is the first market of its kind. But I would like to know from the Hon'ble Minister that in Gannaur a mandi was carved out for vegetable venders, but subsequently, nobody shifted to that and it was converted into a grain market. Will the vegetable Aadtis and venders of Gannaur Town be given any facility or any shops on priority basis in this market ?

Sardar Paramvir Singh : We will get this examined and send the reply to the Hon'ble Member.

Shri Kuldeep Sharma : As far as 537 acres of land has been acquired, adequate compensation as per the Government's unique policy initiated by the Hon'ble Chief Minister have been given. My question from the Minister is that those who have been ousted from that land will be accommodated in the grant of plots, shops or any other facility? And for that matter will there by any reservation for jobs among the oustees or their dependents?

Sardar Paramvir Singh : This is a policy matter which has to be decided and the Board will have a discussion on this and after that it will come to the Government then the final decision will be taken on this issue.

Shri Kuldeep Sharma : Speaker Sir, will the Hon'ble Minister tell the House that whether there is any oustees policy for this grain market? There is an oustees policy for HUDA. Whether, for Agriculture Marketing Board which is the organization which is executing this work, is there any oustees policy with regard to that? Is it in his knowledge that whether any policy exists in this regard or not ?

Sardar Paramvir Singh : Speaker Sir, I think this is a deviation and this is a separate question altogether and a separate notice is required.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अम्बाला के अंदर अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी बनाने के लिए काफी समय से भूमि एक्वायर की हुई है लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप अम्बाला कहां पहुंच गये। आपको स्पैसीफिक क्वैश्चन पूछना चाहिए।

Shri Anil Vij : Sir, I am asking general question, यह स्पैसीफिक भी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विपक्ष की पार्टी के विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों में भी अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी बनाई जायेंगी? अम्बाला में पांच साल से जमीन एक्वायर हो चुकी है लेकिन आज तक एक ईंट भी वहां नहीं लगी है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, यह अलग सवाल है। प्लीज, आप बैठें। Next Question.

National Highway in the State

***302. Sh. Vinod Bhayana :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state—

(a) the total extent of National Highway in kilometres in the State of Haryana ;

(b) the total investment in terms of cost and kilometres on National Highways from 1999 to February, 2005 and from March, 2005 to till date ; and

(c) the National Highway projects including cost and kilometres that are presently under execution in the State together with the dates of completion thereof?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) The total extent of National Highway in the State of Haryaan is 1457 Kms.

(b) The total investment in terms of cost and kilometres on National Highways from 1999 to February, 2005 is ₹ 503.12 crore and 1378 Kms. respectively and from March, 2005 to till date is ₹ 1753.20 crores and 827 Kms. respectively.

(c) 20 projects of 153 Kms. length worth ₹ 175.76 crore under MoRT&H Funds and 5 projects of 267 Kms. length worth ₹ 2379.60 crore under NHAI are under execution on National Highways in Haryana State. These projects are likely to be completed by the dates as shown in the **Annexure-I & II** placed below.

Annexure-I

STATUS OF ON GOING NH WORKS UNDER THE CONTROL OF STATE PWD

STATE : HARYANA

Sr. No.	NH. No.	Name of work	Sanctioned Amount	Length Km.	Date of Commencement of work	Likely date of Completion*
1	2	3	4	5	6	7
1	10	Widening to 4 lane in km. 186.00 to 187.00 & 187.350 to 191.00 near Agroha Medical	1317.74	4.75	7.09.09	31.10.10
2	10	Four laning in km 252.00 to 254.80 in Sirsa	691.13	2.800	6.03.09	30.09.10
3	10	4 laning in km. 284.800 to 287.00 in vill. Odhan & km. 310.00 to 312.85 in Dabwali town.	1281.87	5.05	19.02.10	31.03.11
4	21A	Paved shouldering & Strenthening in km. 2.20 to 11.20 with regarding in km. 4.50 to 5.00, 5.64 to 6.03, 7.88 to 8.30 & 9.13 to 9.26 (near Pinjore)	1347.92	9.000	4.11.09	15.02.11
5	65	Paved shouldering in km. 197.00 to 212.00 between vill Gangwa to Vill Barwa	1471.28	17.00	17.03.09	30.09.10
6	65	IRQ in Km. 212.00 to 230.500 (except Km. 221.800 to 223.100)	394.79	17.200	17.05.10	30.09.10
7	65	Constn. of side drain in km. 135.00 to 136.00 in vill Danoda, retaining wall in km. 137.100 to 137.500 and extension of culver in km. 136.95 & 139.70	113.02	1.400	01.09.10	31.12.10
8	71	Imp. of Riding Quality in km. 358.550 to 369.160 & 379.00 to 388.650	1170.92	20.26	18.09.09	31.10.10
9	71A	Imp. of Riding Quality in km. 55.300 to 73.290	1068.70	17.990	22.09.09	15.11.10
10	72	Paved shouldering (widening) and strengthening in km. 26.850 to 34.850 between Sahzadpur and Naraingarh	719.79	8.000	9.01.10	31.03.11
11	72	Wdg. Stg. in km. 37.00 to 45.950 i/c 4 laning in Km. 34.85 to 37.00	1418.27	11.10	26.2.10	30.6.11
12	73	Imp. of Riding Quality in km. 89.00 to 111.00	815.35	22.000	21.8.09	15.9.10
13	73A	Wdg., Stg. & raising in km. 0.00 to 2.60.	1006.18	2.600	22.12.09	21.1.11

[Sh. Randeep Singh Surjewala]

Sr. No.	NH. No.	Name of work	Sanctioned Amount	Length Km.	Date of Commencement of work	Likely date of Completion*
1	2	3	4	5	6	7
14	73A	Four laning in km. 2.60 to 5.00 (Jagadhary town portion)	670.77	2.400	10.8.09	15.11.10
15	73A	Paved shouldering, wideining and strengthening in km. 5.00 to 8.00 near Manakpur in Ynr.	518.88	3.000	24.8.09	31.10.10
16	73A	Prdg. Paved shoulders from Km. 8.00 to 13.700 i/c raising of existing carriage way in km. 8.00 to 9.80	691.67	5.70	14.7.09	30.11.10
17	73A	Four laning in km. 25.50 to 28.00 with regarding in km. 25.70 to 26.23 (Khizrabad town portion)	669.17	2.500	2.03.09	15.10.10
18	10	Constn. of 4-lane ROB at RD 255.850 of NH-10 over level crossing no. 143 in Sirsa	1783.39	1.00	29.12.08	30.11.10
19	10	Rhabilitation of H.L. Bride on Ghaggar river at RD 263.84 of NH	115.29	1.00	1.9.10	31.12.10
20	71	Reconstn. of HL Bridge on Barwala branch near Narwana at RD 247.305 of NH.	309.73	1.00	12.1.10	15.11.10
		Total	17575.86	152.75		

*Subject to opening of quarries in Haryana state.

Annexure-II

NHDP Projects in progress in Haryana

Sr. No.	NH. No.	Section	Total Length (Km)	Estimated Total Project Cost (Rs. in crore)	Date of commencement	Status Original date of completion	Likely date of completion*
1	1	6-laning of Panipat Jalandhar Section	291.10 (116 km. in Haryana)	2747.60 (1000 cr. in Haryana)	Mar., 2009	Nov., 2011	March, 2012
2	2	Badarpur Elevated Highway in Km. 16.100 to 20.500	4.40 (1.7 Km. in Haryana)	340 (131 cr. in Haryana)	Dec. 2008	Dec. 2010	Dec. 2010
3	8	6 laning of Gurgaon Kotputli-Jaipur Section	225.60 (65 Km in Haryana)	1896.25 (546 cr. in Haryana)	April 2009 (Appointed date)	Oct. 2011	March 2012

Sr. No.	NH. No.	Section	Total Length (Km)	Estimated Total Project Cost (Rs. in crore)	Date of commencement	Status Original date of completion	Likely date of completion*
4	10	6/4 laning of Delhi-Haryana border to Rohtak Section of NH-10 from Km. 29.700 to 87.000	63.49	486.00	May, 2008	May, 2010	May, 2011
5	22	4-laning of Zirakpur Parwanoo section of NH-22 from Km. 39.860 to 67.000	28.60 (21 km. in Haryana)	295.00 (216.6 cr. in Haryana)	Feb. 2008	Aug. 2010	May 2011
		Total	613.190 km. (267.19 km. in Haryana)	5764.85 crore (2379.60 cr. in Haryana)			

*Subject to opening of quarries in Haryana state

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहूंगा कि मार्च, 2005 से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद से आज तक जो on going projects हैं उन सबकी इनवैस्टमैंट भी हम लगा लें तो भारत सरकार से और देश के प्रधान मंत्री के नेतृत्व से हरियाणा को 4308 करोड़ 56 लाख रुपये मिले हैं जो कि अपने आप में रिकार्ड हैं।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महम के अंदर से जो नैशनल हाई-वे की रोड जाती है वह बाढ़ की वजह से बहुत नीची हो गई थी। जिसके कारण वहां सड़क पर पानी भरता था इसलिए पिछले साल उस सड़क को रेज किया गया था। उस सड़क को रेज करने की वजह से जो बीच में डिवाईडर था वह सड़क के लैवल में आ गया। इसके अलावा वह सड़क ब्लोक्स वगैरा बनाकर नहीं बनाई गई। इसके अतिरिक्त उस रोड़ पर महम में स्ट्रीट लाईटों के लिए पोल लगे हुए हैं लेकिन लाईट नहीं लगी है। इस बारे में मेरी कई बार इंजीनियर-इन-चीफ से बात हुई है और चीफ इंजीनियर से भी बात कर चुका हूं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर कोई दुर्घटना हो सकती है और ज्यादा नुक्सान हो सकता है इसलिए इसको जल्दी से स्टड्स लगवाकर प्रौपर तरीके से बनवाया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम नैशनल हाई-वे अथोरिटी से यह मैटर टेक अप करेंगे और जल्दी ही महम में यह सड़क सही तरीके से बनवा देंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिन स्टेट हाईवेज और नैशनल हाईवेज पर काम जारी है उनकी लम्बी चौड़ी लिस्ट प्रस्तुत की है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में माईनिंग पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है और प्रदेश

[श्री अनिल विज]
में काम प्रगति पर है। यह जो काम चल रहा है इसके लिए मैटीरियल कहां से आ रहा है? मंत्री जी यह बतायें कि क्या सरकार इसके लिए मैटीरियल उपलब्ध करवा रही है या जो लोग काम कर रहे हैं वे चोरी करके मैटीरियल ले रहे हैं या दूसरी स्टेट्स से मंगवा रहे हैं? (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य श्री अनिल विज और सदन को बताना चाहूंगा कि ये दो बातों में तथ्यों से भटक गये हैं। पहली बात तो इन्होंने यह कही है कि जो सरकार ने सदन के पटल पर माननीय सदस्य श्री विनोद भयाना के प्रश्न के जवाब में इनफर्मेशन रखी है उसमें स्टेट हाईवेज की भी चर्चा है। पहली बात तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि स्टेट हाईवेज की इस जवाब में कोई चर्चा नहीं है। विज साहब इस मामले में थोड़ा दुरुस्ती कर लें। दूसरी बात इन्होंने यह कही कि हाईकोर्ट का स्टे है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी यह बात भी तथ्यों के विपरीत है। स्पीकर सर, अभी मैंने लोकदल के माननीय सदस्यों श्री परमिन्द्र ढुल और श्री हरी चंद मिड्ढा द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बैंच ने 01 मार्च, 2010 को ऑन-गोईंग लिटीगेशन में स्टे दिया है। हालांकि यह बात भी सच है कि यह केस हाईकोर्ट के अंदर भी पैंडिंग है। ये मामला इस समय ग्रीन बैंच के पास विचाराधीन है। हमने हाईकोर्ट को सैपरेटली यूज किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जो इन्वायरनमैंटल क्लीयरैंसिज का प्रोसीज़र है, वह डिस्प्यूट हाईकोर्ट के अंदर पैंडिंग है। उसके लिए हमने केस को मूव किया हुआ है। इसके अलावा जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों के कामों का प्रश्न है इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सारी स्टोन क्वैरीज बंद हो गई है और क्वैरी मैटीरियल कहीं पर भी नहीं मिलता। जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली में कॉमनवैल्थ गेम्ज चल रही है जिसके लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं, दूसरी तरफ ताज एक्सप्रेस हाईवे पर भी काम चल रहा है और हरियाणा के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों में भी अनेक प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं इन सबके कारण क्वैरी मैटीरियल दूर से आने के कारण थोड़ा महंगा जरूर मिलता है। इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर को क्वैरी मैटीरियल उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नहीं है। यह बात सच है कि पड़ोस के राज्यों से अभी भी क्वैरी मैटीरियल आता है। हमने यह तय किया हुआ है कि जो क्वैरी मैटीरियल है उसे कॉन्ट्रैक्टर लेकर आयेगा और उससे वह सड़क बनायेगा।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker : No. No. Vij Sahib, please take your seat. Nothing is to be recorded. I will not allow you to speak now. (Noise & interruption) You can put your question again. Please take your seat now. (Noise & Interruption)

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गन्नौर और समालखा के मुकाबले पलवल काफी बड़ा शहर है वहां पर हमें भी नई एक्वायरमैंट के नोटिस मिले हैं इसलिए हमें भी नेशनल हाईवे की प्रपोजल दी जाये।

भी नई एक्वायरमैंट के नोटिस मिले हैं इसलिए हमें भी नेशनल हाईवे की प्रपोजल दी जाये ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैंने माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है इसको हम कंसीडर करवायेंगे । हम एग्जामिन करवाकर और प्रपोजल मंगवाकर इस पर विचार करेंगे ।

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : स्पीकर सर, जो जगाधरी से वाया साहा-बरवाला पंचकूला आने वाली सड़क है जो कि नेशनल हाईवे नम्बर 73 है इसकी फोर लेनिंग की केन्द्र सरकार से मंजूरी हो चुकी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नेशनल हाईवे नम्बर 73 पर फोर लेनिंग का काम कब तक शुरू हो जायेगा ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी बताया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजैक्ट की मंजूरी के लिए भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मीटिंग की थी । यह हमारा सबसे पुराना लॉंग स्टैंडिंग प्रोजैक्ट था जिसे अब भारत सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया है । इस समय यह मामला टैण्डरिंग पर चला गया है । इसकी टैण्डर एलोकेशन के बारे में हैंडी फिगर्ज मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं इसलिए माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में आ जायें मैं पूरी जानकारी लेकर इनको बता दूंगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 311

(इस समय माननीय सदस्य श्री नरेश सेलवाल सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया ।)

Total Kilometres of New Road

***306. Shri Raghubir Singh Tewatia :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) the total kilometres of new roads constructed from 1999-2000 to February, 2005 and from March, 2005 to till date including expenditure incurred thereon; and

(b) the total kilometres of roads improvement during the above said periods including expenditure thereon ?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir,

(a) from 1999-2000 to February 2005, 303 kilometeres of new roads have been constructed by the department at an expenditure of Rs. 31 crore. From March, 2005 till date, 753 kilometres of new roads have been constructed at an expenditure of Rs. 199 crore.

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

(b) from 1999-2000 to February 2005, 19206 kilometres of roads were improved at an expenditure of Rs. 1880 crore and from March, 2005 till date 23130 kilometres road length have been improved at an expenditure of Rs. 6784 crore.

स्पीकर सर, इसके अलावा स्कीमवाईज डिवीजन मेरे पास उपलब्ध है अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं वह भी बता दूंगा।

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्कीमवाईज डिवीजन के बारे में भी जानना चाहता हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्कीमवाईज डिवीजन मांगी है उसमें सबसे पहले अगर आर.ओ.बी. की बात की जाये तो सन् 2000-2001 से लेकर 2004-2005 तक कोई भी रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनाया गया और जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस की सरकार आई तो 333.68 करोड़ रुपये की लागत से 19 आर.ओ.बी. बनाये गये हैं और साथ ही साथ 244.56 करोड़ की लागत से 10 आर.ओ.बी. इस समय प्रोग्रैस में हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का हम जिक्र करें तो वर्ष 2000-01 से लेकर 2004-05 तक 129.47 करोड़ रुपये खर्च हुए और 791 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को अपग्रेड किया गया। इसके विपरीत 2005-06 से लेकर 2009-10 तक 1027 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके अलावा 1344.13 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट हम सैंक्शन कर चुके हैं जिससे 3374 किलोमीटर सड़कें इम्प्रूव होंगी और 3119 किलोमीटर सड़कें इससे इम्प्रूव की गई हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000-01 से लेकर 2004-05 तक केवल 52 करोड़ रुपये खर्च किये गये जबकि वर्ष 2005-06 कांग्रेस सरकार के गठन के बाद 21 रोड प्रोजैक्ट सैंक्शन हुए जिससे 623 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें हैं जिसमें 9 आर. ओ.बी. आते हैं और वे 1786 करोड़ रुपये की लागत से सैंक्शन हुए हैं। इनमें से 1174 करोड़ रुपये एन.सी.आर. क्षेत्र में खर्च हो चुके हैं जिसमें आर.ओ.बीज. का एक्सपैंडीचर भी शामिल है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से सड़कों की वाइडनिंग और स्ट्रैंथनिंग का जहां तक संबंध है तो वर्ष 1999 से लेकर 2005 के बीच में लगभग 2323 किलोमीटर सड़कों को इम्प्रूव किया गया जबकि 2005-10 के बीच 5605 किलोमीटर सड़कें इम्प्रूव हुई। इसी प्रकार से जो नाबार्ड का खर्च है वह 2000-01 से लेकर 2004-05 तक 72.83 करोड़ रुपये है और 2005-06 से लेकर आज तक 561 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसी प्रकार से 602 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट 1500 किलोमीटर सड़क के लिए मंजूर हुए और 561 करोड़ रुपये का एक्सपैंडीचर हुआ जिससे 1067 किलोमीटर सड़कें इम्प्रूव हुई हैं। इसी प्रकार से 2000-01 से लेकर 2004-05 तक 22 ब्रिज 19.18 करोड़ की लागत से पूरे हुए। इसके विपरीत कांग्रेस के शासनकाल में 44 ब्रिजिज लगभग 89 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार से 2 ब्रिज साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से इस समय प्रोग्रैस में हैं। सी.आर.एफ. (Central Road Fund) के तहत 2000-01 से 2004-05 तक टोटल बजट प्रोविजन 165 करोड़ रुपया हुआ जिसमें से केवल 140 करोड़ रुपये ही खर्च हुए।

इसके विपरीत 2005-06 से 2009-10 के बीच में 329 करोड़ रुपये टोटल बजट हुआ और 348 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया 783 करोड़ रुपये के हमने एस्टीमेट मंजूर करवा लिए और 520 किलोमीटर सड़कें इम्प्रूव हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यह इनके पास एक साल का मैटीरियल हो गया। अब आप बैठ जाइये।

डॉ. बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, जगाधरी शहर के अन्दर इन्होंने सड़क बनवाई है और उस सड़क को इन्होंने चार फीट ऊंचा उठा दिया है जिसकी वजह से वहां के मकानों और कोठियों में रहने वाले लोगों को उतरना और चढ़ना मुश्किल हो गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर इतना ऊंचा उठाने की क्या जरूरत थी जबकि वहां पर फ्लड भी नहीं आता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह कहना चाहूंगा कि अगर वहां पर कोई समस्या है तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर भिजवा दें, चाहे हमें वहां पर ड्रेनेज का इंतजाम करवाना पड़े हम करेंगे। (विघ्न) पानी इक्ट्ठा होने की समस्या सभी शहरों में है। स्पीकर सर, आप भी एक छोटे से कस्बे की नुमायंदगी करते हैं, मैं भी एक कस्बे की नुमायंदगी करता हूं और सैनी जी भी एक कस्बे की नुमायंदगी करते हैं। सभी शहरों में पानी ठहराव की समस्या है। ये हमें उस बारे में लिखकर भिजवा दें हम वहां पर ड्रेनेज का इंतजाम करवा देंगे।

Amount of Subsidy/Grant to Power Utilities

*267. **Shri Krishan Pal Gurgar :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the amount of subsidy/grant given to the state power utilities and yearwise details thereof from financial year 2000-01 to financial year 2009-10;

(b) the formula used by the State Government to arrive at the compensation amount payable to the State Power distribution utilities for subsidized sale of electricity at 25 paise per unit to the Agriculture consumers; and

(c) the profits/losses of the State Power utilities year-wise from the financial year 2000-01 to 2009-10?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

विवरण

(ए) राज्य विद्युत निगमों को दी गई आर.ई. सबसिडी/ग्रांट तथा वर्ष अनुसार उनका वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2009-10 तक का विवरण निम्न तालिका पर दिया गया है।

रुपये करोड़ों में

वर्ष	आर.ई. सबसिडी की राशि
2000-2001	712.36
2001-2002	763.54
2002-2003	829.10
2003-2004	923.88
2004-2005	1102.00
2005-2006	1392.04
2006-2007	1733.13
2007-2008	2560.18
2008-2009	2998.65
2009-2010	2771.08

(बी) नलकूप उपभोक्ताओं को दी गई सबसिडी की गणना हरियाणा विद्युत आयोग द्वारा की जाती है जो एक वर्ष में नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा अनुमानित विद्युत उपभोग करने के आधार पर होती है। कृषि उपभोक्ताओं को दी गई बिजली की लागत के आंकड़ों के निर्धारण की गणना ए.पी. उपभोक्ताओं पर लागू टेरिफ प्रति यूनिट के आधार पर की जाती है।

(सी) निगम अनुसार हरियाणा विद्युत निगमों का लाभ तथा हानि निम्न प्रकार है —

विद्युत क्षेत्र लाभदायक विवरण (रुपये करोड़ों में)

वर्ष	ह.वि.उ.नि.लि.	ह.वि.उ.नि.लि.	वितरण निगम
2000-01	0.00	0.03	-98.13
2001-02	0.00	0.04	-190.81
2002-03	0.00	4.35	16.9
2003-04	0.00	166.10	69.93
2004-05	-35.03	0.61	-413.68
2005-06	-0.80	-109.91	-329.65
2006-07	0.63	-13.87	-414.78
2007-08	1.95	143.13	-781.35
2008-09	35.74	60.49	-1483.65
2009-10*	110.65	104.09	-1658.23

*अस्थायी

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 2005 में सरकार ने किसानों के बिलों की माफी के तौर पर 1600 करोड़ रुपये की एक स्कीम दी थी और लोगों के बिल उस स्कीम के तहत माफ किए थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की वह स्कीम सफल हुई थी अगर वह स्कीम सफल हुई थी तो क्या उस स्कीम को दोबारा से लाने की कोई योजना इस सरकार की है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका जो सवाल है उसका जवाब सदन की पटल पर है। इन्होंने उस बिल माफी का जिक्र कर दिया जो कभी इनके जमाने का ही मामला था। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज की सरकार है उसने इनकी गलती को किसानों के हित के लिए सुधारा है। उस वक्त तकरीबन 1700 कुछ करोड़ रुपए के बिलों की देनदारी का किसानों का बकाया था। उसमें से 1100 करोड़ रुपये का फायदा चाहे वे डोमैस्टिक बिल थे चाहे एग्रीकल्चर के बिल थे उन सैक्टरों में किसानों को फायदा मिला है। बाकी जो सरचार्ज और दूसरे बकाया 1700 करोड़ रुपये में थे वे यूटिलिटीज पर ही रहा। उस यूटिलिटी पर रहने के कारण ही सबसिडी का बोझ भी सरकार के ऊपर आ पड़ा है।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि इनकी बिल माफी की स्कीम क्या सफल हुई है या असफल हुई है? अगर वह स्कीम सरकार की सफल हुई है तो क्या उस तरह की स्कीम सरकार की फिर से लाने की योजना है या नहीं है? मंत्री जी केवल इस बारे में जवाब दे दें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई भी स्कीम जो जनहित में कोई सरकार लाती है तो उसमें अपनी सारी सोच और अपने सारे एक्सचैकर आदि को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेती है। उस पालिसी का मकसद भी यही था कि बहुत समय से जो किसान बिल न देने के कारण से बिलों के बोझ में दब गया था उससे उनको निजात मिल जाए। अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय पहले की पूर्ववर्ती शासकों के वक्त में हुआ था कि जब उनकी सरकार आएगी तो किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिये जाएंगे इसलिए वे बिल न दें। जिसकी वजह से उन्होंने बिल पे करने बंद कर दिए। इस वजह से उन किसानों पर इतना बोझ आ गया कि वे उन बिलों को देने में असमर्थ हो गए। अध्यक्ष महोदय, आप भी किसानों की स्थिति को जानते हैं। उसी वजह से मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष निर्णय किसानों के हित में लिया और उनके उन बिलों को इन्होंने अपनी कलम से माफ किया। अध्यक्ष महोदय, उस स्कीम से उन किसानों को फायदा हुआ है जिन्होंने उस स्कीम का फायदा उठाया है। इसके अलावा जो अच्छे रैगुलर पेयर थे उनके लिए भी स्कीम शुरू की थी चाहे उसमें उनको थोड़ा ही फायदा मिला। लेकिन उनको भी फायदा मिला था। अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम को एक बार नहीं बल्कि 16 बार बढ़ाया गया था। अध्यक्ष महोदय, उस स्कीम की कामयाबी के लिए भरसक कोशिश सरकार ने की है और लोगों को फायदा भी दिया है। जहां तक इन्होंने भविष्य की बात की है तो यह आगे की बात है। इस स्कीम को हमारी सरकार ने 16 बार बढ़ाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Gurjar Sahib, please listen. (Noise and interruption) This is not the way. (Noise and interruption) Nothing is to be recorded. (Noise and interruption) मिनिस्टर साहब, आप भी बैठिए। गुर्जर साहब, आप मेरी विनती सुनें कि कृपया बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो। आप तो बोलना शुरू कर देते हो और बाद में मुझसे पूछते हो। This is not the way. अब अरोड़ा साहब, अपना सवाल पूछेंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके सवाल का जवाब तो आ गया है। इनका सवाल यह नहीं था बल्कि इनके सवाल तो और हैं जिनके जबाव सदन के पटल पर मौजूद हैं। इन्होंने तो सवाल से एक अलग सवाल किया है और उसके लिए मैंने बता दिया कि इन-इन परिस्थितियों में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की पौपुलर सरकार ने वन टाईम पौलिसी को 16 बार बढ़ाया है।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आप पूछे।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, * * *

Mr. Speaker : I say 'No' Nothing is to be recorded whatever he is saying. अजीब सी बात है आप सुनते ही नहीं है। मैंने अब अरोड़ा साहब को बोलने के लिए कह दिया है and he is on his legs. आपको बोलने के लिए बाद में मौका दिया जाएगा अभी आप बैठिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बतलाया कि 1600 करोड़ रुपये के बिजली कि बिल माफ करे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस समय इनकी सरकार बनी उस समय किसानों की तरफ कितने बिल बकाया थे और अब कितने बकाया हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद कहा है कि 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करे हैं लेकिन आज ये बता दें कि यह कितने और बकाया हैं। दूसरा मेरा एक सवाल और है कि जो लोग रैगुलर बिल भरते हैं क्या सरकार की उनको कोई इन्सैंटिव देने की योजना है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए तो इनको सैपरेट नोटिस देना चाहिए। जो रैगुलर पेयर्ज रहे हैं जो रैगुलर बिजली के बिल देते रहे हैं उनके लिए बिलों में पांच परसैंट सरकार ने बैनीफिट दिया है। जो लगातार दस किश्तें भरते रहे हैं उनके लिए यह बैनीफिट दिया है।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, अब आप पूछें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, बहुत बढ़िया जवाब आ गया है लेकिन आप समझे नहीं है, आपने सुना नहीं है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब के सवाल में ही मेरा सवाल भी था। अगर वह स्कीम सफल हुई होती, तो ये बता देते। मेरे सवाल का जवाब तो नहीं

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

आया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 1700 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करने की बात ये कह रहे हैं तो 1100 करोड़ रुपये तो सरकार ने दे दिए लेकिन बकाया 600 करोड़ रुपये किसानों का किसने जमा करवाना था और अब तक किसानों को जो 600 करोड़ रुपये की राहत ब्याज के रूप में देनी थी वह क्यों नहीं दी, क्या मंत्री जी इस बारे में बताएंगे?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक 600 करोड़ रुपये की ये बात कर रहे हैं यह 647 करोड़ के लगभग सरचार्ज की राशि थी जो 1700 करोड़ रुपये में ही शामिल हुई। यह निगम यूटिलिटीज के ही जिम्मे रही और उसको खुद ही उन्होंने दिया लेकिन यह सबसिडी में आ गयी जो सरकार को ही देनी पड़ी। इसमें जो सबसिडी बढ़ी है यह भी उसी के पार्ट में आ गयी जो अलग से किश्तों में सरकार को देनी थी। जहां तक सफलता और असफलता की बात है मैंने बताया कि कोई भी ऐसी स्कीम जो जनहित में हो उसके लिए इस सरकार ने निर्णय लिया था। उनके लिए यह स्कीम सफल रही जिनको इसका बैनीफिट मिला। लेकिन जो बैनीफिट नहीं ले सका तो उनके लिए इसका क्या प्रभाव रहा है वह एक अलग बात है। अच्छी स्कीम गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए होती है उसको ही इसका फायदा मिलता है और उसके लिए ही यह सफल स्कीम थी। सरकार की नीतियों के मुताबिक यह ठीक रास्ता था जो निकालने की कोशिश की गयी। पुरानी कमियों को दुरुस्त करने के लिए, उनको स्ट्रीम लाईन में लाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया गया और किसी हद तक उनका फायदा भी मिला और स्कीम कामयाब भी रही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : I have not allowed you Mr. Gurjar. Now, Chautala ji you may speak. (Interruptions) I have allowed only Chautala ji to speak. (Interruptions) Please take your seats. (Interruptions) Nothing is to be recorded. Please take your seats.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कह रहा था कि --

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, ना इधर का कुछ रिकार्ड हो रहा है न उधर का कुछ रिकार्ड हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से बार-बार बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए। अभी मंत्री जी ने यह बताया कि अतीत की सरकारों की पौलिसी की वजह से कर्ज बढ़ता रहा, बकाया बढ़ते रहे तब सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके तहत 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किये गयें मैं कहता हूं कि सरकार ने अच्छा निर्णय लिया लेकिन सरकार यह तो बताए, मंत्री जी तो शायद इस बारे में नहीं बता पाएंगे इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब आपने सारा बकाया माफ कर दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अब किसी के जिम्मे कोई बकाया नहीं है। इसका तो इसी बात से पता लग जाएगा कि आज किसानों के जिम्मे कितना बकाया है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : It is not possible to reply. इस बारे में तो सैपरेट क्वैश्चन आए कि आज किसानों के जिम्मे कितना कर्जा या बकाया खड़ा है। अगर आप सीधा सवाल करें तो ये गांव दर गांव भी बता सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, यह सवाल इसी से जुड़ा है। यह इसी का पार्ट है।

Mr. Speaker : No.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, यह सवाल इसी से जुड़ा है। सरकार यह दावा करती है कि हमने सारा बकाया माफ कर दिया तो इसके बाद तो कोई बकाया नहीं रहना चाहिए था। आज बकाया की जो संख्या है वह मैं लगभग में ही कहना चाहूंगा क्योंकि अन्यथा तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन के लिए तैयार ही बैठे हो, फिर कह दोगे कि इसने हाउस को गुमराह किया। इसलिए सरकार यह बताए कि किसानों के जिम्मे आज कितना बकाया है उससे यह जाहिर हो जाएगा और सरकार के झूठ का चौराहे पर पुलिंदा खुल जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It is not possible to reply.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह पौसिबल क्यों नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह पौसिबल है।

श्री अध्यक्ष : आपका यह जो सवाल है इस बारे में जुबानी कैसे किसी को याद रहेगी या तो पहले आपका सवाल आया हो, मंत्री जी ने उसकी तैयारी की हो और वे सदन में उसका जवाब दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह सरकार निरंतर लोगों को गुमराह कर रही है, एक नया पैसा भी माफ नहीं हुआ है। * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो ये सवाल किया गया है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सरकार बिल्कुल सत्य बात कहती है। हकीकत तो यह है कि इन्होंने स्कीम ही नहीं पढ़ी। पहले ये स्कीम पढ़ लें। स्कीम यह थी कि जो व्यक्ति अपने रैगुलर बिल देना शुरू करेगा उसको हम ढील देते जाएंगे। 12 लाख के करीब डिफाल्टर थे जिनको इसका बैनीफिट मिलना था, उनमें से 9 लाख के करीब ने रैगुलर बिल देना शुरू किया है और इस प्रकार इस स्कीम का 9 लाख लोगों को फायदा हुआ है। इनकी इस बात में कोई रुचि ही नहीं है। इनको किसी बात का पता ही नहीं है कि क्या फायदा हुआ है। इनका ही खराब किया हुआ काम था उसको हमने सुधारा है। इनका तो ये नारा था कि न मीटर होगा न रीडर होगा। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने लोगों को इन बातों से गुमराह करके वोट लिये और सत्ता में आए। मैं कहना चाहूंगा कि पहले ये स्कीम पढ़ कर आयें कि कितना फायदा इससे हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यदि इनकी नीति ठीक होती तो ये जब पांच साल के लिए आये थे उसके बाद

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

बिल्कुल बाहर हो गए। उसके बाद अगले पांच साल हम रहे और हमारे अच्छे काम को देखकर फिर हमें पांच साल के लिए चुनकर भेजा है। (थम्पिंग) (शोर एवं व्यवधान)। ये बताएं कि इनके कितने मैंबर चुनकर आए हैं, कौन पूछता है इनको। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यदि आप कहते हो कि ये बात ठीक है तो आप यह बताएं कि इस मुद्दे पर क्या आप श्वेतपत्र जारी करने को तैयार हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कंडेला में इन्होंने जो किसान मरवाए थे उनको हमने शहीद डिक्लेयर किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक दुअन्नी किसी की माफ नहीं की।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये क्वैश्चन ऑवर है। हर बात पर भाषण देंगे तो कैसे काम चलेगा? (शोर एवं व्यवधान)

Rajiv Gandhi Drinking Water Project, Mewat

***315. Shri Ram Niwas Ghorela :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) the details of Rajiv Gandhi Drinking Water Project, Mewat including its framework, length of pipes laid, number of rainy wells and boosting stations and total cost thereof ;

(b) the time by which the Rajiv Gandhi Drinking Water Project ; Mewat is likely to be completed ; and

(c) whether any independent audit has been conducted of the partially executed phase of the Schemes togetherwith its findings?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir,

(a) Rajiv Gandhi Drinking Water Project, Mewat costing Rs. 425.00 crores was undertaken to address the gigantic issue of scarcity of drinking water for a projected population upto the year 2034 in 503 villages of District Mewat due to deterioration in quality as well as quantity of ground water. Work on Phase-I (Stage-I) of the Project amounting to Rs. 205.91 crores, commenced in April, 2005. National Capital Region Planning Board (NCRPB) has provided 75 percent cost of project as loan to the Haryana Government and balance 25 percent of the cost is being borne by the State Government out of its own resources. The salient features of the project are :—

- Total cost (Phase-I Stage-I) : Rs. 205.91 Crores
- No. of villages benefited : 503

[Shri Randeep Singh Surjewala]

• Population benefited	: 15,82,874 (year 2019)
• Water supply allowance	: 55 lpcd
• No. of Rainy Wells	: 3 (1 at Rahimpur & 2 at Maholi of 10 MLD capacity each)
• No. of Deep Tubewells	: 12 at Rahimpur
• No. of Main Boosting Stations	: 4
• No. of Intermediate Boosting Stations	: 11
• No. of Subsidiary Boosting Stations	: 342
• Length of Rising Mains of sizes 100 mm to 900 mm diameter	: 669.6km
• Length of distribution pipe lines of sizes 100 mm to 150 mm diameter	: 861 km
• Number of Tubewells	: 305 Nos.
• Number of Recharge Wells	: 283 Nos.
• Number of Boosting Stations	: 64 Nos.

(b) Phase-I, Stage-I of the Project costing Rs. 205.91 crores has been completed except for augmentation of 10 villages of Leg-I of Rainy well Segment which are likely to be completed by 20.9.2010.

Phase-I Stage-II of the Project which has been approved for Rs. 94.58 crores by NCRPB during November, 2009 for raising the water supply allowance from 55 lpcd to 70 lpcd is likely to be completed by March, 2012.

(c) Yes, Sir.

The technical appraisal of the leg-II of the Rainy Well segment has been got done through Jamia Millia Islamia Institute, New Delhi, who had made on the spot study for assessment of technical performance of the infrastructure, satisfaction of residents as regards to quality and quantity of drinking water.

As per the report submitted by the Jamia Millia Islamia Institute, New Delhi, people in large are contended with implemented Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Scheme for District Mewat. The survey report indicated that 69% people are satisfied, 17% are partially satisfied and 14% people are dissatisfied.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Total Number of Sub-Stations

*304. **Sh. Zile Ram Sharma :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the total number of 400 KV, 220 KV, 132 KV, 66 KV and 33 KV sub-stations constructed in the State of Haryana from 1999 to February, 2005 and from March, 2005 till date including those which are under implementation and the likely period of their completion ; and

(b) the total cost/investment made by Government of Haryana in setting up these sub-stations from 1999 to February, 2005 and from March, 2005 till date including for those which are under implementation ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान, सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक उपलब्धियां

राज्य में जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक उपलब्धियां 823.11 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रसारण तथा वितरण निगमों ने 121 नए उपकेन्द्र निर्मित किए हैं, 316 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की है तथा 1990.225 किलोमीटर सम्प्रेषण लाइनें बिछाई हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

श्रेणी	नए उपकेन्द्र		वृद्धि		सम्प्रेषण लाइनें	
	संख्या	लागत (रुपए करोड़ों में)	संख्या	लागत (रुपए करोड़ों में)	किलोमीटर	लागत (रुपए करोड़ों में)
220 के.वी.	12	148.11	26	53.56	741.965	135.56
132 के.वी.	36	136.18	65	63.22	483.343	56.55
66 के.वी.	21	53.12	56	35.89	220.800	35.80
33 के.वी.	52	41.00	169	48.18	544.117	15.94
योग	121	378.41	316	200.85	1990.225	243.85

मार्च 2005 से जुलाई 2010 तक उपलब्धियां

राज्य में सम्प्रेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, सम्प्रेषण तथा वितरण निगमों ने मार्च 2005 से जुलाई 2010 तक 2055.98 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 220 नए उपकेन्द्र बनाए, 416 चालू उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की तथा 2891.989 किलोमीटर सम्प्रेषण लाइनें बिछाई हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

श्रेणी	नए उपकेन्द्र		वृद्धि		सम्प्रेषण लाइनें	
	संख्या	लागत (रुपए करोड़ों में)	संख्या	लागत (रुपए करोड़ों में)	किलोमीटर	लागत (रुपए करोड़ों में)
400 के.वी.	1	103.00	1	--	88.100	54.70
220 के.वी.	9	215.52	39	130.74	757.695	226.85
132 के.वी.	37	267.90	91	193.99	592.561	162.09
66 के.वी.	23	123.96	75	154.93	289.752	62.33
33 के.वी.	150	196.07	210	95.57	1163.881	68.26
योग	220	906.45	416	575.23	2891.989	574.23

आगामी 2 वर्षों के लिए कार्यक्रम

राज्य ने उपभोक्ताओं को गुणवत्ता परक तथा विश्वनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए, अपने सम्प्रेषण एवं वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ तथा विकसित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। 4357.16 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 192 नए उपकेन्द्रों, चालू 109 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि तथा 4097.35 कि.मी. की सम्प्रेषण लाइनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर / कार्य शुरू किये जाने हैं, जो अगले दो वर्षों में पूर्ण होंगे व इसका विवरण नीचे दिया गया है :--

श्रेणी	नए उपकेन्द्र		वृद्धि		सम्प्रेषण लाइनें	
	संख्या	लागत (रुपए करोड़ों में)	संख्या	लागत (रुपए करोड़ों में)	किलोमीटर	लागत (रुपए करोड़ों में)
400 के.वी.	6	585.00	--	--	477.000	436.00
220 के.वी.	31	981.00	9	54.38	1301.700	743.17
132 के.वी.	33	320.61	36	90.10	863.500	264.78
66 के.वी.	21	278.38	16	38.02	700.100	258.47
33 के.वी.	101	225.05	48	40.17	755.050	42.03
योग	192	2390.04	109	222.67	4097.350	1744.45

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों (2)29 के लिखित उत्तर

To Increase the Capacity of Minors

***192. Sh. Parminder Singh Dhull :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Brar Khera Minor, distributary No. 3 & No. 4 and the Kila-Jafargarh Minor passing through the Julana Assembly Constituency ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, केवल किला जफरगढ़ माईनर की क्षमता को 37.8 क्यूसिक से 42.24 क्यूसिक तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव है।

Construction of Sports Studium at Sonepat

***224. Smt. Kavita Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Sports Stadium equipped with the modern facilities in Sonepat city ; and

(b) if so, the time by which the construction work of the above said Sports Stadium is likely to be started ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) जी हां।

(ख) निदेशक, शहरी सम्पदा, हरियाणा के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दिनांक 22.02.2010 को 104.05 एकड़ भूमि, सैक्टर 4, सोनीपत में जिला खेल परिसर निर्माण के लिए अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी कर दी हैं स्टेडियम का निर्माण भूमि अधिग्रहण के बाद करवाया जा सकेगा।

अन्तिम छोर तक नहरी पानी

***202. श्री राम पाल माजरा :** क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या राज्य में नहरी पानी अन्तिम छोर तक पहुंच रहा है तथा राज्य में कुल अन्तिम छोरों का सर्कलवार ब्यौरा क्या है ; तथा

(ख) राज्य में उन अंतिम छोरों की संख्या कितनी है जिनमें पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) नहीं श्रीमान जी। राज्य में पानी सभी नहरों के अन्तिम छोरों पर नहीं पहुंच रहा है। राज्य में कार्यरत 17 जल सेवाएं परिमण्डलों में कुल 1276 अन्तिम छोर हैं। 1042 चैनलों के अन्तिम छोरों पर पानी पहुंच रहा है। परिमण्डल अनुसार अन्तिम छोरों का विवरण निम्नानुसार है --

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

क्रम संख्या	परिमण्डल का नाम	अन्तिम छोरों की संख्या
1.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, करनाल	70
2.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, सोनीपत	33
3.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, दिल्ली	10
4.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, फरीदाबाद	36
5.	हथनीकुण्ड बैराज परिमण्डल, जगाधरी	6
6.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, जीन्द	74
7.	सतलुज यमुना सम्पर्क परिमण्डल, अम्बाला	31
8.	भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल, कैथल	99
9.	भाखड़ा जल सेवाएं-I परिमण्डल, हिसार	138
10.	भाखड़ा जल सेवाएं-II परिमण्डल, हिसार	69
11.	भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल, सिरसा	109
12.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, रोहतक	109
13.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी	163
14.	झज्जर जल सेवाएं परिमण्डल, रोहतक	49
15.	लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी	127
16.	जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं परिमण्डल, रिवाड़ी	63
17.	जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं परिमण्डल, नारनौल	90
	योग	1276

(ख) राज्य में 234 चैनलों के अन्तिम छोरों पर पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है।

Shortage of Staff in the G.H., Bhiwani

*278. **Shri Ghanshyam Saraf :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) whether there is shortage of Staff and other facilities in the General Hospital of Bhiwani.

(b) whether there is shortage of maternity doctors in Bahal and Manheru villages ; and

(c) whether it is a fact that Cobalt-Theraphy Machine which was supplied to the General Hospital, Bhiwani has been shifted to any other place if so, the reason thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) श्रीमान जी, सामान्य अस्पताल, भिवानी में अमले की कुछ कमी है, परन्तु वहां पर अन्य सुविधाओं की कमी नहीं है।

(ख) हां, श्रीमान जी।

(ग) हां, श्रीमान जी, मशीन को पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक को स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि कैंसर रोगियों के लिए इसका बेहतर उपयोग किया जा सकें।

Repair of CHC and Providing of Staff

***214. Shri Kali Ram :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to repair the old building of C.H.C. in village Kalwa (Safidon Constituency) and to provide required staff there ; if so, the time likely to be taken for repair and providing of staff ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : जी नहीं, श्रीमान्, यद्यपि और अधिक डाक्टरों को लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

Replacement of C.I. Pipes in Narwana City

***236. Sh. Pirthi Singh:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the decayed C.I. pipes in Narwana city which were laid 30-35 years ago ; and

(b) whether it is a fact that an announcement to lay the sewerage system in the colony across the railway line in Narwana city was made by the Public Health Engineering Minister during the year, 2008 but the work has not been started thereon so far ; if so, the time by which the said work is likely to be started thereon ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) पुरानी सी.आई./डी.आई. पाईप को बदलना एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा समय-समय पर विभागीय आंकलन तथा लोगों की शिकायतों के आधार पर इन्हें बदल दिया जाता है। नरवाना में सी.आई. पाईप के खराब होने की कोई शिकायत नहीं है। फिर भी पिछले 3-4 वर्षों में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा लगभग 5000 मीटर पाईप को बदला गया है।

(ख) रेलवे लाईन सीवर पाईप लाईन बिछाने का कार्य 410 लाख रुपये के अनुमान के अधीन प्रारम्भ किया जा चुका है तथा लगभग 15 प्रतिशत

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

कार्य सम्पन्न हो चुका है। शेष कार्य जुलाई, 2011 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है।

Provision of Real Time Display Unit

***227. Col. Raghbir Singh:** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Real Time Display Unit at the consumer premises for their information to indicate the electricity consumed by the consumer where the licensee has installed the Meters out side the premises of the consumer; if so, the time by which these instructions of Central Electricity Authority are likely to be implemented ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : नहीं, श्रीमान्।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Bus Stand at Agroha

47. Shri Naresh Selwal : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bus stand at Agroha ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : हां, श्रीमान् जी।

To Declare Uklana as Sub-Division

48. Shri Naresh Selwal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare the Uklana-Mandi as a Sub-Division?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी।

Problem of Drinking Water

48. Shri Naresh Selwal : Will the Public Health Englineering Minister be pleased to state—

(a) whether it is fact that there is a great problem of drinking water in the village Gianpura and there is an urgent need of water works in the said village ; if so, the time by which the said water works is likely to be constructed ;

(b) whether it is a fact that water is being supplied in water works of village Kuleri through a small minor which runs for a week in a month and sufficient drinking water cannot be stored in the said water works due to the connection of the water works at the tail of the minor ; and

(c) if so; whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the said water works through Fatehabad Branch near Gorakhpur ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) नहीं, श्रीमान्, सवाल ही नहीं उठता ।

(ख) नहीं, श्रीमान् अग्रोहा माईनर की पानी की 8 दिन के लिए बारी, पानी की उपलब्धता अनुसार, 24 दिन और 32 दिन के बाद आती है। पानी एकत्रित करने की क्षमता पर्याप्त है, परन्तु यह तथ्य है कि जलघर के लिए कनैक्शन माईनर के अन्तिम छोर की तरफ है।

(ग) नहीं, श्रीमान्, किशनगढ़ सब ब्रांच के माध्यम से पम्पिंग की संभावना सुनिश्चित की जा रही है। किशनगढ़ सब ब्रांच कुलेड़ी जलघर से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी से गुजरती है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion from Shri Anil Vij. (Noise).

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैंने, श्री रामपाल माजरा जी ने और श्री कृष्ण लाल पंवार जी ने आपको एक गैर-सरकारी रैजोलूशन समान गौत्र विवाह के बारे में दिया है। आज जो समान गौत्र विवाह का मामला चल रहा है उससे पूरा सामाजिक ढांचा बिखरा हुआ है। हमने जो रैजोलूशन दिया है वह नॉन-आफिशिएल रैजोलूशन है। हमारी विनती है कि उसको मंजूर करके उस पर बहस की जाए।

श्री अध्यक्ष : आपने एडजर्न मोशन दिया है। That is disallowed. I have disallowed it. (Noise and interruption).

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, समान गौत्र विवाह पर हमारा नॉन-आफिशियल रैजोलूशन है इस पर चर्चा आज ही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, जब नॉन-आफिशियल डे आयेगा तभी उस पर चर्चा करेंगे। ये थोड़े ही है कि नॉन आफिशियल डे का बिजनैस आज ही ले लें। अरोड़ा साहब आप बहुत सयाने हैं परन्तु आज आप गलत बात कर गये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमारी आपसे विनती है कि इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, प्राईवेट मैम्बर डे वीरवार को होता है कम से कम इस बारे में माननीय सदस्य को पता होना चाहिए। अरोड़ा साहब कई बार इस सदन के मैम्बर रह चुके हैं। इसलिए इनको पता होना चाहिए कि प्राईवेट मैम्बर डे किस दिन होता है। कम से कम इनको रूलज बुक तो पढ़नी चाहिए।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको पता चल जायेगा कि प्राईवेट मैम्बर डे किस दिन होता है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनी जाये, हमारी बात फिर अधूरी रह गई है।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एडजर्नमैंट मोशन हरियाणा में कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह से फेल होने के बारे में था। विज साहब, आप प्लीज बैठ जाइये, मुझे स्पीकर साहब ने अलाऊ किया है।

श्री अनिल विज : नहीं जी, मुझे अलाऊ किया है।

श्री कुलदीप बिश्नोई : स्पीकर साहब, आपने किसको अलाऊ किया है? (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों फैसला कर लें कि किस को अलाऊ किया है Vij Sahib, please take your seat. Mr. Bishnoi please continue. (Noise and interruption) विज साहब, आपका कालिंग अटैंशन मोशन एडमिट कर लिया गया है। (शोर)

बलात्कार का मामला

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक व्यवस्था का प्रश्न और एक अहम् मुद्दा उठाना चाहता हूं। आज सारे न्यूज चैनल्ज में एक न्यूज चल रही है कि हरियाणा के गृह मंत्री श्री गोपाल कांडा की कार के अन्दर एक लड़की को किडनैप किया गया और तीन लोगों ने उसके साथ रेप किया। हम बार-बार एक बात कहते रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जायेंगे तो फिर क्या हालत होगी? गोपाल कांडा की कार में स्वयं काण्डा ड्राईविंग कर रहा था और उस लड़की को अगवा किया गया और अध्यक्ष महोदय, यह कार आज भी श्री गोपाल कांडा के नाम है और कार का नाम एच.आर. 70 एल. 009 है।

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं है ये कार का नम्बर है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ये कार का नम्बर है, ये कार गोपाल काण्डा के नाम है और उस कार की ड्राईविंग गोपाला कांडा कर रहे थे और तीन लोगों ने उस लड़की के साथ रेप किया है, लड़की दिल्ली से उठाई गई और गुड़गांव में उसके साथ रेप हुआ। इन हालात में क्या आप यह नहीं समझेंगे कि इस मौजूदा अनैतिक सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिए?

Mr. Speaker : Mr. Kanda, I want to hear you in the House.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) द्वारा

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल कांडा) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आज जो गाड़ी है उसका नम्बर एच. आर. 02.एच. 0007 है और जिस गाड़ी की ये बात कर रहे हैं न ही तो वह गाड़ी मेरे पास आज है और न ही कभी थी जिस गाड़ी की ये बात कर रहे हैं उस गाड़ी में मैं कभी बैठा ही नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सदन में पहली बार चुनकर आया हूं लेकिन चौटाला साहब को तो यह पता होना चाहिए कि सदन में क्या लिखा हुआ है। यहां पर

लिखा हुआ है कि गलत बोलने वाला मनुष्य पाप का भागीदार होता हैं ये तो 20 दफा चुनकर आ चुके हैं क्या इस बात को इन्होंने पढ़ा नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

Sh. Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Minister is giving his personal explanation. (Interruption)

Mr. Speaker : He has given a very good explanation. Let him complete. (Interruption)

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको पूरी बात बताऊंगा। (विघ्न) आप सुनो तो सही। इल्जाम तो आप लगा रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) इन लोगों के पास तो गोपाल काण्डा के सिवाय और कोई बात ही नहीं है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक अरोड़ा : * * * * *

Mr. Speaker : No, no. Let him complete. No, no. I will not permit it. Nothing is to be recorded. (Noise and Interruption) I will not allow it. No, No. You are not allowed to speak. (Noise and Interruption) इसका मतलब मैं आपकी सारी बात को सच्ची मानता जाऊं और उनको रिप्लाई का टाईम भी न दूं। I do not allow it. I will give him opportunity. (Noise and interruption) Nothing is to be recorded.

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, जिनके ऊपर धारा 302 और रेप के केसिज हैं वे लोग इनके साथ घूम रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये मेरे से क्या बात करेंगे? ये मेरे से बात करने के लायक ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि आपने इनके ऊपर कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाया और ये आपको कुछ न कुछ जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) जवाब तो इनको पूरा देने दो। I am not justifying anybody. Neither I am justifying you nor I am justifying him. (Noise and Interruption).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को गुमराह कर सकता हूं तो क्या सारे चैनल्ज देश को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, अब ये सच्चाई सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। सच्चाई तो ये सुनना ही नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No, no. I will not permit you to speak now. बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान))

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या इससे देश की बदनामी नहीं हो रही है? (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : इनको जवाब तो देने दो। आप ही सवाल कर रहे हो और आप ही जवाब दे रहे हो। ये दोनों बातें कैसे हो जाएगी? No, no. (Noise and Interruption)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एच.आर. 70 एल. 009 नम्बर गाड़ी क्या इनके नाम है या नहीं ये यह बात बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गोपाल कांडा की एक गाड़ी माननीय ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र के पास है। कहीं यह वही कार तो नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री गोपाल कांडा : इन्होंने सिवाय गाड़ियां चोरी करने के और किया ही क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो कहा है यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यहां पर श्री गोपाल कांडा जी उसका जवाब दे रहे हैं। ऐसी कोई भी बात होगी तो उसकी पूरी तहकीकात होगी। जो भी दोषी होगा उसको सजा होगी तथा उसको बख्शा नहीं जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इनको अपनी बात तो पूरी कहने दें। अगर आप कुछ कहेंगे और वह बात झूठी हुई तो आपके ऊपर प्रिवीलेज आ जाएगा। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कोई भी हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी आश्वासन देंगे कि इनके खिलाफ इन्क्वायरी होगी? फ्लोर आफ दि हाउस इन्क्वायरी होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले उनकी एक्सप्लेनेशन तो सुन लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं फ्लोर ऑफ दि हाउस कह चुका हूं कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर आफ दि हाउस कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। (विघ्न) इनोसैंट को कैसे मार दें? (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या मुख्यमंत्री जी फ्लोर आफ दि हाउस आश्वस्त करेंगे कि इसके खिलाफ इन्क्वायरी करवाएंगे। यह बात सदन को बतानी पड़ेगी। (विघ्न)

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, ये सुनने के लिए तैयार तो हों? (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये तो केवल इल्जाम लगाकर दबाव बना रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या आप मन बना कर आए हैं कि हाउस को चलने नहीं देना।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। पुलिस इस केस की इन्वैस्टीगेशन करेगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यह बात मैं फ्लोर आफ दि हाउस कह चुका हूं।

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, जिस गाड़ी का ये जिक्र कर रहे हैं। (विघ्न) मेरी पूरी बात तो ये सुन नहीं रहे हैं। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि न्यूज आ रही है। न्यूज **** (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गोपाल कांडा जी जो यह बात कर रहे हैं यह रिकार्ड न की जाए।

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, जिस गाड़ी की ये बात कर रहे हैं। यह गाड़ी न तो मेरे नाम है और न ही इस गाड़ी के ड्राइवर को जानता हूं। जिन लोगों के ऊपर

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

धारा 302 और रेप के केसिज चल रहे हैं वे लोग आज इनकी गाड़ियों के ड्राइवर हैं और इनके बेटों के साथ घूम रहे हैं। (विघ्न) इनको इस बात का पता नहीं है। ये मेरे से डिस्कस कहां कर रहे हैं। क्या इनको इन सब बातों का पता है? ये मेरे से डिस्कस मत करें। (शोर एवं व्यवधान) ये मेरे साथ क्या डिस्कस करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ये बात मत करो। Do not discuss this matter.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, ये मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें। Don't discuss this. मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है, Now the matter is over. (Noise and Interruption) I would request you please stop this. Let us proceed with the work. कृपा करके आप सदन की कार्यवाही चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) चीफ मिनिस्टर साहब इससे ज्यादा और क्या आश्वासन दे सकते हैं कि जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चीफ मिनिस्टर को यह कहना चाहिए कि वे स्वयं इन्क्वायरी करवायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) होम मिनिस्टर की पुलिस क्या इन्क्वायरी करेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री गोपाल काण्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी तो पुलिस ही करेगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसको सजा भी मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान) इन्क्वायरी मुख्यमंत्री जी थोड़े ही करेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठें। जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन देना था वह दे दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या आश्वासन दिया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो आपने बोलना था वह आपने भी बोल दिया (शोर एवं व्यवधान) अब आपने कोई और बात करनी है तो करें। (शोर एवं व्यवधान) इस मुद्दे पर न बोलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय आपने तो सारी सीमाएं लांघ दी। (शोर एवं व्यवधान) कोई ठीक बात तो हमारी भी मान लिया करो। (शोर एवं व्यवधान) आप इनसे कहें कि ये स्वयं इन्क्वायरी करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No, no. I am not going to ask anybody. आपने कोई और बात करनी है तो बोलो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मुख्य मंत्री जी बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आपने हाउस चलने देना है या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हाउस तो चलेगा ही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर चलेगा तो आप इस मुद्दे को रहने दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं--(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मैं नहीं मानता यह बात। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या इससे ज्यादा शर्मनाक काण्ड कोई हो सकता है? (शोर एवं व्यवधान) इसके लिए भी वह हंसकर जवाब दे रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, प्लीज आप बैठें मंत्री जी ने भी क्लैरीफिकेशन दे दी है और मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, इनके साथ धारा 302 के मुजरिम घूमते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, नहीं दिया है। चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि पुलिस इन्क्वायरी करायेंगे। आप मुख्यमंत्री जी को कहें कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इन्क्वायरी करवायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि यह जो मैटर है उसकी पुलिस इन्क्वायरी करायेंगे और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी हो सकता है इनमें से कोई हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर के पास स्वयं पुलिस का महकमा है और क्या उसकी इन्क्वायरी पुलिस करेगी? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, would you allow me to proceed with the work or not? (Interruption) जो इन्होंने कह दिया है that is final. मैं कह रहा हूं कि आपने हाउस चलने देना है या नहीं चलने देना है? (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक-आउट/बॉयकाट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, मुख्यमंत्री जी ने एश्योरैंस दे दी है इसलिए आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते और न ही इस मामले की इन्क्वायरी के लिए आप हाउस की कमेटी बनाना चाहते हैं, इसलिए एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वॉक आउट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य व शिरोमणि अकाली दल का एक मात्र सदस्य सदन से वॉक आउट कर गये।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो पहले ही पता थी कि ये वॉक आउट करेंगे। कोई मुद्दा नहीं, मकसद नहीं, बेवजह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from .... (Iterruption)

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, प्लीज आप बैठें, मंत्री जी ने जवाब देना है। You will get time. (Interruption) आप पेशैंस रखें आपको भी बोलने का अवसर दिया जायेगा। Let Mr. Kanda complete his statement.

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल कांडा) : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। जिस गाड़ी का नम्बर वे बता रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से दिखा दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और यदि नहीं दिखा पाये तो चौटाला साहब इस्तीफा दे देंगे। वे गलत बोल रहे हैं। उन्होंने हमेशा गलत बोलने और लोगों को बरगलाने की बात की है। धारा 302 और रेप के दोषी लोग उनकी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके ड्राईवर हैं। इनको मालूम नहीं है कि इनके लड़कों के साथ कौन-कौन घूमते हैं। जो 4-5 साल पुरानी गाड़ी की बात कर रहे हैं वह गाड़ी मेरे नाम पर नहीं है, न पहले कभी थी और न ही मैं उसमें कभी बैठा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो रजिस्ट्रेशन की बात कही है इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यदि इनके नाम पर गाड़ी होगी तो ये इस्तीफा दे देंगे और नहीं होगी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस्तीफा दे देंगे। यह तो हाउस का फैसला हो गया। (विघ्न)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर एडजॉर्नमैंट मोशन दिया था regarding total collapse of law and order.

श्री अध्यक्ष : वह डिस अलाऊ कर दिया। Your Adjournment Notice regarding deteriorating condition of farmers due to lack of proper policies of Haryana Government has been admitted for 7-9-2010. It will be taken up tomorrow and other has been disallowed.

Shri Kuldeep Bishnoi : I am talking about Adjournment Motion regarding complete collapse of law and order in Haryana. मेरा यह एडजार्नमैंट मोशन था जो आपने डिस-अलाऊ किया। उसमें आपने तैकूने निकाले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए इसको आप अलाऊ करें।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, ऐसे नहीं होता। प्लीज आप बैठें।

श्री कुलदीप बिश्नोई : सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे इसलिए मैं सदन से वॉक आउट करता हूं और शेष अवधि के लिए सैशन से बॉयकाट करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित हरियाणा जनहित कांग्रेस के सदस्य श्री कुलदीप बिश्नोई सदन से वॉक आउट कर गये।)

विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भण)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा मेरे चार कालिंग अटैंशन मोशन थे उनमें से एक तो गृह कर के बारे में था जो कि दोबारा लगा दिया गया है, एक प्रदेश में जो भूमि अधिग्रहण नीति है उसके बारे में है, एक जो प्रदेश में गेहूं सड़ रहा है उसके बारे में है और एक नारायणगढ़ में मिल है उसकी बात है लेकिन उससे पहले मैं गवर्नर महोदय की बात करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में गवर्नर महोदय की समाचार-पत्रों में .... (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य को यह तो पता होना चाहिए कि हाउस में कौन सा मामला उठाया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : No, No. Vij Ji, this matter can not be discussed here. Nothing is to be recorded. I am sorry. (Noise & Interruption) I am very sorry. (Noise & interruption)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं विज जी, यह नहीं हो सकता है। गवर्नर महोदय के बारे में यहां पर कोई बात डिसकस नहीं होगी। अनिल विज जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (विघ्न)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. अनिल विज की कोई बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) Vij Ji, would you please take your seat?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज जी, आप द्वारा बोला गया कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। आप कृपया बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, मेरा आपसे आग्रह है। * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. नहीं, नहीं शर्मा जी, आप कृपया बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) हां जी, चौटाला जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, * * * * * (विघ्न)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. नहीं, नहीं शर्मा जी, यह क्या बात है? यह आप क्या कर रहे हैं? हां जी, चौटाला जी आप बोलिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने जो चर्चा की है उसमें उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति कोई अनपार्लियामैंट्री बात नहीं कही और न ही कोई कटाक्ष किया लेकिन अगर महामहिम राज्यपाल महोदय से जुड़ी हुई कोई न्यूज अखबारों में आये क्या उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है?

श्री अध्यक्ष : नहीं चौटाला जी, महामहिम राज्यपाल महोदय से जुड़ी कोई बात यहां डिसकस नहीं हो सकती।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, किसी समाचार-पत्र में कोई खबर आई थी जिसके बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय का खण्डन भी आ गया है। अगर कोई समाचार पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय जी का नाम लेकर कोई गलत खबर लिख दे और उस बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय जी का डिनायल आ जाये तो आदरणीय चौटाला जी को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि उस खबर के कोई मायने नहीं होते। (शोर एवं व्यवधान) इनको कम से कम महामहिम राज्यपाल महोदय को तो अपनी राजनीति के अन्दर नहीं खींचना चाहिए (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय का पद ऐसा पद है जो विवादों और प्रश्नों से परे है। Just because he is carrying a news paper, that doesn't mean that he can raise any issue. He should have some decency and decorum for this House.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No. No. Vij Ji. Nothing is to be recorded. (Noise & Interruption) Anil Vij Ji, please take your seat. (Noise & Interruption) Only you know it. (Noise & interruption) विज जी, कृपया बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, हमें आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप हमारे कस्टोडियन हैं। आपको हमारी बात सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज जी, मुझे भी आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं आपकी बात हमेशा सुनता था लेकिन मुझे आपसे यहां तक की उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि विज साहब मेरे मित्र हैं, साथ की कांस्टीच्युएंसी से आते हैं और यह ठीक बात करते हैं। विज साहब, जो आप अभी कह रहे हैं यह बात यहां डिसकस नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, यह खबर अखबार में छपी है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, क्या अखबार कोई ग्रंथ है? (शोर एवं व्यवधान) इसका डिनायल आ गया है।

बैठक का स्थगन

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, * * * * * (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नरेश कुमार जी ने जो अभी माननीय सदस्य विज साहब के बारे में शब्द कहे हैं उन्हें सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है चौटाला जी, जो नरेश कुमार बादली जी ने अभी कहा है उसे सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया गया है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (विघ्न)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Noise & Interruption) विज साहब, आप कृपया बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, * * * * * (विघ्न)

Mr. Speaker : No. No. Sharma Ji, Please take your seat. Nothing is to be recorded. (Noise & Interruption)

श्री बहादुर सिंह : स्पीकर सर, * * * * * (विघ्न)

Mr. Speaker : No. No. Bahadur Singh Ji. Nothing is to be recorded. (Noise & Interruption)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, ये बहादुर सिंह जी कैसे बोल रहे हैं? इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इनको सदन की गरिमा का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य और शिरोमणि अकाली दल का एकमात्र सदस्य सभी वैल में आकर शोर मचाने लगे।)

Mr. Speaker : The House is adjourned for half an hour.

(The House then adjourned at 03.20 P.M. to reassemble at 03.50 P.M.)

चेयर द्वारा निवेदन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण हाउस एडजर्न होने से पहले सदन में जिस तरह का व्यवहार रहा वह ठीक नहीं था। मेरी अब आप सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि जो इससे पहले घटित हुआ है उसे भूल जाएं और सदन की आगे की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चलने दें।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं आपका और इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले जब आपको सदन को एडजर्न करना पड़ा तो जिस प्रकार से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक माननीय सदस्य के द्वारा एक सम्मानित सदस्य के लिए किया गया यह पूरी तरह से कंडैम्नेबल है और मैं बड़े अदब से माननीय सदस्य से भी यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने शब्द वापिस ले लें और माफी मांग लें। आपस में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कई बार जब भावनाएं भड़कती हैं तो ऐसे शब्द न चाह कर भी निकल जाते हैं। मुझे मालूम है कि उन्होंने नरेश शर्मा जी के लिए इस प्रकार का शब्द चाह कर नहीं कहा होगा। न उनके मन की कोई इस प्रकार की इच्छा होगी। इसलिए इस प्रकार के शब्द वापिस ले लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : आप पहले उसको भी तो समझाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : विज साहब, मैं चेयर की परमीशन से बोल रहा हूं। पहले आप भी तरीका सीखिए कि किस प्रकार से इन्टरफेयर करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) I am speaking with the permission of the Chair. हमें आपस में एक दूसरे के लिए एक सम्मानजनक और अदब की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस सदन को प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं। यहां सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यहां कोई सदस्य बड़ा नहीं है और कोई सदस्य छोटा नहीं है। किसी सदस्य का वजन बड़ा नहीं है और न ही किसी दूसरे सदस्य का वजन थोड़ा है। यहां सभी सदस्यों का सम्मान बराबर है चाहे वह विपक्ष के सदस्य हों, चाहे वे सत्ता पक्ष के सदस्य हों और चाहे निर्दलीय सदस्य हों। इसलिए स्पीकर सर, हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम एक दूसरे के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। अगर गलत कह दिया तो अवश्य माफी मांग लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, समूचे सदन ने आपको अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन किया है और आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं लेकिन ये बाकी लोग कौन

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]
हैं जो भाषण देकर सुझाव दे रहे हैं? यह आपकी जिम्मेवारी है कि सदन को कैसे चलाया जाये? यह आपको अधिकार हासिल है कि अगर कोई सदस्य सदन का अपमान करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं लेकिन कुछ लोग गैर जरूरी तौर पर लम्बे भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अगर चौटाला जी को यह मालूम नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री क्या होते हैं तो कम से कम ये पहले उसके बारे में जान लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये लोग समझायेंगे और मुझे इस प्रकार की बातें सुननी पड़ेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आपको मैं कई बार समझा चुका हूं लोग समझा चुके आपको, इसमें ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। हरियाणा की जनता ने आपको समझाया है। अध्यक्ष महोदय, इनको और इनके सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन कब किस विषय पर बोल सकता है तो इस बात का कोई हल नहीं है। यह तो केवल नासमझी की बात है। संसदीय कार्य मंत्री की एक विशेष जिम्मेवारी है। परन्तु आप हर बार खड़े होकर बोलने लगते हो। विषय कहीं का हो और आप बात कहीं की करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात है कि हाउस को कैसे चलाना है? (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का व्यवहार क्या शोभनीय है? इनको अपने सदस्यों को इस प्रकार के व्यवहार से रोकना चाहिए, क्या ये बातें शोभा देती हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : शोभायमान तो बहुत मसले हैं उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसी भी सदस्य की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे किसी भी सदस्य की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी न कभी अतीत में हुई और न भविष्य में होगी। हम चाहते हैं कि सदन ठीक चले। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य से अलग बात है कि एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को चैलेंज किया। (विघ्न) यह बात मैंने खुद सुनी है और एक सदस्य को कुछ कहा है। इन्होंने यह अशोभनीय भाषा इस्तेमाल की है।

Mr. Speaker : Let's forget the past. अब आगे शांति से चलें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : हो सकता है कि तैश में शब्द निकल जाये तो आदमी मान भी सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई गलती हुई है तो वह सदस्य अपनी गलती महसूस करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह देखो कि पहले किसने कहा है। पहले किसने एक सदस्य को क्या कहा। अगर हमारे सदस्य ने जो कहा है वह गलत है तो इनके सदस्य ने जो कहा वह भी गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Arora Sahib listen me. (Noise & interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : जिसने भी कहा है गलत कहा है। मैं किसी सदस्य की फेवर नहीं कर रहा हूं लेकिन जिसने कहा है मैंने खुद सुना है, मैं उस सदस्य को जानता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सारे हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इससे पहले जो समय था उसको भूल जाएं। Let us start fresh now. (Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो शब्द सदन में कहे गए थे, वे शब्द उस सदस्य को वापिस लेने पड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात कहने का अधिकार सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर ऐसी परम्परा है कि कुछ लोगों को प्रवोक किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) जो लोग यहां पर भाषण झाड़ते हैं, यहां पर थापी मारते हैं। वे ही लोगों को जाकर उकसाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, चलो आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वे लोगों को उकसाते हैं कि तुम ऐसा कहो, वैसा कहो। फिर वही लोग यहां पर भाषण देना शुरू कर देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां जी, विज साहब बोलिए।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आज यह बहुत गम्भीर बात हो गई है। मैं यह चाहता हूं कि आप रिकार्ड निकलवाएं और देखें कि किस ने शुरूआत की है और जिसने भी शुरूआत की है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आप हमारे कस्टोडियन हैं आप जो निर्णय लेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हर बात के ऊपर लोगों को हल्की बात कहना, कभी यह कहना और कभी वह कहना, अच्छी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं दोबारा से सारे हाउस से, लीडर ऑफ दि हाउस से और लीडर ऑफ दि अपोजीशन से और बाकी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि पहले वाले मामले को भूल जाएं Forget about that. उस बारे में हमने कुछ भी रिकार्ड नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान) उस वक्त जो कुछ भी कहा गया था वह रिकार्ड नहीं किया गया था। Nothing has been recorded. (शोर एवं व्यवधान) कुछ भी रिकार्ड नहीं किया गया है इसलिए उस बात को भूल जाएं।

Now, Hon'ble members, I have received a Calling Attention Motion .... (शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब तो यह हुआ कि आप वह कुछ भी नहीं भूले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चेयर के विरुद्ध आक्षेप

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, वह बात तो खत्म हो गई। आगे के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगे के लिए सारे हाउस को आगाह करें कि इस प्रकार की प्रोवोकेशन करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, पहल तो आपने की है। (शोर एवं व्यवधान) पहल आपकी तरफ से भी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैंने एक ही गलती की थी और वह भुगत भी ली है। अब इन्होंने गलती की है और अब ये भुगतेंगे। (शोर एवं व्यवधान) * * * * * । इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह गलत बात है, यह रिकार्ड न करें। Nothing is to be recorded whatever said by him.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस की गरिमा पर बहुत भारी ठेस है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सवाल आपका नहीं है यह सवाल इस चेयर का है। (शोर एवं व्यवधान) He should withdraw his words. (Interruption)

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इनको चेयर के प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। इनको अपने शब्द वापिस लेने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Sh. Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, we can't accept it. He should withdraw his words. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये सोचकर आते हैं कि चेयर पर इस तरह के कटाक्ष करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, पहले जो आपने बात कही है वो मेरे पर लेकर कही है या किसी और पर कही है। (शोर एवं व्यवधान) Let us decide this first. (Interruption) Let him say. (Interruption).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कुर्सी का पूर्ण सम्मान करता हूं और भविष्य में भी सम्मान करूंगा। यह मेरी आदत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, जो बात आपने कही है आप पहले उसको वापिस लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * * * (शोर एवं व्यवधान) मैं भूल नहीं सकता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह बात गलत है। I will not tolerate it. (Interruption)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

No. No. जितनी देर तक यह बात साफ नहीं होती है उतनी देर तक हाउस की कार्यवाही आगे नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब को ये शब्द वापिस लेने पड़ेंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये मुझे बोलने वाले कौन होते हैं? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) ये कौन होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चेयर के प्रति जो शब्द कहे हैं उन शब्दों को इनको वापिस लेना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : He has to withdraw his words.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे किसी लफ्ज की वजह से आपको किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा हुई है तो मैं उन शब्दों को वापिस लेता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You have to withdraw your words. (Interruption)

Sh. Randeep Singh Surjewala : His misconduct is not acceptable, Sir. It is condemnable. (Interruption)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, इनको अपने शब्द एकदम से वापिस लेने होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : फौजी, आपको तो शब्द का पता ही नहीं है, आप क्यों खड़े हो रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कभी ये कह देते हैं कि गोपाल कांडा गाड़ी चला रहा था। कभी कुछ और कह देते हैं। ये कैसे इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब भी ये खड़े होते हैं सदन को गुमराह करने की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे किसी शब्द से आपको किसी प्रकार की पीड़ा हुई है तो मैं वे शब्द वापिस लेता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने नहीं कहा है, आप यह कहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अगर मेरे किसी लफ्ज की वजह से आपको किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा हुई है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं - नहीं, मैं नहीं मानता यह। (शोर एवं व्यवधान) I am not agree with it. (Interruption) I don't agree with it. (Interrutpion) बिल्कुल भी नहीं (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल चेयर का है। (शोर एवं व्यवधान) He has to withdraw his words which he said against the Chair. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी मैंने कहा है आप उस रिकार्ड को निकलवा कर देखें। उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मैंने जो कुछ भी कहा है आप उसको निकलवा कर देखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसे कार्यवाही नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान) बिल्कुल भी नहीं चलेगी (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चलने वाली तो है नहीं और चल भी नहीं रही है। (शोर एवं व्यवधान) आप असैम्बली प्रोसिडिंग निकलवा कर देखें। (शोर एवं व्यवधान)

Sh. Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, he should withdraw his words. (Interruption)

Mr. Speaker : These unparlimentary words must be withdrawn, otherwise, I will not proceed. (Interruption)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह तो आपने वैसे ही रिकार्ड से कटवा दिया था। इस बारे में आपने आर्डर दे दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आपकी ज़ुबान से जो बात निकली है आप उसको वापिस लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : सर, वह शब्द आपने कटवा दिया है। (शोर एवं व्यवधान) आपने आर्डर दिया था कि रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) हमारी तो सारी स्पीच एकस्पंज करवा दी है। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : ऑनरेबल स्पीकर सर, ये विपक्ष के नेता हैं, इनकी स्ट्रैंथ भी बढ़िया है। स्पीकर सर, सदन का जो इम्पोरटैंट टाईम है और उस टाईम के हिसाब से

16.00 बजे

जो इशूज जनता की भलाई में डिसकस करने चाहिएं उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर सिर्फ इस मंच से, इस प्लेटफार्म से राजनीति होगी तो आप इस सदन के कस्टोडियन हैं आप सारे सदन के टाईम को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। हर आदमी को अपनी बात कहने का टाईम मिले, अपनी बात कहने का मौका मिले लेकिन जिस ढंग से यहां पर आरोप/प्रत्यारोप हो रहे हैं यह किसी अच्छे सदन की गरिमा से बाहर की बात है। लीडर ऑफ दी अपोजीशन की जहां तक बात है इनकी तो ज़ुबान फिसलने की आदत बन गयी है। कभी ये जलसों में कहते हैं कि यह काली भेड़ें हैं और यह धौली भेड़ें हैं। कभी ये कहते हैं कि वह राजा ही क्या जिसके भय से हजारों आदमी रात को सपने में न कूदते हों। (शोर) अध्यक्ष महोदय, यह उनका उदाहरण है। आज जो चेयर के ऊपर एसपर्शन हुआ है उसके लिए ये चेयर से माफी मांगे। तीन आदमियों की कमेटी आप बना दें जो इस मामले को देख लें। ये खुद बोल्डली महसूस करें कि हां, मैंने यह कहा

है। मेरी जुबान से यह बात फिसल गयी और मेरे से गलती हो गयी, मैं वापस लेता हूं। बात खत्म हो गयी।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इनको तो जनता ने ही सजा दे दी इसलिए अब बात खत्म हो गयी।

श्री अध्यक्ष : हां जी, चौधरी साहब, आप हुक्म करो कि क्या बात है। आपने अपने शब्द वापस लेने हैं या नहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा हो रही थी तो आपने सदन को एडजर्न कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, मैंने यह पूछा है कि आपने अपने कहे हुए शब्द वापस लेने हैं या नहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया कि अगर मेरे किसी अल्फाज की वजह से आपको पीड़ा हुई तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं।

Sh. Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, he has to withdraw his words. He cannot pass aspersion on the Chair. अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन आपका सम्मान करता है। ये विपक्ष के नेता हैं इसलिए अगर ये आपका सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे होगा?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं। आपने इस सारी कार्यवाही को हज़्फ कर दिया। आप उसको मंगवाकर देख लें अगर उसमें कोई आपत्तिजनक शब्द हैं तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। (शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा है वह हम सबने सुना है कि क्या कहा है और क्या इनकी मंशा है। सबने अपने कान से सुना है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, जो आपने कहा है वह सबको सुना है। मैं वह सवाल नहीं करता। ऐसे तो हाउस नहीं चलेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड मंगवाकर दिखवाकर बताएं तो सही कि मैंने क्या कहा है। आप मुझे बताएं। जब बोलने वाले को ज्ञान नहीं है तो सुनने वाले को कैसे पता होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ज्ञान के ज्ञाता केवल ये ही रहे हैं और किसी को तो ज्ञान है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपने जानबुझकर कहा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात साफ कह दी है कि अगर मेरे किसी अल्फाज से आपको आपत्ति हुई है या पीड़ा हुई है तो मैं उसको विद ड्रा करता हूं।

डा. रघुवीर सिंह : ठीक है, जब इन्होंने अपने शब्द विद ड्रा कर लिए हैं तो बात खत्म हुई।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हाउस एडजर्न होने से पहले आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी थी। उस समय मैं बोल रहा था। मैं अपनी बात फिर शुरू करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, चौधरी साहब, आप फिर उसी बात पर आ गए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें कि मैं क्या कह रहा हूं। * * * *

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो गलत बात कही है वह रिकार्ड न की जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप अखबार की बात को कैसे नहीं मानोगे।

श्री अध्यक्ष : मैं अखबार की बात नहीं मानता। Newspaper is not an evidence.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप अखबार को नहीं मानते तो फिर कैसे बात बनेगी?

डा. रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस स्टेटमैंट के बारे में उनका डिनायल आ लिया और डिनायल आने के बाद भी इतनी बड़ी कांस्टीच्यूशनल पोस्ट को ये अपनी राजनीति के लिए घसीटेंगे तो कैसे बात बनेगी।

श्री अध्यक्ष : बहुत बुरा हाल है (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : गृह मंत्री के प्रति जो कुछ अखबार में छपा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, इस बारे में तो चीफ मिनिस्टर साहब ने अंडरटेकिंग दे दी है कि इसकी पूरी जांच होगी और जो भी व्यक्ति कसूरवार पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आगे भी तो सुनो। चीफ मिनिस्टर ने तो हमारी गैर हाजिरी में यह भी कहा था कि यदि ये कार गोपाल कांडा के नाम है तो ये त्यागपत्र दे देगा नहीं तो मेरा नाम कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल कांडा) : अध्यक्ष महोदय, इनको पता होना चाहिए कि ये कितना स्पष्ट असत्य बोल रहे हैं। मेरा नाम लेकर कह रहे थे कि मैं गाड़ी चला रहा था। क्या इनके पास ऐसा कोई सबूत है कि मैं गाड़ी चला रहा था। ये सदन को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। ये सब कुछ असत्य बोल रहे हैं इनका काम ही असत्य बोलने का है। मेरे से

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

ज्यादा इनको इस मामले में कौन जानता है कि ये कितना बड़ा असत्य बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

पंडित कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, परसों मैं माननीय विपक्ष के नेता के विचारों को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। लोकतंत्र और सदन की स्वस्थ परंपराओं की बात मैं इनके मुख से सुन रहा था और आज जो मैंने देखा है, उसे देखकर यह लगता है कि जिस व्यक्ति की तीसरी पीढ़ी इस सदन में आकर बैठी हो और उच्च परंपराओं और गरिमा की बात की जाए। ऐसे व्यक्ति के बेटे के मुख से चेयर के बारे में ऐसी बातें कही जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : वह बात अब खत्म हो गई है।

पंडित कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बात तो खत्म हो गई है लेकिन उस बात पर आप कितनी मिट्टी डालेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं। बात तो गोपाल कांडा जी की भी खत्म हो गई है लेकिन माननीय विपक्ष के नेता इस बात को फिर से शुरू कर रहे हैं। आज कांडा साहब ने कहा कि चौटाला साहब असत्य बोलते हैं। मैं उनको यह नसीहत देना चाहूंगा कि अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि चौटाला साहब असत्य बोलते हैं बल्कि यह कहना चाहिए कि वे कभी सत्य नहीं बोलते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इन बातों को छोड़ो। आप दोनों ही बैठिए, let me proceed. (शोर एवं व्यवधान)

पंडित कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस-जिस बात पर मिट्टी डाल दी है उस-उस बात को ये फिर से उठा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष इतना गंभीर मामला है और उस पर भी सीरियसनैस न दिखाते हुए यहां मेजें थपथपाई जा रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : पंडित जी, आप भी बैठ जाएं, ये भी बैठ जाएंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आप मिट्टी डालने की बात करते हैं, क्या आपको ये बात शोभा देती है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Now, I am proceeding with the business.

Hon'ble members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Anil Vij, MLA, ...

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज लैंड एक्विजीशन के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के किसान की भूमि अधिग्रहण की जा रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वह डिसआलउड है।

Pt. Kuldeep Sharma : Mr. Speaker Sir, the House has been misled. With his words, Mr. Chautala has lowered the prestige of this House, prestige of the custodian of this House. This cannot be forgotten. We will not forget it. We will still like to press on it that he should withdraw his words because he has not withdrawn his words. He has only expressed sorrow.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ये किस बात के लिए बोल रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Kuldeep Ji, he has withdrawn his words.

Pt. Kuldeep Sharma : He has not withdrawn his words. He has only expressed sorrow.

Mr. Speaker : No, No, he has withdrawn his words. शर्मा साहब, कृपया आप बैठें। Now, the matter is over. I am proceeding with the business.

वॉक आउट

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, मेरी भी एक काल अटैंशन मोशन लैण्ड एक्विजीशन के बारे में थी उसका फेट क्या रहा?

Mr. Speaker : Mr. Gurjar, I have said that it has been disallowed. Now, Mr. Anil Vij may read his notice.

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इस बारे में कानून बना हुआ है कि एक दिन में दो से ज्यादा कालिंग अटैंशन मोशन अलाऊ नहीं हो सकती।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हमने एक काम रोको प्रस्ताव दिया था उस पर बहस होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपके हक बिल्कुल महफूज हैं। आप बी.जे.पी. को कोई काम नहीं करने देते।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज हो रहे हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपके शहर में भी झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।

Mr. Speaker : Mr. Vij please proceed. Nothing is to be recorded like this.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उसका फेट क्या है?

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डिस-अलाऊ कर दिया है। अब श्री अनिल विज के कालिंग अटैंशन मोशन पर बहस होगी और कोई काम नहीं होगा। विज साहब आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ना शुरू करें। (शोर) No, no मैं ऐसी बात नहीं मानता। आपकी मर्जी है मैं तो नहीं कहता कि जाओ। आप बैठो या जाओ यह आपकी मर्जी है ये मैं नहीं कहता।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अगर विज साहब अपना मोशन नहीं पढ़ना चाहते तो अगला मोशन ले लिया जाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय * * * * *

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, next motion may be taken because Mr. Vij is not interested to read his notice (interruptions).

Mr. Speaker : No, except Vij nobody is allowed. (interruption) जो अहम् मुद्दा है वह मैंने ले लिया है बाकि आपकी मर्जी है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे कालिंग अटैंशन मोशन और एडजर्नमैंट मोशन आदि भी डिस-अलाऊ कर दिए हैं। आपने हमारे कुछ एडजर्नमैंट मोशन्ज को कालिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया है और न ही आप हमारी बात सुन रहे हैं इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आऊट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सदन में सभी उपस्थित सदस्य और अकाली दल के एक मात्र सदस्य सदन से वाकआउट कर गये।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(i) सरकार द्वारा गृह कर हटाने संबंधी

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दे दिया जाए। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हरियाणा के किसान की भूमि अधिग्रहण को लेकर दिया था। उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको पहले भी कहा है कि वह डिसअलाऊ कर दिया है। श्री सम्पत सिंह का कालिंग अटैंशन मोशन एडमिट हो चुका है और आपका डिसअलाऊ हो चुका है। आप अपनी बात कल रखें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक भूमि अधिग्रहण और जो अनाज सड़ रहा है उसके बारे में एक कालिंग अटैंशन मोशन दी थी उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : आपकी इस कालिंग अटैंशन मोशन को एडमिट नहीं किया। इसी विषय पर सम्पत सिंह जी की कालिंग अटैंशन मोशन 7.9.2010 के लिए एडमिट हुई है इसलिए आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं। अब आप बैठ जाइये।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Anil Vij, M.L.A. regarding imposition of House Tax by the Government in the Haryana State. I admit it. Shri Anil Vij, M.L.A. may read his notice.

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1 नवम्बर, 2007 को हरियाणा दिवस के अवसर पर यमुनानगर में हुए एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में गृह कर हटाने की एक घोषणा की थी। ग्रामीण क्षेत्रों से चूल्हा टैक्स भी माफ कर दिया गया था। परन्तु अब सरकार ने गृह कर दुबारा लगा दिया है। जो नोटिस भेजे जा रहे हैं उन पर मुहर लगी है जिसमें यह वर्णित है कि हरियाणा सरकार ने अपने क्रमांक 14.3.2010-3 सी II , दिनांक 22.4.2010 द्वारा गृह कर पुनः लागू कर दिया है। अतः आप समयावधि के भीतर अपने गृह कर का भुगतान करें। लोगों के घरों में गृह कर के जो बिल भेजे जा रहे हैं वह मार्च के बाद की अवधि से संबंधित बिल हैं। गृह कर के जो बिल भेजे जा रहे हैं उनकी अदायगी समय पर न किए जाने की सूरत में बिलों पर एक सख्त चेतावनी भी दी गई है। निगम द्वारा जारी किए गए बिलों पर साफ वर्णित है कि समय पर कर जमा न करने की सूरत में 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करना पड़ेगा। लोग असमंजस में हैं जबकि सरकार ने गृह कर माफ कर दिया है, तो ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं? पहले प्रदेश सरकार ने बजट सत्र के दौरान स्थानीय निकायों की दयनीय स्थिति बता कर वैट पर सरचार्ज लगा दिया तथा अब यह किया कि यदि गृह कर नहीं लगाया तो केन्द्र सरकार ग्रान्ट बंद कर देगी इसलिए जनता पर गृह कर लगा दिया। महंगाई के दौर में जनता पहले ही रोजी-रोटी की समस्या से जूझ रही है तथा ऊपर से गृह कर के अतिरिक्त बोझ से उनके सामने एक और भारी संकट खड़ा हो गया है।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सदन इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

वक्तव्य—

बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will make a statement.

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गृह कर लगाने के विषय में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा है और कहा है कि गृहकर दोबारा लगा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 1.11.2007 की घोषणा केवल स्वयं के प्रयोग में आने वाली आवासीय सम्पत्ति के गृहकर से सम्बन्धित थी न कि सारे गृहकर। इस घोषणा को उसी संदर्भ में हमें देखना आवश्यक है। इस घोषणा से पहले गृहकर प्रणाली बहुत ही कठिन व जटिल बन चुकी थी। कई बार इसकी आलोचना की जाती थी कि इसमें पारदर्शिता कम थी। इससे अनेक समस्याएं और भ्रष्टाचार भी पैदा हो रहा था। आम आदमी को नगरपालिकाओं के कर्मचारियों से काफी परेशानी महसूस होती थी। ऐसी गृहकर प्रणाली नगरपालिकाओं के लिए कारगर साबित नहीं हो रही थी। समूची प्रणाली में आमूल परिवर्तन आवश्यक

हो गया था। इस संदर्भ में सरकार ने निर्णय लिया था कि जिन घरों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हों उन्हें गृहकर से मुक्त कर दिया जाए।

2. इस निर्णय के बाद सरकार ने सम्पूर्ण गृहकर प्रणाली की विस्तारपूर्वक समीक्षा करने के उपरांत मंत्री स्तर की एक समिति का गठन किया गया।

3. इस कार्य का एक पहलू और भी है, हरियाणा के अधिकांश शहरों में मूलभूत ढांचा जिसको मैं समझता हूं कि सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। शहरों में आबादी और कामर्शियल क्षेत्रों का काफी तेजी से विकास हो रहा है। सम्पूर्ण विश्व में यह सिद्धान्त मान्य है कि सेवाओं/सुविधाओं के उपभोक्ताओं को इसके लिए शुल्क भी देना चाहिए। भारत सरकार भी प्रोजैक्ट/योजनाओं के अन्तर्गत ग्रांट देने के लिए यह शर्त लगा रही है कि इस प्रकार का उपभोक्ता शुल्क लगाया जाए। वास्तविकता यह भी है कि इस कारण उन्होंने कुछ ग्रांटें रोक भी दी है। इसके साथ गवर्नमैंट आफ इंडिया की मंशा यह भी रही है कि संवैधानिक मूल भावनाओं के अनुसार लोकल बोडीज को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उनको सरकार कहां तक कितनी मदद दे यह एक अलग सवाल है लेकिन उनको अपने रिसोर्सिज ढूंढने होंगें और उसके लिए भी बाध्य किया कि इसको रोल बैक किया जाए। इस विचारधारा का आधार है कि नगरपालिकाएं स्वयं आत्मनिर्भर बनें। नगरपालिकाओं के लिए आय व राजस्व उत्पन्न करना, इनको आत्मनिर्भर बनाने का एक अभिन्न अंग है।

4. गृहकर बारे सरकार की सोच का एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि गृहकर प्रणाली न्यायोचित, सरल व सुव्यवस्थित आधार पर सैल्फ डिक्लेयरेशन पर आधारित हो। सभी वर्गों को गृहकर छूट से अमीर वर्ग भी कर देने से छूट जाता है जो कि उचित नहीं है। इसलिए सरकार का विचार है कि बड़ी आवासीय इकाइयों पर उचित गृहकर लगाया जाए व छोटी इकाइयों पर टोकन टैक्स लगाया जाए। यह इसलिए भी उचित है ताकि नागरिक सुविधाओं में दोनों गरीब तथा अमीर की भागीदारी हो।

5. सभी को गृहकर छूट देने का एक और कुप्रभाव यह हुआ कि बहुत से मकान नगरपालिका के रिकार्ड में दर्ज ही नहीं हो रहे थे जिससे कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी। अब एक पारदर्शी, सरल तथा स्वयं निर्णय पर आधारित गृहकर प्रणाली से इन कठिनाइयों का समाधान हो सकेगा।

6. इस पृष्ठ भूमि के सन्दर्भ में सरकार ने गृहकर प्रणाली की सरलीकरण के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी दो बैठकों में नई गृहकर प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुविधाओं बारे दिशा-निर्देश विचार किया :

(1) यह कि गृहकर का निर्धारण स्वयं आकलन के आधार पर होगा। जो कमेटी जिनके ऊपर आंकलन या जिसके ऊपर काम कर रही है किस परिप्रेक्ष्य में किस हालात में कैसे निर्धारित किया जाये, स्वयं आंकलन के आधार पर होगा।

(2) यह क्षेत्रीय यूनिट प्रणाली पर होगा अर्थात् निर्मित क्षेत्र पर निर्भर करेगा।

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

(3) स्वैच्छिक पालना करने की दृष्टि से गृहकर की दर न्यायसंगत व उचित होगी।

(4) कुछ आकार से कम प्लाटों पर टोकन के तौर पर टैक्स लागू होगा।

(5) भवन मालिकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए आवासीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में छूट का प्रावधान किया जायेगा, ताकि उन पर कर-भार कम हो।

(6) कर की दर का निर्णय उस क्षेत्र के कलैक्टर रेट से सम्बन्धित होगा, जिसके आधार पर विभिन्न कालोनी/कस्बों के लिए निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्गगज कर निर्धारित किया जायेगा।

(7) पुरानी सम्पत्तियों, कच्ची छतों, ई.डब्ल्यू.एस. ग्रुप हाउसिंग आदि पर कर में छूट दी जायेगी।

(8) कर दाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में कर की अदायगी कर सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रस्तावित कर प्रणाली के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं--

- देश में सभी मुख्य कर जैसे कि आयकर, केन्द्रीय कर, वैट कर आदि में वृद्धि का कारण कम दर, ऐच्छिक पालना व सरल तरीका है। परिणाम स्वरूप इन साधनों से आय में वृद्धि हुई है। यह सब कर प्रणाली कर दाता के विश्वास पर आधारित है। गृहकर की नई प्रणाली भी इन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित होगी।
- भवन मालिकों को इस बारे कोई नोटिस जारी नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में जारी सभी नोटिस निरस्त समझें जायेंगे।
- भवन मालिकों द्वारा कर देते समय यह विवरण देना होगा कि सम्पत्ति किराये पर है अथवा स्वयं के उपयोग के लिए। प्रथम दृष्टि में यह बात स्वीकार्य होगी।
- कर जमा कराना तथा गणना करना स्वैच्छा पर निर्भर होगा और पालिकाएं कर निर्धारण का कार्य नहीं करेंगी।
- छूट प्राप्ति के लिए कोई शपथ पत्र आदि दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- जो अब तक रहा है, जो पुराना सिस्टम था उसमें कुछ जटिलताएं थी जिससे कई बीमारियां पैदा हो रही थी। लेकिन साथ-साथ गलत घोषणा की स्थिति में वैट के आधार पर जांच के बाद जुर्माना भी किया जायेगा।
- स्वयं उपयोग के लिए एक खास एरिया या उससे अधिक अंदाजन 250 वर्गगज व अधिक आकार की आवासीय इकाईयों पर उचित गृहकर लगाया जायेगा व इसके लिए गठित समिति द्वारा मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
- नई कर प्रणाली छूट वापिस करने की तिथि से लागू होगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 2-3 पेज का लिखित जवाब दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि कोई समिति बना दी है वह विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप सप्लीमैंटरी पूछें।

श्री अनिल विज : सर, सप्लीमैंटरी बनेगी तभी तो पूछूंगा। पहले मैं सप्लीमैंटरी बना रहा हूं। सर, मंत्री जी ने बताया है कि अभी समिति विचार कर रही है और 17 अगस्त के ट्रिब्यून पेपर में भी मंत्री जी ने कहा था कि समिति विचार कर रही है लेकिन अम्बाला नगर निगम ने बिल बांट दिए हैं। मैं बिल की कापी साथ लेकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप भाषण मत दें, सप्लीमैंटरी पूछें। आपका सवाल ही मंत्री जी के जवाब से लम्बा हो जाता है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि अभी नीति भी नहीं बनी है और समिति ने रिपोर्ट भी नहीं दी है और 17 तारीख के ट्रिब्यून में भी मंत्री जी ब्यान जारी कर रहे हैं कि समिति की रिपोर्ट आनी है उससे पहले अम्बाला नगर निगम ने बिल कहां से जारी कर दिए।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप सीधा सवाल पूछो और उसका सीधा जवाब लो।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं सीधा सवाल ही पूछ रहा हूं कि जब अभी तक सरकार की नीति नहीं बनी है, जब इस बारे में मंत्री स्तरीय समिति की रिपोर्ट आई नहीं तो फिर ये बिल सारे शहर में कैसे बांट दिये गये?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर सर, शायद यह माननीय सदस्य की आदत बन चुकी है कि छोटी सी बात को भी बहुत ज्यादा बड़ी बनाकर कहा जाये। इनका हर बार यही प्रयास रहता है। पहली बात तो यह है जो कि जवाब में भी बताई गई है कि जो गृह कर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी वह आवासीय सम्पत्ति के लिए थी। इसमें कई जटिल समस्यायें पैदा हो गई। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की कुछ कंडीशंज के कारण जो जवाहर अर्बन योजना और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर निगम की डिवैल्पमैंट के लिए जो ग्रांट्स मिलती थी उनमें कुछ दिक्कतें पैदा हो गई। इससे पहले जब सारा गृह कर माफ था अर्थात् जो गृह कर आवासीय सम्पत्तियों का माफ किया गया था उसके बाद वर्ष 2006-07 में 62 करोड़ रुपये, वर्ष 2007-08 में 72 करोड़ रुपये और वर्ष 2008-09 में 71 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 205 करोड़ रुपये की कलैक्शन हुई जिसका पूरे प्रदेश पर असर पड़ा। यह मैं माफ करने के लिहाज से कह रहा हूं। इन परिस्थितियोंवश अगर कुछ नहीं मिला जिन बिन्दुओं पर हम विचार कर रहे हैं कि 250 गज से नीचे तक या उससे और कम टोकन के रूप में हम कम से कम कर लगायें। इस सबके पीछे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की भावना यही रही है कि जितना हो सके उतना आम जनता को राहत दें और उनके ऊपर कोई कर न लगायें। दूसरी बात यह है कि इन सब बातों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को कहा और लिखा भी कि अगर कमेटीज के पास आय के संसाधन नहीं हैं तो जो ग्रांट का शेयर है हम उसको स्वयं देने को तैयार हैं जो कि हमने पिछले सालों में दिया भी है। (शोर एवं व्यवधान) इसके मुताबिक मजबूरी

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

में सरकार को इसे रोल-बैक करना पड़ा, सरकार के पास उसको रोल-बैक करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर उसके लिए रेशनेलाईजेशन के आधार सरल तरीके से उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाये। कायदे-कानून के मुताबिक उसको रोल-बैक करने के उपरांत कानूनन उसकी पहले वाली परिस्थिति रहेगी जिस समय कि एक्ट लागू था। उसके पहले की स्थिति वह थी जब मुख्यमंत्री महोदय ने गृहकर माफ किया था। वापसी करने के बाद वह नोटिफिकेशन वापिस हो गया। कानूनन वह चीज स्टैण्ड करती है जो कि आप द्वारा समर्थित सरकार के जमाने में टैक्स लगा हुआ था। इसीलिए उन्होंने ये नोटिसिज जारी कर दिये लेकिन इसके साथ ही उन द्वारा यह भी कह दिया गया कि जो नोटिसिज दिये गये हैं उनको निरस्त समझा जायेगा। ऐसा होने पर थोड़ी भ्रांति अवश्य पैदा हो गई थी लेकिन उनसे उस टैक्स की कुलैक्शन नहीं की गई।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं स्पैसिफिक प्रश्न का उत्तर 'हां' या 'ना' में पूछना चाहता हूं कि क्या नीति बन गई है और क्या रिपोर्ट आ गई है या नहीं आई है और अगर नहीं है तो (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब ये तो आप पहले ही पूछ चुके हैं जिसका जवाब भी आ गया है। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो वह पूछें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जो मैं पूछने जा रहा हूं उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 14 बिल जारी किये गये वे कैसे जारी किये गये और उसमें यह भी कहा गया है कि एक महीने के अंदर आपको बिल की अदायगी करनी है। फिर यह सब कैसे हो गया? मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को पहले तो यह कहना चाहता हूं कि ये जो बिल की कॉपी ले रहे हैं वह मुझे दे दें। उसे मैं देख लूंगा कि वह क्या है उन बिलों को किसने दिया और कैसे दिया। मैंने इनको बताया कि इससे भ्रांति पैदा हो गई थी जिसके कारण बिल इश्यू हो गये हैं मगर उनको वापिस ले लिया जायेगा। किसी ने गलती से अगर जमा किया है तो वह एडजैस्ट हो जायेगा। लेकिन आप जो कमेटी की बात कह रहे हैं उस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि पूरी तरह से चिन्तन करके, गहराई से देखा जाये जिससे जनता पर न के बराबर बोझ पड़े। कमेटी की 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं। जल्दी से जल्दी कमेटी गहनता से इसकी समीक्षा करके, इसको ऐग्जामिन करके सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तथा उसके बाद इस पर निर्णय होगा कि किस पर कितना टैक्स लगाया जायेगा। आज के बाद कोई भी बिल जो उस परिप्रेक्ष्य में गलती से बना हुआ है निरस्त समझे जायेंगे लेकिन जो बिल पहले जमा हो चुके हैं वे तो एडजस्ट हो जायेंगे क्योंकि उस समय निगम के अधिकारियों ने सोचा कि हमें यह कर देना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने जो सवाल किया है उसका जवाब तो माननीय मंत्री जी ने दे दिया है लेकिन जब सरकार के सामने आया तो सरकार ने निर्णय किया कि जो सैल्फ ऑक्यूपाईड हाउसिज थे उनको एग्जम्प्ट कर दिया

जाए लेकिन कमर्शियल में सैल्फ ऑक्यूपाईड को हमने एग्जम्प्ट नहीं किया क्योंकि केन्द्र से जो ग्रांट आती हैं उसमें इस प्रकार की शर्त थी कि जो भी कमेटीज बनाई जायें वे कम से कम अपने आप सस्टेनेबल हों। लेकिन फिर भी हरियाणा ने एक यूनिक फैसला किया कि जो कमेटी बनाई गई हैं उनको निर्देश दिये गए हैं कि प्रोपर्टी की असैसमैंट के समय जो अपनी प्रापर्टी का सैल्फ डिक्लेरेशन करेगा और उसमें भी जो गरीब आदमी हैं जो कि कमेटियों में 90 परसैंट हाउस कवर करते हैं, जो 250 गज तक के प्लॉट में कवर होते हैं, उनसे सिर्फ टोकन के नाम से कर लिया जायेगा अर्थात् केवल एक रुपया प्रति गज प्रति वर्ष। अगर किसी का प्लॉट 250 गज का है तो एक रुपया प्रति गज के हिसाब से उस पर केवल 250 रुपये ही लिया जायेगा।

(ii) भारी बारिश एवं बाढ़ की वजह से आम जनता तथा विशेषकर किसानों के हुए नुक्सान संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Call Attention Notice from Shri Sampat Singh, M.L.A., regarding the losses suffered by the people of Haryana in general and farmers in particular by floods and rains. I admit it. Shri Kuldip Bishnoi, M.L.A. and Sarvshri Ashok Kumar Arora, Bishan Lal Saini and Ram Pal Majra, MLAs have also given notices of Adjournment Motion on similar subject which were converted into Call Attention Notices No. 5 & 6, respectively and bracketed with Call Attention Notice No. 3. They can also raise supplementaries. Shri Anil Vij, M.L.A. has also given Adjournment Motion Notice No. 7 on the similar subject. He is also allowed to raise supplementary. Now, Shri Sampat Singh, M.L.A. may read his notice.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि गत मास भारी बारिश हुई तथा नदियां विशेषकर घग्गर, यमुना, टांगरी, मारकंडा नदियों तथा नालों इत्यादि में भारी बाढ़ थी। इन नदियों में अनगिनत दरारें थीं। इन दरारों से जल प्रवाह निकलने से इन नदियों के साथ लगते कई गांवों में हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। परिणाम-स्वरूप हजारों किसानों को भारी नुकसान हुआ। उनकी फसलें पूर्णतयः नष्ट हो गई तथा कई स्थानों पर उनके घर, घरेलू उपयोग की वस्तुएं तथा पशु भी बह गए। कुछ शहरी क्षेत्र भी भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जलमग्न थे। यद्यपि यह मामला प्राकृतिक आपदा से संबंधित है फिर भी किसान चिंतित एवं भयग्रस्त हैं वे नहीं जानते कि सरकार उन्हें कैसे मुआवजा देगी तथा आगे आने वाले विध्वंस को कैसे रोकेगी। इसलिए यह जनता से जुड़ा तथा महत्व का विषय है। इसलिए इस विषय पर सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तथा सरकार को इस पर सदन में उत्तर देना चाहिए।

वक्तव्य—

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, a minister will make the statement.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान जी,

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति

पांच से सात जुलाई 2010 को हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा, विशेषकर अम्बाला, कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर में कैचमैंट एरिया में दूर-दूर तक वर्षा होने से टांगरी, मारकण्डा तथा घग्गर नदियों में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी इन प्राकृतिक नदियों में भारी मात्रा में ओवर फ्लो होकर बहने लगा। जब पंजाब के फतेहगढ़, पटियाला, रोपड़ जिलों तथा चंडीगढ़ का पानी भी घग्गर व उसकी सहायक नदियों में आ मिला तो स्थिति और खराब हो गई।

पंजाब क्षेत्र में लगभग सभी ड्रेने व चो चैनालाईज्ड कर दिए गए हैं और अन्त में पानी घग्गर नदी और उसकी मुख्य सहायक नदी पच्चीस धारा में आता है। हरियाणा की सीमा के निकट, पंजाब के किसानों ने पच्चीस धारा नदी व घग्गर नदी के किनारों को काट दिया। इस प्रकार बाढ़ का अपार पानी पंजाब की ओर से एस.वाई.एल. नहर में दाखिल हो गया। एस.वाई.एल. नहर की सुरक्षित 5000 क्यूसिक की क्षमता के विरुद्ध इसमें 8000 क्यूसिक से 10000 क्यूसिक पानी दाखिल हो गया और अन्त में 6 जुलाई 2010 को पानी की अधिकता के कारण एस.वाई.एल. नहर कुरुक्षेत्र शहर के पास टूट गई और पानी ओवर फ्लो हो गया। एस.वाई.एल. तथा साथ लगते क्षेत्रों से पानी की विशाल चादर बीबीपुर झील तथा जिसने आगे चलकर पेहवा व कैथल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न की। उफनती हुई घग्गर ने पंजाब के क्षेत्र को पार करके हरियाणा में प्रवेश किया और हांसी-बुटाना, बुटाना ब्रांच-मल्टीपरपज चैनल में कई स्थान पर तट बन्धों को तोड़ा। बाढ़ के पानी को दिन-रात की मेहनत से कैथल ड्रैन के द्वारा घग्गर नदी में मोड़ा गया तथा कैथल शहर को बचाया गया। अम्बाला जिला में टांगरी नदी में पंजाब की ओर से अत्याधिक पानी आया जिसने अम्बाला कैंट, एन.एच-1 तथा अम्बाला रेलवे स्टेशन को बाढ़ ग्रस्त किया। बाढ़ की स्थिति अम्बाला शहर की कालोनियों में भी गम्भीर अनुभव हुई जब गन्दे नाले का पानी बाढ़ ग्रस्त टांगरी में नहीं गिराया जा सका। आखिर टांगरी नदी के बाएं व दाएं किनारों पर कई स्थानों पर तट बन्ध टूट गये जिससे विशाल क्षेत्र में पानी आया। पंजाब की तरफ से बांकरपुर, हन्डेसरा की तरफ से भी घग्गर नदी द्वारा अम्बाला शहर में पानी आया जिसने अम्बाला शहर के शेष हिस्से को भी बाढ़ ग्रस्त किया क्योंकि पंजाब के अधिकारियों ने अभी घग्गर नदी को खनौरी से मकरौर साहिब तक 22.45 किलोमीटर की लम्बाई को चैनालाईज्ड कर दिया है और दोनों किनारों पर बांध बना दिए हैं, बाढ़ का इकट्ठा पानी तीव्र गति से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आया जहां घग्गर नदी का सारा पानी चांदपुर साईफन जिसकी क्षमता 22800 क्यूसिक सीमित है, से नहीं गुजर सका ओर पानी रंगोई नाले व जोया नाले में चला गया जिससे फतेहाबाद के क्षेत्र में भीषण इनयूडेशन हुआ। रंगोई नाला के अन्त में एक सिंचाई चैनल जिसका नाम रंगोई काहरीफ चैनल है में बाढ़ आ गई और लगभग 22 किलो मीटर बह गया और अन्त में घग्गर का पानी 23 किलोमीटर तक पंजाब क्षेत्र के लोहगढ़ से झूण्डा खुर्द गांव तक चल कर हरियाणा के जिला सिरसा के मुस्तबवाला/नेजा डेला और फरवाई कलां में दाखिल हुआ। सिरसा जिला में 80 किलोमीटर तट बन्ध कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ

तथा साथ लगते बहुत से क्षेत्रों में भारी बाढ़ आई। सिंचाई विभाग तथा जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से फतेहाबाद व सिरसा शहर जो लगातार बाढ़ की आशंका से ग्रस्त रहे, लगातार पैट्रोलिंग व समय पर घग्गर के तट बन्धों के टूट को बन्ध करने के कारण बाढ़ से बचाए गए।

हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों पर भारी वर्षा के कारण सोम्ब नदी में, यमुनानगर जिला में भी 25.7.2010 को 50000 क्यूसिक तक पानी का बहाव पाया गया। परिणाम स्वरूप सोम्ब नदी व अन्य छोटी नदियों के बन्धों में कई कटाव हुए। मारकण्डा, शाहबाद नलवी फीडर तथा कुरुक्षेत्र जिला के शाहबाद क्षेत्र में शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटरी पर भी प्रभाव पड़ा और लगभग 100 कटाव हुए जो भरे जा रहे हैं। यमुना नदी के कैचमैंट क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण, यमुना के भारी बहाव के कारण जाम्मू कलां खिराज पुर तथा कुण्डा कलां, करनाल में भी कई बन्धों को खतरा हुआ।

राहत कार्य

1. मुख्य मंत्री ने तुरन्त हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का स्वयं दौरा भी किया तथा प्रभावित स्थानों व राहत कार्यों का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्रियों को राहत व बचाव कार्यों के निरीक्षण हेतु बाढ़ ग्रस्त जिलों का इंचार्ज बनाया गया। राज्य आपदा प्रबन्धन मशीनरी को एक्टीवेट किया गया।

2. आपदा प्रबन्धन की राज्य कार्यकारिणी समिति जिसमें सभी मुख्य विभाग, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है, नियमित हर रोज बाढ़ की स्थिति में सुधार होने तक बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक करते रहे। विभिन्न विभागों जैसे सिंचाई लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, पशु पालन, शहर स्थानीय निकाय, कृषि आदि की धन की आवश्यकता का आंकलन किया गया तथा आपदा राहत कोष से तुरन्त राशि रिलीज किए जाने के आवश्यक निर्णय लिए गए।

3. सेना तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स को कटाव भरने तथा लोगों को बचाने तथा राहत राशि भोजन-पानी आदि उपलब्ध करवाया गया। राहत कार्य जैसे भोजन और दवाईयां देना तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्य तुरन्त आरम्भ किए गए। चिकित्सकों व पशु चिकित्सकों की टीमें सभी आवश्यक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने हेतु लगाई गई। बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई को बहाल किया गया तथा सड़क लिंक नुकसान को युद्ध स्तर पर लिया गया।

4. कृषि फसलों विशेषकर धान की फसल को हुए नुकसान का आँकलन करने हेतु मुख्य मंत्री ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिये। राजस्व विभाग ने भी जिलों में मकानों, ट्यूबवैल व पशु धन के नुकसान का आँकलन करने के लिए कहा।

केन्द्रीय टीम का दौरा

जिला कुरुक्षेत्र, अम्बाला व कैथल के लिए 1022.94 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को एक अंतरिम ज्ञापन भेजा गया। पुनः सिरसा व फतेहाबाद जिलों के लिए 346.81 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए अनुपूरक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

ज्ञापन भारत सरकार को भेजा गया। हमने केन्द्रीय सहायता उन चीजों के लिए मांगी हैं जो सामान्यतः सी.आर.एफ. नार्मस में कवर नहीं होती। हमने राहत राशि मौजूदा कृषि लागत के दृष्टिगत सी.आर.एफ. नार्म जो राज्य के वर्तमान नार्म से कम हैं, नार्म रिवाईज करके राहत राशि रिलीज करने पर जोर दिया है। श्री आर.पी. नाथ. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार की अगुवाई में एक केन्द्रीय टीम ने प्रभावित जिलों का 19.7.2010 को दौरा किया। अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

दरें

राज्य सरकार सी.आर.एफ. की दरों के अनुसार देय राहत दरों से अधिक दर पर राहत प्रदान करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने तीन प्रकार की दरों का निर्धारण किया हुआ है और इन दरों को चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बनने के बाद हमने रिवाइज भी किया है। सर, जो 26 से 50 प्रतिशत डैमेज है उसमें व्हीट, पैडी और कॉटन इन तीन फसलों के लिए तीन हजार रुपये प्रति एकड़ राज्य सरकार ने अपने नोर्म के अनुसार 10 जनवरी, 2007 को निर्धारण किए हैं जो कि आज भी लागू हैं अदर क्राप्स के लिए दो हजार रुपये प्रति एकड़ है। भारत सरकार के सी.आर.एफ. नोर्म के मुताबिक कोई राशि नहीं दी जाती है और सारा खर्चा हरियाणा की सरकार वहन करती है। सर, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत खराबे के लिए व्हीट, पैडी और कॉटन के लिए चार हजार रुपये प्रति एकड़ हरियाणा सरकार की दस जनवरी, 2007 की घोषित नीति के तहत दिए जाते हैं और दूसरी क्राप्स के लिए तीन हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। भारत सरकार में यह नोर्म दो हजार से चार हजार रुपये प्रति हैक्टेयर है यानी 1600 रुपये प्रति एकड़ है। 1600 रुपये और चार हजार रुपये के बीच में जो सारी राशि है उसका खर्चा खुद हरियाणा की सरकार वहन करती है। सर, 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबे के लिए व्हीट, पैडी और कॉटन के लिए हरियाणा सरकार पांच हजार रुपये प्रति एकड़ और दूसरी क्राप्स के लिए चार हजार रुपये प्रति एकड़ देती है। भारत सरकार 1600 रुपये प्रति एकड़ देती है यानी चार हजार रुपये प्रति हैक्टेयर और बाकी जो डिफरैंस है पांच हजार रुपये और इसके बीच का, वह हरियाणा की सरकार खुद वहन करती है। सर, इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए तो एक्स ग्रेशिया पेमैंट दी जाती है। 38 ऐसे लोग हैं जिनको यह एक्स ग्रेशिया पेमैंट दी जानी है। हरियाणा सरकार के नोर्म के मुताबिक यह देय राशि दो लाख रुपये है और भारत सरकार के नोर्म के मुताबिक यह राशि एक लाख रुपये हैं। सर, इसी प्रकार से जो ट्यूबवैल्ज हैं उनकी क्षति की राशि सी.आर.एफ. के अधीन कवर नहीं होती है। लेकिन हरियाणा सरकार की 10 जनवरी, 2007 की नीति के मुताबिक पांच हजार रुपये की राशि का निर्धारण किया गया है।

वित्तीय सहायता

वर्ष 2010-11 के आरम्भ में प्रत्येक उपायुक्त को 4.5 लाख रुपये बाढ़ की स्थिति के आरम्भिक उपाय तथा लोगों के कष्टों के निवारण हेतु दिए गये थे बाद में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए नीचे लिखे फण्ड्स स्वीकृत किए गए :-

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत राशि करोड़ों में	उद्देश्य
1.	अम्बाला	₹ 01.76	एक्स ग्रेसिया/मकानों/गिरे मकानों की मुरम्मत, भोजन-कपड़ा-चारा आदि
2.	कुरुक्षेत्र	₹ 00.74	-सम-
3.	कैथल	₹ 00.29	मकानों/गिरे मकानों की मुरम्मत, भोजन-कपड़ा-चारा आदि
4.	सिरसा	₹ 02.07	राहत, बचाव तथा एक्स ग्रेसिया
5.	फतेहाबाद	₹ 00.96	राहत, बचाव कार्य तथा एक्स ग्रेसिया
6.	यमुनानगर	₹ 00.50	एक्स ग्रेसिया / मकानों की मुरम्मत
7.	जीन्द	₹ 00.08	एक्स ग्रेसिया
	कुल	₹ 06.40	

2. क्षति ग्रस्त हुए संसाधनों के पुनः सुधार व लोगों के कष्टों को कम करने के लिए निम्नलिखित फण्ड्स विभिन्न-2 विभागों को दिए गए :--

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत राशि करोड़ों में	उद्देश्य
1.	लोक निर्माण भवन एवं सड़कें	₹ 40.00	सड़कों की मुरम्मत
2.	सिंचाई	₹ 24.00	खराब हुये कृषि एवं खाद्य नियंत्रण कार्य हेतु
3.	बिजली विभाग	₹ 20.00	खराब हुये ट्रांसफार्मरज़ आदि
4.	शहरी स्थानीय निकाय	₹ 20.00	सड़कों व पुलों की मुरम्मत
5.	स्वास्थ्य	₹ 05.00	दवाईयों की खरीद
6.	पशु पालन	₹ 01.50	पशुओं की दवाईयों की खरीद
7.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्य विभाग	₹ 01.50	पानी निकासी/उतारने
8.	कृषि	₹ 02.39	सड़कों व संसाधनों की मुरम्मत
9.	पंचायत	₹ 10.00	सामुदायिक सम्पत्तियों
	कुल :	₹ 123.94	

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

मानवीय मृत्यु

38 मानवीय मृत्यु हुई। प्रत्येक के लिए निकट संबंधियों को राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

एक्शन टेकन

1. कृषि विभाग

फसलवार प्रभावित रकबा पहचाना गया तथा किसानों को बाढ़ का पानी उतरने के बाद फसल लेने बारे शिक्षा दी गई।

यदि धान की पनीरी उपलब्ध है तो क्षतिग्रस्त रकबे में धान की रोपाई दोबारा करने हेतु किसानों को मंत्रणा दी गई। किसानों को खेत खाली रहने पर अगस्त के अन्त में तोरिया जैसी फसलें लेने की भी मंत्रणा दी गई।

किसानों को साथ के जिलों और राज्य में उपलब्ध फालतू धान के लिए मार्ग दर्शन दिया गया। उपलब्ध फालतू पनीरी की सूचना किसानों के सम्पर्क नम्बरों तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई तथा मुख्य स्थलों पर प्रदर्शित की गई।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के अन्य फसलें लेने हेतु जागरुकता के लिए प्रचार किया गया।

धान बासमति, मूंग और उड़द के प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत सबसीडाईजूड रेटस पर दिए गए। शंकर मक्की के बीज किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए गए। शंकर बाजरा, तोरिया व बाजरा के बीज मिनी किट्स के रूप में किसानों को मुफ्त दिए गए। बीज वितरण पर सब्सिडी हरियाणा बीज विकास निगम के सेल आउट लेट्स पर उपलब्ध थी।

आज तक विभिन्न फसलों का लगभग 4205 क्विंटल प्रमाणित बीज 2.45 करोड़ रुपये के खर्च से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किया जा चुका है।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की दोबारा बिजाई के कारण खरीफ 2010 के लिए मांग पूर्ण करने हेतु यूरिया खाद की एलोकेशन 8.50 लाख मी. टन से बढ़ाकर 9.00 लाख मी. टन तथा डी.ए.पी. की ऐलोकेशन 3.20 लाख मी. टन से बढ़ा कर 3.60 लाख मी. टन की गई।

विभाग द्वारा उचित व समय पर उठाए गए कदमों के फलस्वरूप लगभग समस्त बाढ़ प्रभावित रकबे पर धान या अन्य फसलें लग गई हैं।

सिंचाई विभाग

सरकार ने बाढ़ों पर नियंत्रण के प्रयास में बाढ़ नियंत्रण की 149 स्कीमें जिनका कुल खर्च 522.18 करोड़ रुपये है जिनमें से 72 नई और 77 पुरानी चल रही हैं, मंजूर

की हैं, इनमें से 63 स्कीमें पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 37 पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 779 ड्रेनों में से मानसून का मौसम आरम्भ होने से पूर्व 358 ड्रेनों को साफ किया गया था।

सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से यमुना नदी को टेम करने तथा भूमि कटाव को रोकने के लिए 2009 में 173.55 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की है। इस परियोजना पर 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार देगी और 7.73 करोड़ रुपये के खर्च 13 वर्क्स, यमुना नदी के साथ-साथ किए गए हैं, जिनके कारण इस वर्ष यमुना नदी के बाढ़ के प्रकोप से बचा जा सकता है। 2010 में सिंचाई विभाग द्वारा फ्लड वर्क्स पर 106.60 करोड़ रुपये का खर्चा किया है।

हाल में ही 25.8.2010 को सी.डब्ल्यू.सी. की घग्गर स्टैंडिंग कमेटी ने एक कमेटी जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के चीफ इंजीनियर्स सी.डब्ल्यू.सी. के अधिकारियों के साथ होंगे, बनाई है जो घग्गर नदी व इसकी सहायक नदियों को टेम करने के लिए इन तीन राज्यों के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी। इस तरह की घटनायें दोबारा न हों इसके लिए हरियाणा सरकार के नहर विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं --

- 311 कटावों में से 255 कटाव भरे जा चुके हैं। सभी प्राकृतिक नदियों और नालों को गहरा, चौड़ा व साफ किया जाएगा।
- सी.डब्ल्यू.सी. की कमेटी को उचित सुझाव दिए जाएंगे कि पंजाब राज्य को घग्गर को उनके क्षेत्र में चैनालाईज न किया जाए तथा छोटे डैम बना कर पानी का भण्डारण किया जाए।
- नहरों, ड्रेनूस तथा नदियों को पानी की सुरक्षित निकासी के लिए साफ रखा जाएगा।
- पंजाब व राजस्थान के साथ इंटर स्टेट मामले सुलझाए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग

1778 किलोमीटर की 1000 सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई थीं। पानी में डूबने के कारण इनमें से अधिकतर सड़कें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। 480 सड़कों पर यातायात निलम्बित किया गया था। इन 480 में से 451 सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं। शेष 29 सड़कों पर रिस्टोरेशन का काम चालू है और यह भी एक मास के समय में यातायात के लिए खोल दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त पुलों को भी भारी नुकसान हुआ जिसके कारण पुलों के अपरोचिस अपरोच स्लैब, गाईड बंध, फ्लोरस व विंग वालस भी बह गए। जिसके कारण कुछ सड़कों व पुलों पर यातायात निलम्बित रहा। इन पुलों पर यातायात बहाल करने का काम किया गया है। हालांकि बाढ़ में क्षति ग्रस्त हुई विभिन्न सड़कों की मुरम्मत के लिए एस्टीमेटस की मंजूरी की प्रत्याशा में निविदाएं मंगवाने की अपेक्षित अनुमति तथा फण्ड्स सरकार द्वारा दिए गए हैं तदनुसार 2762 लाख रुपये की 12 निविदाएं आमंत्रित की गई तथा इन कार्यों की अलाटमैंट का कार्य किया गया।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

जन स्वास्थ्य

जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तुरन्त कार्य क्षेत्र में आया तथा शहरी व देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति सिस्टम को तुरन्त सुचारू किया गया। बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

-- लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति टैंकरों से की।

-- बाढ़ का पानी रा वाटर स्टोरेज टैंकों व क्लीयर वाटर स्टोरेज टैंकों में भी चला गया था, उन्हें साफ व डी-सिल्ट किया गया।

-- इन शहरों में वितरण प्रणाली को तुरन्त ठीक किया गया।

-- बिजली के उपलब्ध न होने पर ट्यूबवैल चलाने के लिए डीजल जनरेटर सैट किराए पर लिए गए।

-- पानी से उत्पन्न बीमारियों से बचाव सुनिश्चित करने के लिए सुपर क्लोरीनेशन किया गया।

-- सीवरेज सिस्टम में भी बाढ़ का पानी घुस गया जिसके कारण प्रणाली में बहुत सी सिल्ट चली गई थी। इसलिए सीवर की लाईनें और मेन होल तुरन्त साफ व डी सिल्ट किए गए इसके अतिरिक्त पम्पिंग सैट व पैनल बोर्डों को डिस्पोजल वर्क्स पर मुरम्मत किया गया।

स्वास्थ्य

-- अम्बाला जिला में 65, कुरुक्षेत्र जिला में 143, कैथल जिला में 77, फतेहाबाद में 88 तथा सिरसा में 50 मैडीकल व पैरा मैडीकल स्टाफ टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

-- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी के सैम्पल नियमित तौर पर लिए गए।

-- मुख्यालय पर हर रोज दवाइयों के स्टाक की स्थिति तथा बाढ़ राहत उपायों की लोजिस्टिक प्राप्त की गई। सिविल सर्जन्ज ने उपाय किए कि दवाईयां सभी स्तरों पर बिना किसी बाधा के उपलब्ध हों। प्रत्येक स्वास्थ्य फैसिलिटी पर पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध करवाए गए।

पशु पालन

विभाग ने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम वैटनरी तथा पैरा वैटनरी स्टाफ की 268 विशेष टीमें बनाकर, सुचारू रूप से चलाया। टीकाकरण, डी.वाटरिंग, बीमार पशुओं के इलाज, 1440 वैटरनरी हैल्थ कैम्प लगाकर 501 बाढ़ ग्रस्त गांवों के 26,82,357 पशुओं को कवर करते हुए मिनरल मिजर की आपूर्ति की जिससे किसी भी कानटेजिएस या इनफैक्सीअस बीमारी की घटना राज्य के पशुओं में नहीं हुई।

सहकारिता विभाग

2010 खरीफ में लघु अवधि के ऋण जो मीडियम टर्म लोन में राज्य में बाढ़ के कारण बदले जाएंगे, की लगभग राशि इस प्रकार है --

क्र.सं.	नाम डी.सी.सी.बी.	राशि जो कन्वर्ट होगी
1.	यमुनानगर	17.09
2.	अम्बाला	32.00
3.	कुरुक्षेत्र	70.00
4.	कैथल	32.70
5.	फतेहाबाद	38.00
6.	सिरसा	18.43
	कुल	208.22

पावर

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की बाधित हुई आपूर्ति रिस्टोर करने के लिए हरियाणा पावर यूटीलीटीज ने विशेष प्रबंध किए।

-- हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि जिन किसानों की भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है और वह खेतों में दोबारा बिजाई नहीं कर सके उनके बिजली के बिलों की प्रतिपूर्ति की जाए। मुआवजे की राशि न्यूनतम मासिक चार्ज, यानी 200/- रुपये प्रति बी.एच.पी. वार्षिक आधार पर उस अवधि के लिए जिसमें पम्प सैट/भूमि पानी में डूबी रही, बिना इस बात के कि ट्यूबवैल खराब हुआ या नहीं, के बराबर होगी।

-- 12 पावर सब स्टेशनों जो पानी में डूब गए थे, के इनस्टालेशन व कीमती सामान की मरम्मत करके तुरन्त आपूर्ति बहाल की गई।

-- आपूर्ति बहाल करने के लिए 743 वितरण ट्रांसफार्मर्स जो विभिन्न मात्रा के थे और पानी में डूब गए थे, बदले गए हैं।

-- 301 वितरण ट्रांसफार्मर्स जो बाढ़ में थोड़े खराब हुए थे मरम्मत कर दिए गए हैं।

-- बाढ़ में क्षतिग्रस्त 1476 बिजली के पोल बदले गए।

-- 400 एस.पी. मीटर बदले गए।

-- कैथल ड्रेन व हांसी बुटाना नहर व ज्योतिसर में 7 किलोमीटर किनारे पर रोशनी किए जाने के विशेष प्रबन्ध किए गए थे ताकि बहते पानी पर 24 घण्टे निगरानी रखी जा सके।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

-- सिरसा जिले में घग्गर नदी के बांध के दोनों किनारों पर 100 किलोमीटर में रोशनी का प्रबन्ध किया गया ताकि कटावों को भरा जा सके।

फसलों के निरीक्षण की रिपोर्ट

गिरदावरी रिपोर्टों के आधार पर 2,26,175 एकड़ में फसलों को 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच में ज्यादा क्षति हुई और राज्य सरकार के नार्मस के अनुसार 111.95 करोड़ रुपये किसानों को निम्न प्रकार से देय बनते हैं--

क्र. सं.	जिले का नाम	क्षतिवाला क्षेत्र जहां नुकसान 25% से अधिक हुआ (एकड़ों में)	राहत राशि देय
1.	फतेहाबाद	66,613 एकड़	32,46,54,000/-
2.	सिरसा	33,171 एकड़	16,53,29,000/-
3.	कुरुक्षेत्र	53,813 एकड़	26,46,19,000/-
4.	अम्बाला	16,436 एकड़	7,89,60,000/-
5.	कैथल	54,708 एकड़	27,15,46,390/-
6.	यमुनानगर	1,434 एकड़	58,43,000/-
	कुल	2,26,175 एकड़	1,11,09,51,390/-

सर, ये 111 करोड़ 95 लाख रुपये बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को आपकी अनुमति से बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह सारा पैसा रिलीज कर दिया गया है और बहुत जल्दी किसानों में इसका वितरण हो जाएगा।

ट्यूबवैलों की क्षति

उपायुक्तों की रिपोर्ट के अनुसार ट्यूबवैलों की क्षति इस प्रकार है :

क्र. सं.	जिले का नाम	ट्यूबवैलों की क्षति
1.	यमुनानगर	08
2.	कुरुक्षेत्र	343
3.	फतेहाबाद	1144
4.	अम्बाला	185
5.	सिरसा	133
6.	कैथल	231
	कुल	2044

इस मद पर राहत देने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

जैसे मैंने बताया 5000 रुपये के हिसाब से भारत सरकार का कोई नार्म्स नहीं लेकिन हमारी जनवरी, 2007 की नीति के मुताबिक यह राशि दी जानी है। यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया है कि अगले 30 से 40 दिनों के अंदर यह सारी राशि किसानों को भिजवा दी जाएगी और इसका वितरण करवा दिया जाएगा।

मकानों की क्षति

उपायुक्त यमुनानगर ने अब तक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 47,87,500/- रुपये वितरण किए हैं। उपायुक्त अम्बाला ने भी 35,65,500/- रुपये वितरित कर दिए हैं। उपायुक्त सिरसा को 2.91 करोड़ रुपये की राशि मकानों की क्षति के लिए राहत देने के लिए दी जा चुकी है। अन्य जिलों में पानी देर से उतरने के कारण सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है। राहत शीघ्र दे दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह भी कहना चाहूंगा कि 111 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि जो हमारे नार्म्स हैं उसके मुताबिक हमने दी है कल ही इस सदन में एक सदस्य जो अब हाउस से चले गए हैं, कह रहे थे कि राजस्थान में 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रिलीफ दी जा रही है। कोई भी सम्मानित सदस्य कुछ कहे, चाहे चौटाला जी भी कुछ कहें तो मुख्यमंत्री जी उसको गम्भीरता से लेते हैं। हमने राजस्थान सरकार से चैक करवाया है और हमें पता चला है जो राशि इस साल दी जा रही है वह पिछले साल की थी। एक तो यह बात उनकी असत्य थी और गलत थी। दूसरी बात वहां 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नहीं बल्कि 1600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रिलीफ दी जा रही है जबकि हमारी सरकार 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब मुआवजा देती है। इस प्रकार उनकी दोनों बातें जो इस सदन के पटल पर की गई वे असत्य थी और उन्होंने असत्य कहकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब में सरकार मुआवजा बांट रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बहुत ही जिम्मेवारी के साथ सदन में कहना चाहूंगा कि हरियाणा में भूमि अधिग्रहण की नीति अपने आप में एक अनोखी नीति है। हमारे प्रदेश के अंदर किसानों को राहत देने की नीति जनवरी, 2007 में बनाई गई थी वह भी एक अनोखी नीति थी। पंजाब ने जुलाई, 2010 में पहली बार हरियाणा की नीति को एडोप्ट किया न कि हरियाणा ने पंजाब की नीति को एडोप्ट किया। जनवरी, 2007 की नीति के अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी की किसानों के प्रति जो कमिटमैंट है वह बेजोड़ है। यह राशि भिजवा भी दी गई और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर इस पर चिंतन किया। इसके बारे में कुछ निर्णय भी लिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी सदन में करना चाहेंगे इसलिए मैं आपकी अनुमति से उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सदन को बताएं कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए और क्या-क्या कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बाढ़ का नुकसान है या और किसी वजह से किसान का नुकसान होता है या अकाल की वजह से नुकसान होता है तो जो नार्म्ज हैं उनमें हरियाणा सबसे ज्यादा राहत देता है इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में जो नार्म्ज हैं उसके मुताबिक 75 से 100 प्रतिशत नुकसान पर 5000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है लेकिन उससे कम नुकसान पर 3000 और 2000 रुपये प्रति एकड़ है। जबकि हमारे यहां 5000 रुपये 76 से 100 प्रतिशत नुकसान पर मुआवजा देते हैं उससे कम पर 4000 और 3000 रुपये प्रति एकड़ है। जिस प्रकार लोगों का नुकसान हुआ है और हमारे मंत्री जी ने यह बताया है तो अभी सरकार ने फैसला किया है कि हम जो 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं, 4000 और 3000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं इसमें 500 रुपये प्रति एकड़ बढ़ाये जाते हैं और जहां तक ट्यूबवैल्ज का नुकसान होने पर पहले 5000 रुपये देते थे उसमें भी बढ़ौतरी करके

17.00 बजे 7500 रुपये कर दिया गया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस बात के लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं कि ऐसे ओखे वक्त में हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को जो कंपन्सैशन, एक्सग्रेशिया और स्पोर्ट मिल रही है वह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहां एक्सग्रेशिया की अमाउंट सैंग्शन की है उसका अब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। इसी तरह से क्रोप्स की अमाउंट सैंग्शन होना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन न होना। इसी तरह से जिनके हाउसिज डैमेज हुए हैं, उनके रिहैबलिटेशन के लिए सरकार ने सराहनीय कदम उठाये हैं, मगर क्या उनके लिए भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं इस बारे में मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने 30-40 दिनों का कहा है उसकी बजाय किसानों को तुरंत मुआवजा मिल जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त जो 500 रुपये की बढ़ौतरी की है इसके लिए मैं सरकार को एप्रीशिएट करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए बड़े फिराखदिल हैं, मैं चाहूंगा कि जो 5000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा बढ़ाकर 5500 रुपये किया है यह महंगाई के हिसाब से कम पड़ता है। मैं मुख्यमंत्री जी से दोबारा से आग्रह करूंगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ौतरी करनी चाहिए ताकि आज के महंगाई के जमाने में किसानों को अच्छी मदद मिल सके। अध्यक्ष महोदय, क्रोप्स के लिए, हाउस के लिए और ह्यूमन लाईफ के लिए पैसा दिया जा रहा है लेकिन इसमें कैटल लौसिज का जिक्र नहीं है इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कैटल लौसिज की क्या पॉलिसी है। स्पीकर सर, मुझे दो सवाल पूछने का ही अवसर मिला है इसलिए इसी सवाल में मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं और उसके बाद दूसरा सवाल पूछ लूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह पूछना चाहूंगा कि घग्गर और यमुना आदि नदियों की वजह से जिन एरियाज में बाढ़ आई थी उन एरियाज में मुआवजा दे दिया लेकिन बरसात की वजह से भी नारनौल और भिवानी आदि जिलों में बाढ़ आई थी जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है क्या उन एरियाज में भी लौसिज को पूरा करने के लिए सरकार कम्पन्सैशन देगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी ने तीन प्रश्न पूछे हैं इनका पहला प्रश्न था कि कौन-कौन सी राशि है और वह कितने दिनों में वितरण की

जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 38 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें दो-दो लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक्सग्रेशिया के रूप में वितरित किए जा चुके हैं और बैनीफिशरीज को पैसे मिल भी चुके हैं जहां तक बाढ़ की वजह से जो फसल बरबाद हुई है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि 2,26,175 एकड़ फसल की गिरदावरी हो चुकी है उसके लिए 11,19,51,390 रुपये हरियाणा सरकार ने संबंधित डी.सीज. को भेज दिए हैं और आने वाले 15-20 दिन में या उससे पहले यह राशि डिस्ट्रीब्यूट हो जायेगी इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 500 रुपये की बढ़ौतरी की घोषणा की है जिसके कारण अतिरिक्त तकरीबन 11 या 11.50 करोड़ रुपये बनेगी इसको हम 2,26,175 एकड़ भूमि जिसकी गिरदावरी हो चुकी है उस पर भी लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की वजह से प्रदेश में 2044 ट्यूबवैल्ज को क्षति हुई है जिसकी अभी चर्चा की गई थी। उनकी राशि भी बहुत जल्दी रिलीज कर रहे हैं उस राशि के अंदर जो 2500 रुपये की बढ़ौतरी का इजाफा कर दिया है वह भी साथ मिलाकर दी जायेगी। इससे किसानों को 50 से 70 लाख रुपये का लाभ होगा। यह मैं इस समय यहां जो मोटा-मोटा कल्कूलेट कर पाया हूं वह बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से पहले फसल की खराबे के नार्म्ज 26 से 50 प्रतिशत के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ थे। उन नार्म्ज को हमने बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति एकड़ व्हीट, पैडी और कोटन की फसलों के लिए किया है और बाकी के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ किया है। 51% से 75% के लिए 2250/- रुपये के नार्म्ज थे जिन्हें हमने बढ़ाकर 4,000/- रुपये प्रति एकड़ किया था, 76% से 100% के बीच के नुकसान के लिए मुआवजे के नार्म्ज थे 3,000/- रुपये प्रति एकड़ जिन्हें हमने बढ़ाकर 5,000/- रुपये कर दिया, जिनमें अब 500-500 रुपये का इजाफा और हो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीसरा प्रश्न कैटल लॉसिज और उसकी पॉलिसी के बारे में पूछा है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसके तहत जो हम पैसा देते हैं मेरे पास उसकी लिस्ट है जिसे हमने पार्शली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस सम्बन्ध में सरकार की जो नई नीति है उसके बारे में मैं आपकी अनुमति से आपकी और सदन की जानकारी के लिए बता देता लेकिन वह काफी डिटेल में हो जाता। सर, सरकार की पॉलिसी के अनुसार पशुओं के नुकसान की भरपाई के लिए अलग-अलग नार्मज फिक्स किये गये हैं अब मैं उनके बारे में सदन को अवगत करवाना चाहूंगा। इसके तहत ऊंट के लिए हमारा 10,000/- रुपये का नॉर्म है, हॉर्स व मेयर के लिए भी 10,000/- रुपये का नॉर्म है, बैल और भैंस के लिए 10,000/- रुपये का नॉर्म है, जो अमेरिकन हाई-ब्रिड गाय है उसके लिए 10,000/- रुपये का नॉर्म है और जो देसी गाय है उसके लिए 5,000/- रुपये का नॉर्म है, डोंकी के लिए 2,000/- रुपये का नॉर्म है, म्यूल के लिए 5,000/- रुपये का नॉर्म है, जो भैंस का कटड़ा तीन साल तक की उम्र का हो उसके लिए अलग से 2,000/- रुपये का नॉर्म है, भेड़ और बकरी दोनों के लिए 2,000/- रुपये का नॉर्म है जिसमें से पार्शली राशि हम बांट चुके हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में जो बाढ़ आई उससे प्रदेश में बड़ा भारी नुकसान हुआ जिसके बारे में जिक्र भी किया गया है। यह बाढ़ क्यों आई इसके कारण भी बताये गये। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

कि इन्होंने कहा है कि सरकार ने 5,000/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल के नुकसान का मुआवजा दिया है जिसे बढ़ाकर अब 5,500/- रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। मैं हाऊस के नेता को एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 7-8 साल पहले जब वे विपक्ष में बैठा करते थे उस समय उन्होंने स्वयं मांग की थी कि यह मुआवजा राशि 10,000/- रुपये प्रति एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सभी प्रकार की लागतें बढ़ने से किसानों का फसल की बिजाई और उसे पकाने के लिए खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे अपनी कही हुई बात को आगे बढ़ाकर किसानों को उसके बढ़े हुए खर्चे के मुताबिक रिलीफ देंगे? दूसरा मंत्री जी ने अपने जवाब में गेहूं के साथ-साथ धान की बात भी की लेकिन गन्ने का कहीं भी जिक्र नहीं किया जबकि गन्ने की फसल पूरे साल में एक बार ही होती है जिसके ऊपर किसान की लागत कम से कम 20,000/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आती है। इस बाढ़ में गन्ना उत्पादकों का भी काफी नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा कि गन्ने की फसल को भी मुआवजे के तहत काउंट किया जाये और गन्ना उत्पादक किसानों के नुकसान की भरपाई भी सरकार द्वारा उसके नुकसान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा की जाये। इसके साथ-साथ मंत्री जी ने यह भी कहा कि ट्यूबवैल के नुकसान के मुआवजे की राशि को सरकार द्वारा 5,000/- रुपये से बढ़ाकर 7,500/- कर दिया गया है जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें भी थपथपाई गई। स्पीकर सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज अगर कोई किसान अपना ट्यूबवैल लगाना चाहे तो उस पर कम से कम 2,00,000/- रुपये खर्च होते हैं इसलिए मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि क्या ट्यूबवैल की मुआवजा राशि को और बढ़ाया जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की किसानों को लेकर जो चिंता है वह वाजिब है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो उस समय जब गन्ना उत्पादक किसानों के गन्ने का 25% से 50% तक का खराबा हुआ करता था तो इनकी सरकार द्वारा 1,250/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, जब गन्ने में 51% से 75% तक का खराबा हुआ करता था तो इनकी सरकार द्वारा 1,875/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, जब गन्ने में 76% से 100% तक का खराबा हुआ करता था तो इनकी सरकार द्वारा 2,500/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था और आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के पश्चात् 25% से 50% तक के नुकसान के लिए 2500/- रुपये, 51% से 76% तक के नुकसान के लिए 3500/- रुपये, 76% से 100% तक के नुकसान के लिए 4500/- रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ राजनीति का विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह जरूर याद दिलाना चाहूंगा जैसा कि आप भी जानते हैं क्योंकि आप और हम भी उस समय के भुगतभोगी हैं कि यहां पर 25 पैसे, 50 पैसे, एक रुपया विपक्ष की सरकार के समय में बाढ़ की मुआवजा राशि के तौर पर आबंटित किये जाते थे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, यहां पर माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इन द्वारा बाढ़ के नुकसान का मुआवजा देने के लिए 2,26,175 एकड़ जमीन की गिरदावरी करवाई गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गिरदावरी इस प्रकार से की गई कि जिन लोगों ने नुकसान के बाद दोबारा धान की बुआई कर दी उनको ये कहने लगे कि आपने तो फिर से जीरी लगा ली है इसलिए आपके नुकसान की भरपाई नहीं होगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये यह बतायें कि इसमें 25% नुकसान वाली कितनी जमीन है, 50% नुकसान वाली कितनी जमीन है, 75% नुकसान वाली कितनी जमीन है और 100% नुकसान वाली कितनी जमीन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अधिकतर भूमि जो है वह 100 परसैंट वाली है वह मैं पढ़ कर बता देता हूं। स्पीकर सर, 26 से 50 परसैंट की भूमि केवल 3,837 एकड़ है, 51 से 75 परसैंट तक 4,147 एकड़ है और 76 से 100 परसैंट भूमि सबसे ज्यादा 2,18,190 एकड़ है जो कि लगभग 90% है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विपक्ष में बैठते थे तो क्या कहते थे?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने कहा कि जब मैं विपक्ष में था तो मैं यह बात कहता था। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे तो आपने लोगों को क्या दिया, अपनी बात बताओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता ने कहा है कि जब हम सत्ता पक्ष में बैठते थे तो हम क्या दिया करते थे। उसका जवाब मैं दे देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इस बात के बारे में तो कंडेला में जा कर पूछ लीजिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप दुलीना में जाकर पूछ लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आपने लोगों को क्या दिया है, यह आप भी मिर्चपुर में जाकर पूछ लीजिए या गोहाना में जाकर पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह मुआवजे की प्रथा सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी उससे पहले इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं होती थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कहा है कि वे लोगों को क्या देते थे तो मैं इस बारे में उनको जानकारी दे दूं कि वर्ष 1999-2000 से लेकर 2004-05 के बीच में फ्लड प्रोटैक्शन एंड रिहैब्लिटेशन वर्क्स के लिए जो कम्पनसेशन दी गई वह 262.84 करोड़ रुपये की राशि दी गई और आज तक जो दी जा चुकी है चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार द्वारा वह 661 करोड़ रुपये है जो कि 300 परसैंट अधिक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें बाढ़ की स्थिति बताई है कि किस-किस विभाग को कितना नुकसान हुआ है और

[श्री अनिल विज]
किसको कितना पैसा दिया हैं? स्पीकर सर, बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान अम्बाला जिले में हुआ है और अम्बाला में भी शहरों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। शहर की एक भी सड़क नहीं बची है सारी की सारी टूट गई हैं। अम्बाला में अनेक मकान गिरे हैं कल रात भी हाउसिंग बोर्ड के 3 मकानों में दरार आई हैं। इस रिपोर्ट में सभी विभागों के नुकसान का जिक्र किया गया है लेकिन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट को कितना नुकसान हुआ और उसको क्या राहत दी गई इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। उनकी सड़कें कैसे बनेंगी, उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जो शहरों के लोगों का नुकसान हुआ है, जो आम दुकानदार का नुकसान हुआ है, जो हर गृहस्थ का नुकसान हुआ है, क्या उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है? क्या लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट के लिए कोई पैसा नहीं है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय साथी से एक प्रार्थना है और मैंने उनको प्रश्नकाल में भी कहा था कि वे जवाब को जरूर पढ़ा करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें लोकल बॉडीज के बारे में लिखा हुआ है कि 20 करोड़ रुपये दिये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा. बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, कालिंग अटैंशन मोशन पर मंत्री जी ने अपना जवाब पढ़कर सुनाया है। (विघ्न) स्पीकर सर, इन्होंने अपने जवाब में टांगरी नदी का, मारकंडा नदी का और घग्गर नदी का जिक्र किया है लेकिन मंत्री जी को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि यमुना नदी में बाढ़ आने की वजह से जो नुकसान इस बार हुआ है उतना नुकसान पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ है। (विघ्न) स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया कि 26 से 50 प्रतिशत डैमेज पर 3000 रुपए प्रति एकड़ और 51 से 75 प्रतिशत डैमेज पर 5000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे के दिए जाएंगे। लेकिन स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा और मंत्री जी के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि यमुना नगर में बागवाली, मुनहेड़ी, नुकुम्भ, नगला-नगली कई गांव ऐसे हैं जहां पर उनकी फसल जो गई सो गई, उनकी जमीन भी यमुना की बाढ़ में बह गई है। (विघ्न) मंत्री जी ने ऐसे केसों में जिनकी बाढ़ की वजह से फसल और जमीन भी चली गई है उनके लिए क्या मुआवजा देने का प्रावधान रखा है? सर, जिस आदमी के पास 2 या 5 किल्ला जमीन ही थी और वह बाढ़ में बह गई ऐसे लोगों के लिए इन्होंने क्या मुआवजा रखा है? (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरा एक बार फिर सैनी साहब से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे भी जवाब जरूर पढ़ लें। सर, मैं फिर से इसमें जो लिखा है उसकी कुछ लाईनें पढ़ देता हूं :

> "सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से यमुना नदी को टैम करने तथा भूमि कटाव को रोकने के लिए 173.55 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की है। इस परियोजना पर 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार देगी और 7.73 करोड़ रुपए के खर्च से 13 वर्क्स यमुना नदी के साथ-साथ किए गए हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Majra you ask your supplementary. This is your last supplementary. (interruption) No. No. (विघ्न) क्या कर रहे हो, आप बैठ जाओ। राम पाल माजरा जी अपनी सप्लीमैंटरी पूछें। (विघ्न) अगर आप सप्लीमैंटरी नहीं पूछते हैं तो नैक्स्ट आईटम ले लेते हैं।

श्री राम पाल माजरा : सर, मैंने सप्लीमैंटरी पूछनी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने जब नाम लिया तो आप बोलने के लिए खड़े नहीं हुए। आप कभी इधर देखते हैं और कभी उधर देखते हैं। (विघ्न) आपका यह कोई तरीका है। अगर आपको सप्लीमैंटरी पूछनी नहीं आती है तो मुझे कह देते मैं पूछ लेता। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं सप्लीमैंटरी पूछ भी लूंगा (विघ्न) अगर आप नाराज हो तो मैं नहीं पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अपना सवाल पूछो। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मुझसे पहले बोलते हुए मेरे कई साथियों ने मुआवजा के बारे में बातें की है कि यह मुआवजा थोड़ा है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। स्पीकर सर, यह बाढ़ क्यों आई, हमें इन कारणों पर जाना चाहिए और आगे के लिए इसकी रोकथाम के पुख्ता इंतजाम क्या हों उसके बारे में सोचना चाहिए। (विघ्न) Speaker Sir, illegal minors have prepared the grounds for floods. स्पीकर सर, ड्रेन होने के बावजूद भी वहां पर हजारों ट्रैक्टर, डोजर और जे.सी.बी. तटबंधों को तोड़ती रही। इससे किसानों के पशुओं के चारे के हजारों कूप बह गए। उस बारे में आप क्या करेंगे? इसके अलावा मैंने मंत्री जी का जवाब पढ़ा है उसमें किसानों के पशुओं के चारे के लिए कहीं पर भी कोई मुआवजा राशि नहीं रखी गई है। क्या मंत्री जी यह मुआवजा राशि का इन्तजाम करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इनकी पूरी बात का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। स्पीकर सर, चारे के मुआवजे की राशि बाद में नहीं दी जा सकती है। चारे का इन्तजाम एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है, माजरा साहब आप तो सीनियर मंत्री रहे हैं और आपको इस बारे में पता होना चाहिए। (विघ्न)

वाक आउट

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे एडजर्नमैंट मोशन को जो कॉल अटैंशन मोशन में बदल दिया और उसको श्री सम्पत सिंह की कॉल अटैंशन मोशन के साथ क्लब कर दिया है और अब हमें इस मामले में अपने सवाल भी नहीं पूछने दे रहे हैं इसलिए हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थिति इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के एक मात्र सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

विधान कार्य—

(i) पण्डित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज़ रोहतक (अमैंडमैंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

> That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो उद्देश्य दिए गए हैं उनको हमने पढ़ा है। अगर किसी विशेष आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है तो वह ठीक नहीं है। अगर इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा ठीक है तो फिर यह बिल पास कर दिया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. के नोर्म्ज के मुताबिक ही वाईस चांसलर और प्रो वाईस चांसलर की उम्र 65 वर्ष से 68 वर्ष की जा रही है और यह सभी के लिए है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Mahendra Pratap) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री शेर सिंह बड़शामी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर बोलते हुए कहना चाहूंगा कि जहां तक हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट की अमैंडमैंट का सवाल है 1994 में म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर यह प्रावधान किया गया था कि जब यह एक्ट लागू होगा तो 6 महीने के अंदर उनके चुनाव करा दिए जाएंगे। फिर ये म्यूनिसिपल कारपारेशंज बनी और यह प्रावधान किया गया कि एक साल के अंदर-अंदर म्यूनिसिपल कारपोरेशंज के चुनाव करा दिए जाएंगे और उनमें जनता की भागीदारी इस तरीके से शामिल होगी कि जनता के नुमाइन्दे चुनकर आएंगे और वह जनता की कठिनाईयों का समाधान करने का काम करेंगे, इन कारपोरेशंज के माध्यम से शहरों में बसने वाले लोगों के विकास के लिए काम करेंगे। सरकार एक साल से संतुष्ट नहीं हुई और फिर अमैंडमैंट करके दो साल का प्रावधान रखा कि दो साल के अंदर म्यूनिसिपल कारपोरेशंज के चुनाव करा दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की कितनी जनता इन कारपोरेशंज के तहत आती है। मगर आज इनमें जनता की कोई भी भागीदारी नहीं है केवल मात्र अफसरशाही चल रही है। जो अफसर चाहते हैं वह कर लेते हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। सरकार दो साल के अंदर भी चुनाव नहीं करा पायी है और इस अवधि को बढ़ाकर ढ़ाई साल पर ले जाना चाहती है और अफसरशाही को और ज्यादा छूट देना चाहती है। इस तरह से निरंतर अमैंडमैंट करके चुनाव को बार-बार टालने से जनता जनार्दन की अनदेखी की जा रही है इस अवधि को सीमित किया जाए। बार-बार अमैंडमैंट न की जाएं। जनता के प्रतिनिधि चुने जाने चाहिएं। उनको भी अपने शहरों का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। इस बात से हटकर मैं छोटी सी बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो हम विधान सभा के अंदर एक्ट पास करते हैं, जो हम अमैंडमैंट लाते हैं वे सारी अमैंडमैंट न केवल हरियाणा प्रदेश की विधान सभा की लाइब्रेरी बल्कि हरियाणा स्टेट की सभी लाइब्रेरीज में उपलब्ध होनी चाहिए। आज यदि हम किसी भी अमैंडमैंट के बारे में जानना चाहें तो जब तक यह पता न हो कि प्रिंसिपल एक्ट क्या था और उसमें समय-समय पर क्या-क्या अमैंडमैंट्स हुई, यदि इस बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा तो इस विषय पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर कमेटी के चुनाव हुए तो हमने मांग की कि हमें कमेटी का एक्ट दिया जाए लेकिन देखा कि वहां बहुत पुराने एक्ट पड़े हैं। उसके बाद की किसी भी अमैंडमैंट का हवाला यहां पर मौजूद नहीं है। चुने हुए विधायकों को यह जानकारी उपलब्ध नहीं होगी तो उनको कैसे जानकारी होगी और

उनको यदि प्रिंसिपल एक्ट के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो वे हाउस के अंदर किस विषय पर बोलेंगे? हम रोजाना एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं ये कोई लेजिस्लेचर की मुख्य भूमिका या काम नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि हरियाणा प्रदेश की सभी लाइब्रेरीज में एक्ट में हुई सभी अमैंडमैंट्स की कॉपीज उपलब्ध होनी चाहिएं और जब भी, जो भी विधायक मांगें वह उपलब्ध कराई जानी चाहिए।। समय-समय पर जो अमैंडमैंट्स आती हैं उनकी कॉपी भी उपलब्ध होनी चाहिएं। आज आप यहां पर एक लाइन का ब्यौरा देकर अमैंडमैंट लाने जा रहे हैं जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है कि क्या अमैंडमैंट करने जा रहे हैं, उसका क्या लाभ है? जब तक आप प्रिंसिपल एक्ट का ज्ञान नहीं कराएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। मेरा यह भी सुझाव है कि पिछली अमैंडमैंट को भी इस अमैंडमैंट के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मेरी इस बारे में सख्त आपत्ति है। इस तरह से अमैंडमैंट करके जनता को अंधेरे में रखने वाली बात की जा रही है। हमारे लेजिस्लेचर को विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बड़शामी साहब ने जिस प्रकार से अमैंडमैंट्स के बारे में बताया और कहा कि किस प्रकार से गुड़गांव नगर निगम को बने हुए दो साल का समय हो गया है और उस के चुनावों में निरंतर समय बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। अब उसके लिए छह महीने की समय सीमा बढ़ाने के लिए और अमैंडमैंट लायी जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें आपने लिखा है कि "परन्तु जहां निगम को गठित करने हेतु निर्वाचन पूर्ण नहीं हो गया है, वहां आयुक्त समितियों की ऐसी संख्या जो वह उपयुक्त समझे, गठित कर सकता है।" स्पीकर सर, इस प्रकार सरकार सारे अधिकार कमिश्नर को देने जा रही है, जिससे वह जिसको चाहे कमेटी में ले जिसको चाहे न ले। कम से कम इस अमैंडमैंट को करते हुए आप इस बात का ब्यौरा दें कि उसमें चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एम.एल.ए. हैं, एम.पी. हैं, उनको भी बीच में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन अमैंडमैंट बिल यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बारे में हाईकोर्ट में माननीय जस्टिस श्री एम.एम. कुमार और श्री ए.एल. जिंदल की कोर्ट में इस कार्पोरेशन को जब गठित किया गया उसकी बाबत केस चल रहा है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमैंट रिजर्व की जा चुकी है। इसमें ये प्वाइंट दिया गया है कि जो वर्ड 'म्युनिसिपैलिटी' है इस वर्ड को 'म्युनिसिपैलिटीज' कर दिया जाए और इसको पिछली डेट 1994 से किया जाए। सर, सिद्धांततः जो मैटर सब-जूडिस हो, कोर्ट में हो उसके बारे में नैतिकता के आधार पर हमें इस प्रकार का बिल यहां लाना ही नहीं चाहिए। जब कि मैटर सब-जूडिस है तब भी उसमें तमाम मुद्दों पर जाकर के कार्पोरेशन बनाई है सरकार ने कुछ बातों का ध्यान उसमें नहीं किया है उन सारी बातों को लेकर लोग हाईकोर्ट में गए हैं। सर, इस बारे में एक्ट में यह लिखा है कि एक म्यूनिसिपल कमेटी की आबादी 3 लाख से ज्यादा हो जाए तो उसको

[श्री अनिल विज]
कार्पोरेशन बनाया जा सकता है। एक्ट में कहीं यह नहीं लिखा हुआ था कि दो या तीन म्यूनिस्पिलिटीज को मिलाकर अगर उनकी आबादी तीन लाख हो जाती है तो उसको म्यूनिस्पिल कार्पोरेशन बना दिया जाये। लेकिन इन्होंने कई जगह पर दो-दो, तीन-तीन म्यूनिस्पिलीटीज को मिलाकर कारपोरेशंज बना दी जिसको लोगों ने रिजैक्ट किया जिससे उसमें कंटीन्यूटी नहीं बनती है। उसका एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसमें और भी कई बिन्दु लिये गये हैं। उसमें यह बिन्दु भी लिया गया है कि इनकी अधिसूचना जारी करने से पहले लोगों से ऑब्जैक्शंज नहीं मांगे गये इसलिए उसकी कन्टीन्यूटी नहीं बनती है। इसी प्रकार से अनेक मुद्दे लिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है क्या यह नैतिकता का आधार है कि हम इस बिल पर इस सदन में डिसकस कर सकते हैं और हम इस बिल को पास कर सकते हैं मैं मानता हूं कि House is Supreme. लेकिन जब मामला सब-ज्यूडिश हो जजमैंट रिजर्व हो चुकी हो और माननीय जज साहब ने यह कह दिया हो कि अगले 15 दिनों के अन्दर मैं अपनी जजमैंट सुनाऊंगा। उस जजमैंट को अनडन करने के लिए इस बिल को यहां पर लाया गया है। स्पीकर सर, ये कार्पोरेशंज बनाई गई हैं उनके लिए पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है। एक्ट के मुताबिक कार्पोरेशन का हैड कमिशनर रैंक का अधिकारी होता है। छः महीने हो गये हैं, आज तक जो सात कारपोरेशंज बनाई गई हैं उनमें एक में भी कमिशनर रैंक के अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। छः महीने से डिप्टी कमिशनर्ज को वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर बैठा दिया गया है हर म्यूनिस्पिल कमेटी में एक ज्वायंट सैक्रेटरी रैंक का एच.सी.एस. लैवल का अधिकारी होता है। इन छः म्यूनिस्पिल कार्पोरेशंज में कम से कम 15 या 20 आफिसर्ज की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन आज तक एक भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही किसी एक्सियन, एस.ई., चीफ इंजीनियर की नियुक्ति की गई है। सरकार को इन कार्पोरेशंज के बारे में कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए था कि क्या हमारे पास इनके लिए पूरा स्टाफ है या नहीं। इसका नुकसान हो रहा है उसका नुकसान आज हरियाणा के सारे शहरों को हो रहा है क्योंकि लगभग सारे हरियाणा में ये कार्पोरेशंज बनाई गई हैं। वहां पर आज ऐसा आलम है कि शहर का कोई भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पहले ही प्री-आक्यूपाईड होता है। उनके पास बहुत से काम होते हैं उन्हीं को शहरों का और कार्पोरेशंज का काम दे दिया उसका नतीजा क्या हुआ। इसके मैं दो उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। किसी प्रकार की कोई एथोरिटी नहीं, कोई चुनाव नहीं हो रहा है। अभी बताया गया है कि समय अवधि को एक से दो साल कर दिया और अब दो से अढ़ाई साल करने जा रही है। वहां पर अभी भी कोई डैमोक्रेटिक सैट अप स्थापित नहीं है इनकी आड़ में जमीनों पर कब्जे किये जा रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं अगर आप मुझे कुछ समय देंगे तो मैं रखूंगा। अगर सरकार सुनना नहीं चाहती तो मैं उसको नहीं रखूंगा। सर, अम्बाला कैंट में 195-डी रेलवे रोड़ पर एक भूमि है उस पर माल बन रहा है उसकी लीज रिन्यू कर दी गई 92 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जबकि वह जमीन 20 करोड़ रुपये की है। सर, शहर को किस प्रकार से लूटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह केवल अमैंडमैंट है, but you are discussing the whole Act.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सरकार ने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से कार्पोरेशंज बनाई हैं और वहां पर डिक्टेटर बनाकर डिप्टी कमिश्नर को बैठा दिया और सारे प्रजातांत्रिक सिस्टम का कत्ल कर दिया गया, इस पर सरकार को पुनः सोचना चाहिए। मैं इसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो मामला कोर्ट के विचाराधीन है तो क्या हम कार्पोरेशन के बारे में बिल पास कर सकते हैं या उस बिल पर चर्चा कर सकते हैं। (शोर)

Mr. Speaker : Vij, Sahib, please take your seat. यह चर्चा का मामला नहीं है। (शोर) चर्चा की बात नहीं है। This is a question of amendment.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में सरकार द्वारा लाये गये एमैंडमैंट के कारण और उद्देश्यों का वर्णन किया गया है माननीय सदस्य श्री बड़शामी और श्री विज ने इसके कारण और उद्देश्यों को अपने-अपने ढंग से कहा है। अभी तक परम्परा यही रही है कि इस प्रकार की अमैंडमैंट्स के जो बिल आयें उनके बारे में मैम्बर्ज को जितना अधिक टाईम दिया जाए वह अच्छा है। अमैंडमैंट के लिए जो नोटिस वगैरह हैं वे पहले ही सर्कुलेट हो जाने चाहिएं ताकि वे इस पर और अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। मगर परम्परा हमेशा इसी तरह से रही है कि उसी वक्त नोटिस सर्व करते हैं (विघ्न) इस बिल में कारण और उद्देश्यों का जिक्र किया है। विज साहब ने बहुत सी बातें कह दी कि जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, कोर्ट में जमीन के मैटर्ज हैं। जहां तक जमीनों के कब्जे की बात है, अनअथोराइज्ड डिवैल्पमैंट की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि बढ़ती हुई आबादी के कारण बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज के कारण, बढ़ते हुए कामर्शियल क्षेत्र के कारण आज आवश्यकता है कि विशेषकर शहरों का संतुलित और सुव्यवस्थित ढंग से विकास किया जाए। कार्पोरेशन को बनाने के पीछे भी मंशा यही रही है। 17.3.10 को इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु ही नगर निगम पंचकूला, जिसमें पिंजौर कालका और पंचकूला जिले के कुछ नजदीक के रूरल एरियाज को शामिल किया गया है, को बनाया गया है। अम्बाला के दोनों शहरों को मिलाकार अम्बाला कार्पोरेशन बनाया गया है और यमुनानगर और जगाधरी को मिलाकार यमुनानगर कार्पोरेशन बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि पंचकूला, पिंजौर और कालका के बीच में कुछ देहाती क्षेत्र भी हैं जहां अनअथोराइज्ड डिवैल्पमैंट बहुत तेजी से इन शहरों के साथ पनप रही है। इस बीच के गैप को खत्म करने के लिए, बीच के देहाती क्षेत्र को खत्म करने के लिए इनको सुव्यवस्थित ढंग से, प्लांड तरीके से डिवैल्प करने के लिए ही यहां कार्पोरेशन बनाई गई। डिवैल्पमैंट के लिए गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से सहयोग और उनकी विभिन्न ग्रांट्स भी प्राप्त होती हैं। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएवल मिशन स्कीम के अन्तर्गत कुछ और शहरों को शामिल किया है जिनमें चंडीगढ़ भी शामिल हैं, जिनमें विकास के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत ग्रांट्स आती हैं। जब पंजाब और हरियाणा ने यह कहा कि चण्डीगढ़ भी हमारी यू.टी. का हिस्सा है तो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि इसके नजदीक लगते हुए शहरों के लिए हम योजना प्लान बनाएं। इससे सैंकड़ों करोड़ों रुपयें की ग्रांट भी इसके डिवैल्पमैंट के लिए होगी। इसके गठन का महज उद्देश्य यही है। इस बिल में एक या एक से अधिक नगरपालिकाएं होने की बात की गई है। इतफाक से यहां तीन नगरपालिकाएं हैं, उन एरियाज को मिलाना इस अमैंडमैंट के मुताबिक आवश्यक है। इसी तरह

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

जगाधरी की बात है वहां कार्पोरेशन बनाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना रहा कि वहां पर समुचित और सुव्यवस्थित तरीके से डिवैल्पमैंट कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुड़गांव की बात है। गुड़गांव में दिक्कत यह रही है कि गुड़गांव का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। उस समय इलैक्शन नहीं हो सके क्योंकि कुछ गांव और पंचायतों के झगड़े भी बीच में रहे कि गांव उसमें आ गए, जमीनें रह गई, कुछ लोगों की जमीनें आ गई और गांव को छोड़ दिया गया। सरकार ने सोचा कि सबको ही इसमें शामिल करना चाहिए। गांव के असैट्स कार्पोरेशन में चले जाएं और लायबिलिटी पंचायतों में रह जाए तो ठीक नहीं है। बिल में अमैंडमैंट लाने का महज मकसद सरकार का सिर्फ इतना ही है। म्युनिसिपल कमेटीज के इलैक्शन सभी जगह मेरे ख्याल से शांतिपूर्ण हुए हैं। फरीदाबाद कार्पोरेशन के इलैक्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर इनको यह लगता है कि सरकार 6 महीने या दो साल की समय अवधि को खींचकर जानबूझकर बढ़ा रही है तो इस पर मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि सरकार की मंशा यह हो कि इलैक्शन ही नहीं कराने तो सरकार को इससे क्या प्राप्त होगा? सरकार का तो फायदा यह है कि जल्दी इलैक्शन हों और जिम्मेवारी मैम्बर्ज पर आए। यह जो अड़चनें और मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आज दो साल पूरे होने जा रहे हैं हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर-अंदर वार्डबंदी का काम पूरा हो लेकिन चूंकि वहां पर कुछ नए एरियाज और मिलने से इसके विस्तार के कारण जो दिक्कतें आई हैं उसके कारण ही इस अमैंडमैंट को लाने की आवश्यकता बनी है। तीसरी बात ये कमेटी की कह रहे थे तो कमेटीज का परपज कोई नीतिगत निर्णय लेना या कुछ और नहीं है, इस दौरान यदि कोई कर संबंधी मामले आएं तो उनकी इम्पलीमैंटेशन या और कोई विशेष समस्या हो तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। यह अमैंडमैंट लाने का सरकार का सिर्फ यही मकसद है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 5 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Mahendra Pratap Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज (सैकेंड अमैंडमैंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : सर, सरकार कई बिल लेकर आ रही है मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि 90 विधायक सदन में बैठें हैं उनकी तरफ भी वे ध्यान दें। आज महंगाई का जमाना है। सैंटर गवर्नमैंट ने भी एम.पीज. की सैलरी और अलाउंसिज बढ़ाये हैं इसलिए वित्तमंत्री जी विधायकों की सैलरी, अलाउंसिज और डिस्क्रीशनरी ग्रांट आदि बढ़ाने के लिए बिल लेकर आयें।

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारी सरकार थी उस समय ये लोग हमें भी कहते थे कि विधायकों की सैलरी और अलाउंसिज आदि बढ़ाये जायें। आज इनको भी चाहिए कि एम.एल.एज. की लोकल एरिया डिवैल्पमैंट स्कीम, एम.एल.एज. के लिए डिस्क्रीशनरी ग्रांटस, उनके अनेक भत्ते हैं और जो भूतपूर्व विधायक हैं उनकी पैंशन बढ़ाने और भत्ते बढ़ाने का बिल इस सदन में लायें और उसे सर्वसम्मति से पास करें।

Mr. Speaker : Question is —

> That the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

The Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

The Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाह रहा था कि जो हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटी बिल, 2006 है इसके तहत जो भी यूनिवर्सिटियां हमारे यहां पर बनी हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने इनको नोटिस दिया हुआ है कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के नॉर्म्ज भी पूरे नहीं करतीं। यहां लिखा है कि—

> "Private Sector is an important player in providing higher education in the State. For encouraging the persons/sponsoring bodies with rich experience of running educational institutions "The Haryana Private Universities Act, 2006 has been formulated."

इनका एक्सपिरियंस कहां से हो गया, एजुकेशनिस्ट ये नहीं? इन्होंने तो आमदनी बढ़ाने के अदायरे खोले हुए हैं और इनको धन कमाने का प्रोफैशन बनाया हुआ है। ये नौजवानों से दाखिले के समय लाखों रुपये डोनेशन के रूप में लेते हैं, इन लोगों के ऊपर तो बैन लगाना चाहिए। मान्यता खत्म करने के ऊपर ये लोग सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर लेकर आये हुए हैं। ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल लाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया जी से यह कहना चाहूंगा कि ये प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बनायें, हमें कोई एतराज़ नहीं है लेकिन क्या ये उनको इस बारे में बाऊण्ड करेंगे कि ये फीस इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये लोग लॉ के सब्जैक्ट के लिए 25 से 30 हजार रुपये प्रत्येक स्टूडैंट से फीस ले रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों द्वारा विभिन्न विषयों पर ली जाने वाली फीस की कोई सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य के साथ-साथ पूरे सदन को भी इस बात से अवगत करवाना चाहूंगी कि प्रदेश के स्टूडैंट्स को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन देना हरियाणा सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जहां पर हमारे गवर्नमैंट एजुकेशनल इंस्टीच्यूट्स अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वहां पर प्राईवेट स्कूल-कालेजिज, यूनिवर्सिटीज और दूसरे इंस्टीच्यूट्स भी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थानों में हमारे बच्चे अच्छी और गुणात्मक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि इससे पहले भी हमारे यहां चार प्राईवेट यूनिवर्सिटीज खुली जो कि अच्छी तरह से शिक्षा का प्रसार और प्रचार कर रही हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब हम जो अमैंडमैंट बिल लेकर आये हैं इससे महर्षि मारकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, गांव सादोपुर, जिला अम्बाला को अमैंडमैंट के बाद पांचवें स्थान पर लाया जायेगा।

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill. 2010.

Sir, I also beg to move—

> That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डॉ. अजय सिंह चौटाला (डबवाली) : अध्यक्ष महोदय, पूरा हाउस चाहता है और पड़ोसी राज्यों में भी इसी तरह से विधायकों का ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी विधायकों की मांग का ख्याल रखना चाहिए।

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : सर, डिस्क्रेशनरी कोटा, एम.एल.ए. लैड स्कीम और जो भी सुविधायें हो सकें उसे फैसिलिटी ऐक्ट में लेकर आयें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (तिगांव) : अध्यक्ष महोदय, जो सभी सदस्यों की राय है, हम भी उससे सहमत हैं और हम उससे बाहर नहीं जायेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहूंगा कि आप वर्तमान सदस्यों के बारे में तो सोचेंगे ही सोचेंगे लेकिन जो भूतपूर्व सदस्य हैं उनकी पैंशन के बारे में भी आप सोच लें तो बेहतर होगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों की भावना है उस पर जरूर गौर किया जायेगा और कल तक इस बारे में कोई न कोई फैसला जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग इस बारे में कोई सुझाव तो दो कि पड़ोसी राज्यों में कैसे और क्या सिस्टम है?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एम.पी. को हल्के में इतना नहीं जाना होता जितना कि एक विधायक को लोगों के दुख दर्द में और खुशी में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी विधायकों का वेतन भी सांसदों के बराबर कर दें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम सभी 90 एम.एल.ए. बराबर हैं। यह बात ठीक है कि सबकी जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। आप हाउस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, मंत्री जी बैठे हैं, जिम्मेदारियां सबकी अलग-अलग हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहले एम.एल.ए. की ग्रांट 40 लाख होती थी अब महंगाई को देखते हुए आप स्वयं ही देख लेना। मैं तो यह कहूंगा कि दस गुणा कम से कम 4 करोड़ तो करो। दूसरी बात अगर मंत्री की एक करोड़ रुपये डिस्क्रेशनरी ग्रांट है, मुख्यमंत्री की 5 करोड़ रुपये है। जिस प्रकार डॉ. कादियान साहब, जब स्पीकर थे तो एक करोड़ रुपये मिलते थे लेकिन आज एक रुपया भी नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि एम.एल.ए. की डिस्क्रेशनरी ग्रांट भी होनी

चाहिए। हां, उसको सीमित कर दो कि अपने हल्के तक वे रहेंगे। यह बात ठीक है कि मिनिस्टर का दायरा, मुख्यमंत्री का दायरा पूरे प्रदेश का है लेकिन एम.एल.ए. को हल्के तक सीमित किया जा सकता है।

Mr. Speaker : Question is —

That the Maharshi Dayanad University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clasue 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (अमैंडमैंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii) चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (अमैंडमैंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill, 2010.

[Smt. Geeta Bhukkal Matanhail]

Sir, I also beg to move—

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री ओम प्रकाश चौटाला एम.एल.ए. के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग की सूचना

18.00 बजे **Mr. Speaker :** Hon'ble Members, I have received a notice of breach of Privilege from Shri Kuldeep Sharma, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA stating that Shri Om Prakash Chautala after the Questions Hour today raised the matter of a news being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. Shri Gopal Kanda himself was driving this car and this car is owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of Car as HR-70L-0009. The girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign, whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House. He has made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitues a matter of clear breach of privilege of the House. Thus the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010 which involves the question of breach of Privilege/Contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session. I give my consent to the raising of this question of alleged breach of |Privilege and hold that the matter proposed to be discussed is in order and now I ask Shri Kuldeep Sharma, MLA to rise and ask for leave to raise the question of Breach of Privilege. (Noise and Interruptions).

Pandit Kuldeep Sharma : Hon'ble Speaker Sir, kindly allow me the leave to raise the question of breach of privilege against by Shri Om Prakash Chautala. (Noise and Interruption).

Mr. Speaker : Now, I request those Members who are in favour of leave

being granted to move the motion, to please rise in their seats.

(At this stage, all the Ruling Party Members present in the House rose in their seats)

Mr. Speaker : As the number of Members who rose in favour of the motion exceeds 15, the leave is granted.

(The leave was granted.)

Mr. Speaker : Now, Pandit Kuldeep Sharma, MLA may please move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Pandit Kuldeep Sharma : Speaker Sir, I beg to move—

> That Om Prakash Chautala after the Questions Hour today raised the matter of a news being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. Shri Gopal Kanda himself was driving this car and this car is owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of Car as HR-70L-0009. The girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign, whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House. He has made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead the august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, which involved the question of breach of Privilege/Contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Om Prakash Chautala after the Questions Hour today raised the matter of a news being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. Shri Gopal Kanda himself was driving this car and this car is owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of Car as HR-70L-0009. The girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign, whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House. He has made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead the august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on

the floor of the House on 6th September, 2010, which involved the question of breach of Privilege/Contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The matter is referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

वाक आउट

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, अभी तो इस मामले की इंक्वायरी भी नहीं हुई और न ही कोई रिपोर्ट आयी तो फिर यह प्रिवलेज मोशन सरकार क्यों ला रही है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने खुद माना है कि दो महीने पहले इन्होंने अपने ड्राईवर को हटा दिया था। टी.वी. चैनल पर इन्होंने माना था कि मैं गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता। सारे टी.वी. चैनल्ज इस बात को दिखा रहे हैं। इनको तो बर्खास्त करना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, इन्होंने यह क्या तरीका बना लिया है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से ये मैजोरिटी का फायदा उठाकर गला घोटने का काम कर रहे हैं उसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के एक मात्र सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 7th September, 2010.

*18.07 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 7th September, 2010).

47961—HVS—H.G.P., Chd.